राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] बारहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का चौदहवां दिवस [संख्या: 4

मंगलवार;

13 जुलाई, 2004

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

रावी-व्यास जल बंटवारे में राजस्थान के हितों की सुरक्षा की मांग

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में हमने पढ़ा कि पंजाब सरकार ने राजस्थान और हरियाणा को पानी देने के लिए मना कर दिया.... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस का शासन जो पंजाब में है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : वह हमारे राजस्थान के साथ अन्याय कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। उनको कोई अधिकार नहीं कि हमारे हिस्से के पानी को वो रोकें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुनने का इरादा है कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब ने जो बिल पारित किया है, राजस्थान के हितों पर...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ लोगों के जीवन का सवाल है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : देश के प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंहजी मूकदर्शक बने हुए हैं। (व्यवधान) राजस्थान के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : केन्द्र सरकार की मिलीभगत के कारण...(भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

श्री कालूलाल गुर्जर : पंजाब सरकार को बरखास्त करो...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मांग करते हैं। (व्यवधान) सरकार को तुरन्त प्रभाव से बखास्त करने की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, पंजाब में कांग्रेस की सरकार....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जबरदस्त ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग शांत रहें। (भारी व्यवधान) आसन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आसन को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) **:** अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार से मिलीभगत कर के राजस्थान में.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्नकाल नहीं चाहते ? आज आप प्रश्नकाल नहीं चाहते क्या ?

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह का प्रस्ताव पेश किया है...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : राजस्थान का हक लेकर रहेगें। राजस्थान का हक लेकर रहेंगे।

श्री कालूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार को बरखास्त करने की मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार को तुरन्त बरखास्त करने की मांग करते हैं हम आप से। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : दादागिरी नहीं चलेगी, पंजाब सरकार की दादागिरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला : दिल्ली और पंजाब की सरकार ने मिल कर..... (भारी व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पंजाब की सरकार ने राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया है इसलिए राजस्थान की जनता उद्वेलित है। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : इस हद तक जा सकतें हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इतने उत्तेजित किस बात पर हैं ? यह सत्ता पक्ष इतना उत्तेजित क्यों हैं ? (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा सही नहीं है। पंजाब विधान सभा ने जिस तरह का प्रस्ताव पास किया है, केन्द्र सरकार को उसमें दखलंदाजी करनी चाहिए।

श्री मदन दिलावर : अन्तरराज्जीय जल समझौते से उनको मुक्त कर दिया गया है...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सूखा हो जायेगा।

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, यह देश को विभाजित करने का षड़यंत्र है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

श्री मदन दिलावर : अन्तरराज्जीय समझौतों को पंजाब सरकार केन्द्र सरकार की शह के बिना कुछ नहीं कर सकती। (व्यवधान) क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आयी है इसलिए...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : राजस्थान की जनता के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की है वह बर्दाशस्त नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सोनिया गांधी की शह पर इस प्रकार का निर्णय लिया गया है जो बिलकुल अन्यायपूर्ण निर्णय है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष इतना उत्तेजित किस बात पर है? (व्यवधान) (नारेबाजी)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में रावी-ब्यास नदी जल...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पंजाब की सरकार ने बहुत बड़ा प्रयत्न किया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : समझौते के बारे में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया और राज्य सरकार को...(व्यवधान) वे इस सम्बन्ध में कोई भी...

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधा घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.05 बजे 11.35 बजे तक
के लिए स्थगित की गयी)

(11.36 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

रावी-व्यास जल बंटवारे में राजस्थान के हितों की सुरक्षा की मांग

श्री नरेन्द्र कुमार नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है इसको राजस्थान की जनता बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेगी। (व्यवधान)

श्री टीकमचंद कान्त : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हितों का प्रश्न है और मेरा ख्याल है इसके अन्दर सारा सदन सहमत है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पंजाब अकेला इन समझौतों को समाप्त नहीं कर सकता है। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहला अवसर है जब हो-हल्ला करके...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमने तो पहले ही प्रशासन से कहा कि हम आपके साथ हैं आपसे सहमत हैं (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह एक अति महत्वपूर्ण विषय है। इस तरह की स्थिति पैदा हुई है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं, सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय को लेकर सत्ता पक्ष उत्तेजित है, विषय आपके समक्ष है। अध्यक्ष महोदय, पंजाब सरकार ने जिस तरह का कानून बनाया है उस कानून को दखते हुए सब लोगों की चिन्ता और चिन्ता यहां की नहीं पूरा राजस्थान चिन्तित है। इसलिए मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि हम पक्ष और विपक्ष सब लोगों ने मिलकर एक भावना के साथ जब एक संकल्प पारित किया था उसी भावना को देखते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि, हमारी प्रतिपक्ष से बात भी चल रही है, आप अगर पन्द्रह मिनट का समय और बख्शा दें तो बात कर के फिर कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव आ जाए और जो चिन्ता आपकी है, चिन्ता राजस्थान की है, चिन्ता सदन की है उसके बारे में माननीय सदस्य अपनी बात कह सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही पुनः पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.39 बजे पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित हुई)

(11.55 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

रावी-व्यास जल बंटवारे में राजस्थान के हितों की सुरक्षा की मांग

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सुबह से इस सदन में जिस गम्भीर विषय को लेकर उत्तेजना है, पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब टर्मीनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल, 2004 को पारित करके राजस्थान के लाखों किसानों पर जो उनको पहले पानी मिलता था 1981 और 1955 के समझौतों के अनुसार उस पर प्रश्नचिन्ह खड़ा किया है इसलिये माननीय सदस्यों की उत्तेजना स्वाभाविक है।

यह एक ऐसा विषय है जिस पर सदन पहले भी दो बार चर्चा कर चुका है। दोनों बार सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, सबने पूरे राजस्थान के हक हकूक और हित को देखते हुए सर्वसम्मत संकल्प लिया है, प्रस्ताव भी लिया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारी अभी प्रतिपक्ष के नेता और सब लोगों से चर्चा हुई थी। उनके हाथ में जो कल बिल पारित हुआ है, उस बिल का वह भी अध्ययन कर रहे हैं। वह भी चाहते हैं कि सारगर्भित बहस हो और बहस के अन्दर दिशा लेकर राजस्थान के हितों की सुरक्षा के लिये सारे मिलें, सारा सदन एक हो, हम एकाकार हों। पक्ष और प्रतिपक्ष अपनी दलीय सीमाओं को तोड़कर, ऊपर उठकर इस गम्भीर विषय पर बात करें क्योंकि एक ऐसा विषय है जो राजस्थान के हजारों, लाखों लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा है।

मेरी आपसे प्रार्थना है कि अभी वह इसका अध्ययन कर रहे हैं। वह भी चाहते हैं कि कुछ समय और दें। इसलिये सदन एक बार कृपया और स्थगित कर दें। मैं क्षमा चाहते हुए आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक बार स्थगित कर दें तो उसके बाद सर्वसम्मत सदन का स्वरूप एकाकार हो जाए। इसके लिये एक बार मेरी प्रार्थना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मेरी सुन लें। पहले आप मेरी सुनें। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। कांग्रेस और बी.जे.पी. दोनों ने अपनी-अपनी राजनीति चमकाने के लिये......

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी सुनिये। कृपया स्थान ग्रहण करें....

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इस मुद्दे को अपने स्तर पर उठाया है....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें......

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहता हूं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आसन पांवों पर। आसन पांवों पर है...(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन......

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : xxx

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : xxx

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मुझे भी कुछ कहना है..

श्री अमराराम (धोद) : आप उनके बाद में कह दें......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं नहीं सुनूंगी किसी का।

माननीय सदस्यगण, सचमुच में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चिन्ता का विषय है। राजस्थान के वृहत्तर इंटरेस्ट में है। पक्ष और विपक्ष, दोनों की ही बात आनी चाहिये। मैं मुख्य मंत्रीजी से, सदन की नेता से आग्रह करना चाहूंगी कि वह इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें। बिल पंजाब सरकार ने क्या पास किया, उसके बारे में पूर्णतः बताएं ताकि पक्ष और विपक्ष दोनों की बात आ सके और यह हाउस इसको सर्वसम्मति से दुबारा से इस बारे में अपनी राय प्रकट करें, चर्चा हो इस विषय के ऊपर।

इसलिये जब विपक्ष यहां पर नहीं है तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप उनके साथ वार्ता करें।

एक घंटे के लिये मैं सदन की कार्यवाही को स्थगित करती हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.58 बजे एक घंटे के लिये स्थगित हुई)

(13.00 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : सदन जब स्थगित किया गया था उस समय यह बात हुई थी कि मुख्य मंत्रीजी इस बारे में अपना वक्तव्य देंगी इसलिए अब आप प्रारम्भ करें।

<u>शासकीय वक्तव्य</u>

रावी-व्यास नदियों के जल बंटवारे विषयक

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज एक गम्भीर और आम जन से जुड़ा हुआ विषय अखबारों में छाया हुआ था और

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

स्वाभाविक तौर से हम सब के मन और मस्तिष्क में भी यह मसला छाया हुआ, रावी-व्यास का इश्यू जो पंजाब विधान सभा के अन्दर उठा था और इसी कारण से ही कई माननीय सदस्य जो इस इलाके से जुड़े हुए थे, सात डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो इफेक्टैड हैं इससे, डाइरेक्ट ही इफेक्टैड है इससे, वैसे तो पूरा राजस्थान इफेक्टैड होगा। सब लोग उत्तेजित थे और इस उत्तेजना की वजह से यह स्वाभाविक था क्योंकि विषय भी गम्भीर था कि कुछ डिस्टरबेंस हुआ सुबह, मुझे अपसोस है कि इस कारण की वजह से सुबह सदन की कार्यवाही में व्यवधान भी हुआ और क्वेश्चन ऑवर भी नहीं चल सका। पर मैं यह उचित समझती हूं कि एक वक्तव्य के द्वारा, सरकार की जो भावना है, वह सदन के अन्दर प्रकट करूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए। वैसे मैं मानती हूं कि सब लोग क्यों उत्तेजित हुए हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान राज्य हित के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। जैसा आप सबको विदित है, दिनांक 15.06.2004 को पंजाब विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया था, उसके अंतर्गत पंजाब सरकार को रावी-ब्यास के पानी के संदर्भ में उक्त राज्यों के हितों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक व कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया था। उक्त मामले में सदन में दिनांक 1.7 को विस्तार से चर्चा हुई और हमने भी एक संकल्प के जरिये दृढ़ता से घोषित यहां किया कि राजस्थान को रावी-ब्यास के जल में जो प्राप्त अधिकार है, के पुनर्विचार व पुनरावलोकन की कोई भी गुंजाइश नहीं है और न ही राजस्थान वैध समझौतों के पुनर्विचार को स्वीकार करेगा और यह सदन ऐसे सभी प्रस्तावों के पूर्णतः विरूद्ध है।

यह खेद का विषय है कि दिनांक 12.07. को फिर पंजाब विधान सभा ने "द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स बिल, 2004" पारित कर दिया है और इसके जरिये रावी-ब्यास जल के संदर्भ में अब तक हुए समस्त समझौतों को निरस्त कर दिया है। पंजाब विधेयक के क्लाज 3 के प्रावधान निम्न प्रकार के हैं-and I quote;

"Not with standing anything contained in any other law for the time being in force and any judgment, decree, order and decision of any court, tribunal or authority, the agreement shall be deemed to have been

terminated with effect from the respective date they were executed or made as the case may be."

उक्त प्रस्ताव से न सिर्फ 1981 का समझौता, बल्कि 1955, 1920 के समझौते तक भी प्रभावित हो जाते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 1960 का भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ इण्डस वाटर ट्रीटी समझौता, जो विश्व बैंक के सानिध्य में सम्पन्न करवाया गया था और जिसका मूल आधार राजस्थान में पानी की आवश्यकता तथा 1955 के समझौते का था, इससे प्रभावित होता है। इस समझौते को नकारने का अभिप्राय एक अन्तरराष्ट्रीय समझौते के मूल आधार पर ही प्रश्नचिन्ह लगाना होगा, जिसके गम्भीर अन्तरराष्ट्रीय इम्प्लीकेशंस होंगे। यही नहीं इस विधयेक से एक गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है जो संविधान में निहित फेडरलिज्म की मूल अवधारणा के विरूद्ध है। रावी-व्यास नदियों का जल राजस्थान के बहुत बड़े रेगिस्तानी भू-भाग की आवश्यकताओं को पूरा करता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की एक करोड़ जनसंख्या इन नदियों के पानी के स्रोत पर सिंचाई एवं पेयजल हेतु निर्भर है। लगभग 19 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल इस पानी में व्ययधान आने से प्रभावित होगा। इन जिलों में पशुधन की संख्या डेढ़ करोड़ है जिन पर भी प्रतिकूल असर निश्चित रूप से पड़ेगा।

अतः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यदि इन नदियों के पानी के राजस्थान के हिस्से पर कोई भी कुठाराघात होता है तो यह तय है कि समस्त प्रदेश के लिए यह बहुत बड़ा गम्भीर संकट उत्पन्न हो जाएगा और राजस्थान का आर्थिक और सामाजिक ढांचा चरमरा उठेगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी नियंत्रण के बाहर हो सकती है। यह दृष्टिगत रखते हुए कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, पंजाब सरकार का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक चिंता का विषय है।

इस सदन ने सर्वसम्मति से दिनांक 01.07 को पारित संकल्प के जरिये राजस्थान राज्य के समस्त जनप्रतिनिधियों ने रावी-ब्यास नदियों के 52.69 पर्सेंट, माने 8.60 एम.ए.एफ. जल की प्राप्ति एवं इस अहस्तान्तरणीय अधिकार जो इनएलेनिएबल राइट है, की रक्षा के प्रति एक संकल्प के द्वारा अपनी वनचबद्धता स्पष्ट की है।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पंजाब विधान सभा द्वारा 12.07 को पारित विधेयक ने उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में पुनः चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न कर दी है। अतः पंजाब सरकार के निर्णय के उपरान्त मैंने यह उचित समझा कि इस सदन के माध्यम से राजस्थान की आम जनता को पुनः आश्वस्त करूं कि सभी पक्ष और विपक्ष, दलीय सीमा से ऊपर उठकर राजस्थान के वैधानिक समझौतों के माध्यम से प्राप्त पानी की एक-एक बूंद की रक्षा करेंगे और इस दिशा में आवश्यक सभी राजनीतिक, संवैधानिक और विधिक कदम उठाने हेतु हमारी सरकार तत्पर है। अन्त में मैं सदन को सूचित करना चाहूंगी कि आज मैंने एक उच्च स्तरीय सर्वदलीय समिति का गठन किया है जो इस संदर्भ में जन हित की चिंता करते हुए भविष्य की रणनीति तय करेगी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले कहेंगे अपनी बात, उसके बाद आपका नम्बर आ सकता है, जरूरी नहीं है आना।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के बोलने के बाद में नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं। (व्यवधान) परम्परा यह रही है और आप आसन से जो भी निर्णय देंगीं वह शिरोधार्य है लेकिन परम्परा हाउस में यह रही है कि माननीय सदस्य, जो कोई भी सरकार की ओर से वक्तव्य आए उस पर स्पष्टीकरण चाहे, आखिर में प्रतिपक्ष के नेता कहते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वह बोल लेंगे, उसके बाद स्पष्टीकरण मांगने का आपको अवसर दूंगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता-प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सदन की नेता महोदय ने एक वक्तव्य सदन में दिया। एक जुलाई को एक शासकीय प्रस्ताव इस सदन में रखा गया था और पूरे सदन ने एक मत से सरकार को रावी-ब्यास पानी से सम्बन्धित जितने भी समझौते हुए हैं, उनमें राजस्थान को 8.6 मिलीयन एकड़ फीट पानी, 52.69 प्रतिशत पानी हमको पूरा का पूरा मिले और भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जितने भी हैड्स हैं, माधोपुर का हैड, रोपड़ का हैड, भाखड़ा का हैड, इन सभी हैड वर्क्स का नियंत्रण बी.एम.बी. के पास हो और इसके लिए जितने भी लीगल स्टेप्स या

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स राज्य सरकार को उठाने पड़े। राज्य सरकार को चाहिए कि वह सारे के सारे स्टेप्स उठाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना स्टेटमेंट दिया तो उनको बताना चाहिए था कि इन्होंने 12 दिनों में क्या-क्या स्टेप्स लिए ? हमने यह भी सुझाव यहां पर दिए थे कि जो रिटायर्ड इंजीनियर्स हैं, रिटायर्ड आई.ए.एस. आफिसर्स हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, इनकी आप एक स्थायी समिति बनाएं और समिति आपको वक्त-वक्त पर यह राय दे कि इस सम्बन्ध में हमको क्या करना है। आज 12 दिन के बाद पंजाब "दी पंजाब टर्मिनेशन आफ एग्रीमेंट बिल, 2004" ले आया। उसमें पंजाब ने राजस्थान और हरियाणा इन दोनों को सम्मिलित कर लिया और इस एग्रीमेंट की जो लाइनें आपने कोट की उससे स्पष्ट है कि वो किसी भी समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आपने क्या अब तक इन 12 दिनों में राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्रीजी से किन्हीं से बात की और उन बातों का क्या परिणाम आया, इसको भी आपको सदन को अवगत कराना चाहिए। सदन इस मामले में पूरी तरह से एकमत है कि सरकार को हम ताकत दें और राजस्थान के हित की एक-एक बूंद की रक्षा करना हमारा, पूरे राजस्थान के लोगों का कर्तव्य है। जिस इंडस वाटर ट्रीटी का यहां पर आपने जिक्र किया, मुझे बड़ा अफसोस है कि जब मैं इसका जिक्र कर रहा था तो लोगों ने कहा कि आप उनकी गाथा गा रहे हो। गाथा गाएंगे। आज पं. जवाहर लाल जी नेहरू ने पूरे राजस्थान के एरिड जोन को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रीम एरिडेटी, वहां का फ्लोरा-फौना और वहां पर समय-समय पर बरसात नहीं होने के कारण इस पूरे भू-भाग को दिखाया इंडस वाटर ट्रीटी की थी और यह भू-भाग नहीं बताते तो इस रावी और ब्यास का पानी हिन्दुस्तान को नहीं मिलता। इसलिए इंडस वाटर ट्रीटी में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चिनाव और झेलम आपके कारण से चली गई, यह भी लिखाओ। वो क्यों नहीं दी ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब आप इसमें राजनीति मत करो, आपकी तो आदत राजनीति की है, आपकी समझ के बाहर की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप ही समझते हो ज्यादा।

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में व्यवधान न डालें।

श्री सांवर लाल : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, ये चीजें जब मैंने भाषण दिया तब कही थी, पं. जवाहर लालजी नेहरू की वजह से हुआ था तो इसको इतना कहने की क्या जरूरत पड़ रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता को सुनिए। बीच में व्यवधान न डालें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 1955 में हुआ समझौता (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान न डालें। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता को सुनिए। वो कोई गलत बात कहते हैं तो आप बाद में कहिएगा, बीच में व्यवधान न करें।

श्री विष्णु मोदी (मसूदा) : वह ट्रीटी धोखा थी। 110 मिलियन एकड़ फीट पानी (व्यवधान) आप जिस बात का गुणगान कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : इनका यह कहना कि हमने राष्ट्रपतिजी से बात नहीं की। हमने राष्ट्रपति से बात की है। (व्यवधान) प्रधानमंत्रीजी से बात करनी चाहिए थी। (व्यवधान) आपने की क्या प्रधानमंत्रीजी से बात ?

श्री अध्यक्ष : आपका नाम तो मैंने नहीं लिया। (व्यवधान) नेता, प्रतिपक्ष को सुनिए। कुछ नहीं सुनूंगी मैं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : एक बात तो सुनिए।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए, आप बैठिए।

श्री सी.डी. देवल : प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, बार-बार व्यवस्था की क्या बात हुई ? (व्यवधान) सदन की परम्पराओं को भंग कर रहे हैं ये।

श्री अध्यक्ष : मैं जब कह रही हूं तो आप बीच में क्या कह रहे हैं ? मैं कह रही हूं नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को शांतिपूर्वक सुनना चाहिए। जब आपके नेता बोल रहे थे तब यहां कोई नहीं बोला था और आपको बीचे में नहीं बोलना चाहिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : यह दो पंडितों की लड़ाई है, इसमें क्या करोगे आप। दो महान पंडितों की लड़ाई है, घनश्यामजी और कल्ला जी दो महान पंडित हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान न डालें। कंटीयू।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इंडस वाटर ट्रीटी के आधार पर राजस्थान को पानी मिला और इस पानी के बाद हमारे यहां राजस्थान में जो इन्दिरा गांधी कैनाल बनी उसमें 9 हजार किलोमीटर नहरें बन गई, करीब छह हजार गांवों को इससे पीने का पानी मिलेगा। 12 जिले इससे प्रभावित हैं, ऐसी सूरत में राजस्थान के तमाम निवासियों का हित इससे जुड़ा हुआ है और यह अभी वर्तमान में लगभग 17 लाख टन अनाज हमको दे रहे हैं। आने वाले समय में करीब 37 लाख टन अनाज हमको मिलेगा और हम केवल राजस्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे बल्कि हम अपने पड़ोसी राज्यों को भी अनाज दे सकेंगे। ऐसी स्थिति में हम सब लोगों को इससे जुड़े हुए विषयों के बारे में गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्रीजी ने अभी मीटिंग में इस बात के लिए खेद प्रकट किया कि सवेरे जो इनकी पार्टी के सदस्यों ने इस तरह का बिहेव किया वह सदन में मंत्रियों के द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : जब वे कह चुकी हैं तो क्यों दोहरा रहे हैं ? वह कह चुकी हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आई एम वेरी सॉरी, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यदि आप इसमें राजनीति लाएंगे तो फिर राजनीतिक चर्चा होगी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने राजनीति क्यों की है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई राजनीति नहीं हुई।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, नहीं, कोई नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप आपस में जो बातचीत हुई उसका उल्लंघन कर रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पूरा कर लूं, एक मिनट। इसको पूरा कर लूं मैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, यह क्लीयर था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपकी नेता खड़ी है, आप क्यों खड़े हैं, आपकी नेता खड़ी है। क्या करते हो ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : यह क्लीयर था। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्रीजी, एक मिनट। एक मिनट पूरा कर लूं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नहीं, नहीं। मेरी कोशिश रही है इस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट मसले को पोलिटिक्स के परे ले जाकर पूरे हाउस को साथ लेकर राजस्थान के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे ले जाने की बात करनी चाहिए और हर सम्भव (व्यवधान) और मेरा हर सम्भव प्रयास रहा है, चाहे विदिन दी हाउस, चाहे आउटसाइड दी हाउस, हमारा हर सम्भव प्रयास रहा है कि राजस्थान के इन हितों को लेकर हम और आप मिलकर आगे चलें, पूरा हाउस मिलकर चलें। पोलिटिक्स, राजनीति करना बड़ा आसान है, आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. पर हम तो चाहते हैं राजस्थान के बहुत जरूरी काम के ऊपर हम सब लोग मिलकर एक आवाज उठाएं ताकि राजस्थान के अन्दर और राजस्थान के लोगों के हितों के साथ कुठाराघात कोई और न कर सके।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इसी स्पिरिट के साथ हमने यह प्रस्ताव पारित किया था और उसी स्पिरिट से, अभी आपने जो वक्तव्य दिया, यह तरीका है सब हाउस को कांफीडेंस में लेकर चलना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पोस्टमार्टम क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय, आवश्यक नहीं है हर वक्त बोलना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हाउस को कांफीडेंस में लेकर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इससे राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं होगी। मैं चाहता हूं सर्वदलीय समिति, आपने बनायी है वह तत्काल प्रधानमंत्रीजी से, राष्ट्रपतिजी से मिले और मिलकर राजस्थान के पक्ष को रखें। हमारे यहा तीन तरह की लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कांकरिट लिस्ट। यह जो अभी पंजाब ने बिल पास किया है इसके ऊपर वहां के गवर्नर के दस्तख्त होंगे, फिर राष्ट्रपतिजी...

अनेक माननीय सदस्य : हो गये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पहले मेरे को बोलने नहीं देंगे। अभी राष्ट्रपतिजी के दस्तख्त हो गये क्या ? राष्ट्रपतिजी के दस्तख्त नहीं हुए हैं तब तक यह कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपतिजी के दस्तख्त जब तक नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

होंगे यह कानून नहीं बनेगा। क्या आपने राष्ट्रपतिजी से बात की ? उनसे समय लिया ? राष्ट्रपतिजी से इसको रूकवाना चाहिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं आपको यह बता दूं, मैं यह क्लीयर भी कर दूं कि अभी फर्स्ट स्टेज के अन्दर प्रधानमंत्रीजी से बात हो रही है, अभी-अभी प्रधानमंत्रीजी का यही पर्चा आया है-Ki Prime Minister is on the line and waiting to talk to me. So I will be talking to him just now about it.

डा. बुलाकीदास कल्ला : यही मैं कह रहा हूं कि हमको अपनी तरफ से हर तरीके से इसके बारे में बात करनी चाहिए। त्रिपक्षीय समझौते हुए हैं वे किसी एक राज्य से सम्बन्धित नहीं है उनमें सब राज्यों का हित जुड़ा हुआ है। आपको पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से भी बात करनी चाहिए। सबसे बातचीत करके इस मसले का (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : एक मिनट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप मुझे पहले बोलने दीजिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इसमें मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात की है पंजाब के चीफ मिनिस्टर से हम 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं सुबह, दोपहर, शाम, आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं लाइन तक पर नहीं आता है। लाइन तक पर नहीं आता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, आई आब्जेक्ट। सदन की नेता महोदय ने यह कहा कि आपका मुख्य मंत्री। पंजाब का मुख्य मंत्री बोलना चाहिए। यह क्या तरीका हुआ। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नेताजी विराजो। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपका तो भाषण हो गया क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बात बता दूं अगर नेता महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता को अपनी बात कहने दें। प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दें।

श्री सांवर लाल : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कुछ सवाल उठाये हैं आप चाहें तो मैं जवाब दूं आपका।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं।

श्री अध्यक्ष : डिबेट नहीं होगी इस पर।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : आपने तो उस दिन ही जवाब नहीं दिया था। आप सिर खुजा सकते हो जवाब नहीं दे सकते। आप गलतफहमी में मत रहो कि आप जवाब दोगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं। आप खड़े हो जाते हो यह क्या मतलब है ? (व्यवधान) यह स्थिति ठीक नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि आपके मुख्य मंत्री लाइन पर नहीं आते। हमारी मुख्य मंत्री तो वसुंधराजी हैं। उनको कहना चाहिए था पंजाब के मुख्य मंत्री। इस तरीके की भाषा बोलकर आप सदन को गुमराह करना चाहते हो। यह क्या भाषा हुई कि आपका मुख्य मंत्री। (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री माहिरजी।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कहना चाहिए कि पंजाब के मुख्य मंत्री। आपका मुख्य मंत्री। आप अपनी भाषा संयमिता रखें अगर हमारा सहयोग लेना चाहते हो तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, तय यह हुआ था। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हमारे राजस्थान को पानी नहीं मिल रहा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके मुख्यमंत्री लाइन पर नहीं आते हैं।

श्री सांवर लाल : क्या कहना चाहते हो ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं, नहीं, मि. माहिर आजाद, नगर से आने वाले माननीय सदस्य, क्या चाहते हैं ? राजस्थान को पानी नहीं मिले ? क्या आप कहना चाहते हो ? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं मेरी बात तो आसन से कह रहा हूं।

श्री सांवर लाल : नहीं, आप क्या चाहते हो ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समर्थन किया। (व्यवधान) आप और हम साथ हैं तो आपके लोग यह क्या वहां आप आरोप लगा रहे हो ? यहां आप और हम एक हैं, वहां वह एक हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोको। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम भी राजस्थान में एक होकर बात करें। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और उसके बाद सदन की कार्यवाही चालू होगी। इसमें कोई राजनीति न आये इस प्रकार का प्रयास किया गया लेकिन राजनीति.....

श्री अध्यक्ष : आप क्यों खड़े हैं ? आप क्यों खड़े हैं। (व्यवधान) मैं समय दूंगी आपको, आप बिराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की नेता महोदय आपको कहकर कि प्राइम मिनिस्टर लाइन पर हैं, प्रधान मंत्री लाइन पर हैं, बात करने गई हैं और आप इस विषय का क्या करना चाहते हैं ?

श्री ओम बिरला : माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के हितों के लिए प्रधान मंत्रीजी से बात करने गई हैं। यहां आप सब लोग भी, प्रधानमंत्री से बात करते राजस्थान के हितों में, राजस्थान के हितों का कुठाराघात हो रहा है, इस मामले में पूरा सदन एक है। (व्यवधान)

श्री डा. एन. एस. गुर्जर : उनका मतलब कांग्रेस के मुख्यमंत्री से था, यह मतलब था। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आपका क्यों कहा ? + + +

डा. बुलाकीदास कल्ला : इन्होंने तो यह कहा आपके मुख्यमंत्री और हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं। (व्यवधान) यह बार-बार यही हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : इसको कार्यवाही से निकलवाया जाए।

एक माननीय सदस्य : आपके ही मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और ये 20 खड़े हो जाते हैं, आखिर यह कब तक चलेगा ? (व्यवधान) आप उनको रोकती नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि माननीय सदस्यगण इतने गम्भीर विषय को जिस तरीके से शोर-शराबे के जरिये इसकी गम्भीरता को खतम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, कोई नियम नहीं हैं। विधान सभा अपने नियमों से चलती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे यह जानना चाहती हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह नेता बोल रहे थे तो भाषण में कोई नहीं बोला हमारे यहां से। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह व्यवस्था आपने चलाई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है, आप बैठे बैठे बोलने लगे, आसन पैरों पर है तो ध्यान नहीं, खड़े हो जाते हैं आप। बैठे बैठे बोलते हैं, यह कौन सा तरीका है आपका ? माननीय सदस्य, बिराजें, स्थान ग्रहण करिये।

एक माननीय सदस्य : + + +

एक अध्यक्ष : कुछ अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो। (व्यवधान) नो, नो, नो गलत बात है आपकी (व्यवधान) बैठे बैठे बोलते हैं, गलत बात है आपकी, आप बैठिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री अध्यक्ष : यह जिस किसी ने कहा था, एक सैकण्ड पहले, कह दूं, जिस किसी ने यह कहा कि +++ उसे एक्सपंज किया जाए। वह कहकर गई थी। लेकिन माननीय मुख्य सचेतकजी, आपको भी खामख्वाह में बार-बार खड़े होना आवश्यक आपके लिए नहीं है। नहीं, सुनिए, सुनिए लेकिन मैं प्रतिपक्ष से भी कहना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन के नियमों की न

(श्री अध्यक्ष)

तो जानकारी रखते, न ध्यान रखते हैं। यदि जानकारी रखते हैं तो ध्यान भी रखेंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए, आप जानकारी नहीं रखते, बैठिये, बैठिये। आप मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो, हां बैठ जाऊंगी, बात पूरी तो करने दीजिए क्योंकि जो जानकारी रखता है वह सदन के नियमों का ध्यान रखते उन्हीं के मुताबिक पालन भी करते हैं तो आप जब नहीं करते हैं तब तो मैं अपने मन में यह समझती हूं कि शायद आपको जानकारी नहीं है। आसन पैरों पर है, आप खड़े हैं, बैठे बैठे आप बोल रहे हैं। मैं समझती हूं प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए फिर आप वही बात कर रहे हैं। हां, आप फरमाइये, माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे। आपके नेता पूर्व मुख्य मंत्री बोल रहे हैं, आप बिराजें।

श्री शिवचरण माथुर : आपने जो जानकारी दी थी, महावीर जैन ने, तो आप आ गई हैं और यह कहा गया कि प्रधान मंत्री जी लाइन पर हैं। मैं समझता हूं कि वह आ गई हैं और मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अगर आवश्यक समझें माननीय मुख्य मंत्री जी प्रधान मंत्रीजी से अगर इस संदर्भ में बातचीत हुई है उनकी ऐसा लगता है। अगर बताने लायक कोई बात हो तो जिससे सिक्रेसी बन्द नहीं हो, बता दीजिए जिससे सदन भी आश्वस्त हो जाए कि प्रधान मंत्रीजी की इस बारे में क्या भावनाएं हैं। अगर वह मुनासिब समझें तो।

श्री अध्यक्ष : बता देंगे, प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात खतम कर लें, उनका भाषण समाप्त हो जाए, यदि उनके पास कोई इस तरह की जानकारी देना जो कि आवश्यक है तो वह जरूर देगी आपको। आप पहले पूरा कर लें। आपके प्रतिपक्ष के नेता खड़े हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवदेन यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह बात कही, आपके मुख्य मंत्री, यह पंजाब के मुख्य मंत्री कहना चाहिए, हमारी मुख्यमंत्री तो आप हैं। यह कहकर आप हमको कहां, क्या कहना है। एक तरफ आप सब का सहयोग लेना चाहती हैं। अगर हम भी यह कहें कि बी.जे.पी. के विधायक (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्तापक्ष के मुख्य सचेतक महोदय, अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री बंशीलाल खटीक : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह राजसमंद से आये हैं क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : × × ×

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को कृपया नियंत्रित करें, नियंत्रित करिये आप। यह देखिए, हर बात पर जवाब देने के लिए मुख्य मंत्रीजी हैं, आपके मुख्य सचेतक हैं, आपके मंत्री हैं, आप लोग यों ही बेकार में खड़े हो जाते हैं और अपनी बात कहने लग जाते हैं। यह परम्परा ठीक नहीं है। यह सदन के नियमों के वितरीत है। तो अब आप अपनी बात कहें, हां, बोलिए।

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपके सदस्य आपका ध्यान नहीं रखते।

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री रामप्रताप कासनिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपके सदस्य आपको अपना नेता ही नहीं समझते।

मोहम्मद माहिर आजाद : × × ×

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, अगर मुख्य मंत्री जी बोलें तो इनका स्पष्टीकरण दे दें।

श्री संयम लोढ़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आप अपने सदस्यों को पहले नियंत्रण में रखें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाइंट आफ़ आर्डर अलाउ किया है उन्होंने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि आपने अभी प्रबोधन कार्यक्रम चलाया था और आप अभी जब व्यवस्था दे रही थी यहां हाउस में खड़े होकर व्यवस्था दे रही थी।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये न।

श्री विष्णु मोदी : जब कोई बिजनेस ही नहीं है हाउस में तो पाइंट आफ आर्डर कैसे हो सकता है ? आप पहले पाइंट आफ आर्डर तो कोई बिजनेस चल रहा हो तो पाइंट आफ आर्डर होता है। How he can raise a point of order ? पाइंट आफ आर्डर है ही नहीं।

श्री अमराराम (धोद) : 269 में जो व्यवहार सदस्यों का है।

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर, कोई बिजनेस ही नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : जो व्यवहार सदस्यों का है अभी सदन के नेता जब आप आसन पर खड़ी होकर व्यवस्था दे रही थी। जब आप आसन पर खड़ी होकर व्यवस्था दे रही थीं और जब हमारी सदन की नेता ही इन परम्पराओं की अवहेलना करेंगी तो बाकी माननीय सदस्यों से क्या आशा कर सकते हैं हम। जब इस सदन के अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे रहे हों और वो बाहर से अन्दर आये, मैं समझता हूं कि फिर सदन की मर्यादाएं किसी भी रूप से चल नहीं पायेंगी इसलिए इस पर आप व्यवस्था दें जिससे इस सदन का सम्मान बढ़ सकें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो व्यवस्था का सवाल उठाकर जो अव्यवस्था का सवाल उठाया है...(व्यवधान) मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया और जिस प्रकार की एकता हमने प्रदर्शित की उसके बाद जिस प्रकार का माहौल आप बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं...(व्यवधान) सदन के नेता के प्रति और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि आप जब व्यवस्था देकर बैठ गई थीं और तब सदन की नेता महोदय बोल रही थीं उस समय आप खड़े नहीं थे तो उस समय प्राइम मिनिस्टर के लाइन पर होने से आप वहां पर गई उस

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

समय आप खड़ी भी नहीं थी। आसन पैरों पर नहीं था, नहीं था। फिर आपका टाइम...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आये जब थे। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे रहे थे तब सदन की नेता.....(व्यवधान) सचेतक महोदय, आपके कहने से नहीं होगा। सदन की नेता ने जब वापस हाउस में प्रवेश किया तब आप व्यवस्था दे रही थीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सदन की नेता महोदय अपना वक्तव्य देकर, अपनी बात कह कर...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की नेता राजस्थान के हितों की बात प्रधान मंत्रीजी से करने गई थीं। यह सदस्यों को विचार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन इस हाउस की परम्परा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस की परम्पराएं नेता महोदय को भी उतनी ही माननी पड़ेगी जितनी इस हाउस के किसी माननीय सदस्य को। सबसे पहले उस नेता के लिए है और नेता का हमारे मुख्य सचेतकजी यह कह कर बचाव करें कि हमारी नेता जब आ रही थीं अध्यक्ष महोदय विराजमान थीं बिलकुल असत्य है। ऐसा असत्य कह कर आप नेता महोदय की...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : सदन की नेता महोदय उस समय बोल रही थीं तब आसन पैरों पर नहीं था।

श्री अमराराम (धोद) : तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री ओम बिरला : उस समय आसन पैरों पर नहीं था। गलत तरीके से सदन में...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...और यह दुर्भाग्य की बात है कि नियमों का सहारा लेकर....(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, पूरा का पूरा हाउस बेमतलब उलझता जा रहा है।

श्री अमराराम (धोद) : ...ऐसे मंत्री नहीं बनने वाले हो। (व्यवधान) इतनी असत्य पेरवी करने से मंत्री नहीं बनने वाले हो। यह पूरा हाउस देख रहा है, माननीय सदस्य देख रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाउस बेमतलब उलझता जा रहा है। मूल बात तो जो पंजाब के निर्णय के कारण जो स्थिति हुई है उस पर चर्चा करने की है और हम आरोप लगाकर के, ऐसी चीजें करके बेमतलब की बातें कर रहे हैं, बेमतलब का समय खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी सचेतक महोदय ने कहा है...(व्यवधान) सदन की नेता महोदय स्वयं बता दे कि आप अन्दर आई थीं तब आसन पैरों पर था या नहीं।

श्री टीकम चन्द कान्त : हम सब एक हैं...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप चर्चा शुरू करवाइये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक राजनीति का सवाल है और प्रतिपक्ष के कई सदस्यों ने यह तय ही कर लिया है कि इसमें हम राजनीति करेंगे तो हमको कोई एतराज नहीं है। राजस्थान के पानी के मामले में आप एक संदेश नहीं देना चाहते तो हमको कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है, जिस भावना से...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या आप धमकी दे रहे हैं ? यह धमकी दे रहे हैं आप ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बार-बार सदन को स्थगित करके एक तरफ तो प्रतिपक्ष को विश्वास में लिया और इसका अनादर करते हुए सदन की नेता के ऊपर इस प्रकार उंगली उठाने का प्रयास किया गया, सदन की नेता को यह कहा गया कि सदन से भाग गई, सदन की नेता के लिए कहा गया कि उन्होंने अव्यवस्था फैलाई यदि यह इस प्रकार से...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : तो क्या आप धमकी दे रहे हो हमें ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ...कोई एतराज नहीं है। पानी का सवाल है, सरकार रक्षा करेगी। यह सरकार सब तरह से जिम्मेदार है। यदि आप पानी के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

मसले पर गम्भीर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार बात करना चाहें कर लें, यदि आप पानी के मसले पर गम्भीर नहीं है तो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करना चाहे तो कर लें मैं आपको खुली चुनौती देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : एक ही मुद्दे को बार-बार उठाकर क्या निकाल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां विधान सभा में......

श्री ओम बिरला : सकारात्मक चर्चा करें। आप चर्चा चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : जिस तरह का माहोल बना रही है, राजस्थान के हितों का...(व्यवधान) और राजनीति की जा रही है, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में...

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य यह एक नहीं हैं अध्यक्ष महोदय।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : ....और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस और बी.जे.पी. दोनों ने जिस प्रकार से अपनी राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को हल्का करने की कोशिश की है.....

डा. एन.एस. गुर्जर : इस चर्चा को आगे बढ़ाइये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान के हितों के लिए पानी की एक-एक बूंद के लिए पूरे सदन में एकजुटता होनी चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : चर्चा शुरू करवाइये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा : आज जब तब यह बात नहीं होगी तब तक हम अपना पूरा दबाव केन्द्र सरकार और पंजाब सरकार पर नहीं बना पायेंगे इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि दोनों पार्टियों को पाबन्द करके इस बात के लिए राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए इन सब को एकजुट होकर के काम

(श्री सुभाष चन्द्र शर्मा)

करना चाहिए। मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस व्यवस्था को आप बनायें नहीं तो सदन का समय भी बर्बाद होगा और राजस्थान की जनता के हितों की सुरक्षा भी नहीं हो पायेगी।

डा. एन.एस. गुर्जर : ठीक है, शुरू करवाओ साहब।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले आपने स्वयं ने इस आसन से फरमाया था कि मोहन लालजी सुखाडिया जब चीफ मिनिस्टर होते थे और जब आसन पैरों पर होता था तो मोहन लालजी सुखाडिया सदन से बाहर खड़े रहते थे। 10-10, 15-15 मिनट तक वो खड़े रहे हैं और वह उदाहरण भी आपने दिया था और आज जो पाइंट ऑफ आर्डर उठा है, मैं यह आग्रह नहीं करता कि इस पर आप कोई व्यवस्था दें, सदन की नेता ने इसको नोट कर लिया, हम सब ने नोट कर लिया इसलिए व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह आपने ही ता पाइंट आउट किया था दो दिन पहले कि सुखाडिया जी जैसे वरिष्ठ सदस्य, 17 साल तक वो मुख्य मंत्री रहे वो भी 10-10, 15-15 मिनट तक बाहर खड़े रहते थे। ठीक है, जो बात हो गई वह हो गई, इसको यहीं पर छोड़ा जाए। अध्यक्ष महोदय, आगे की कार्यवाही में लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : इस शोर-शराबे में this Chair got no eyes and no ears either to see or to hear. इसलिए बात खतम होती है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस बिल में भी पुनः राइपेरियन थ्योरी की बात की गई है जिसको हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं Rajasthan is a part of Indus basin. और इंडस वाटर ट्रीटी का आधार ही यह था कि हम इस इंडस वैली में आते थे इसके कारण स हमको यह पानी मिला। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं सदन के नेता महोदय को कि हमको तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपना कैवियट लगाना चाहिए और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो निरन्तर इसके बारे में इस चीज को वाच करते रहें कि कब-कब क्या स्टेप्स उठाने हैं और सभी लोगों से बातचीत करके हमारे हितों को जहां भी रखना हो, चाहे प्रशासनिक स्तर पर, चाहे लीगल स्तर पर हमको

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अपने हकों की रक्षा के लिए काम करना चाहिए और मैं पूरे सदन को आह्वान करना चाहता हूं कि –

"राजस्थान की खातिर लहू अपना बहाना फर्ज है
गोलियां सीने पर खाकर मुस्कुराना फर्ज है
आखिरी दम तक कदम आगे बढ़ाना फर्ज है
गौर कर इस पर, वतन का तू अगर जांबाज है
यह मेरी आवाज गोया पूरे राजस्थान की आवाज है।"

हम तो राजस्थान की स्पिरिट में काम करना चाहते हैं लेकिन आप लोग जो समझते नहीं हैं जो बीच-बीच में प्रश्न करते हैं और बातों को अलग बातों में लेकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज आपने नेता महोदय के शेर का जवाब दे दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का यह कहना कि सत्ता पक्ष समझता नहीं है, यह गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं। जिस स्पिरिट के अन्दर सारी बात को प्रारम्भ किया था, आज उस सारी स्पिरिट को खतम करना चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पंचों का कहना सिर माथे पर परनाला वहीं पर गिरेगा।

श्री अध्यक्ष : कुछ भी कहिये, नेता के कल के शेरों का जवाब तो दे दिया आज इन्होंने। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, हर बात बोलूं तो इनसे समझकर बोलूं, क्या तरीका है ? यह डिबेट का कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : पाइंट ऑफ आर्डर। यह एक्सपंज करिये। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : माथुर साहब इस विषय के विशेषज्ञ हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतनी जानकारी दूसरे सदस्यों को हो। लेकिन जो सदस्य

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

गम्भीरता से बोल रहे हों, आज हमने एक पाइंट उठाया कि जब से पौंग डैम 10 फीट खाली रहता आया है जब से भाखड़ा का डैम 5 फीट खाली रखने का निर्णय किया गया है तब से ये समस्याएं पैदा हुई हैं। इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। हमको वहां पर इफेक्टिव चीफ इंजीनियर्स को लगाना चाहिए। कुछ चीफ इंजीनियर्स ऐसे हैं, आप तालिका उठाकर देख लो, वहां साल में 6-6 महीने ही नहीं रहते। हमारे हितों की रक्षा कौन करेगा ? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बी.बी.एम.बी. में हमारे चीफ इंजीनियर्स हैं वो मजबूत हों, जानकार हों, अनुभवी हों, वहां रहे और आवश्यक रूप से हमारे हितों की रक्षा करें। हमारे जो पद वहां पर खाली पड़े हुए हैं सचिव पद के ऊपर, उनको भरने के लिए इनको कार्यवाही करनी चाहिए, तब जाकर के हम अपने हितों की रक्षा कर सकेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं और मेरा दल पूरी तौर पर.....

श्री अध्यक्ष : आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जिस तरीके से हमने शासकीय वक्तव्य पारित किया था, उसी भावना के साथ में जो वक्तव्य आज आपने दिया है, उस वक्तव्य में हम सम्मिलित हैं और राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए आपसे आगे बढ़कर काम करेंगे, कतई पीछे नहीं रहेंगे, यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, दो मिनट में।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदया, मैं भी एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले उनका नाम पुकार लिया मैंने।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो सदन की नेता और मुख्य मंत्रीजी ने जिस सतलज यमुना पानी के लिए. रावी-व्यास के पानी के लिए जो पंजाब ने कल विधेयक पास किया है, उसमें जो राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होने की बात कही है और जिसको लेकर, पंजाब की मंशा को लेकर सदन ने एक तारीख को एक संकल्प सर्वसम्मति से पास किया था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मुख्य मंत्रीजी से दो ही बातें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि एक तो एक तारीख के बांद में कल तक, यह विधेयक पास करने से पहले, जो

(श्री अमराराम)

इस सदन ने अपना मन्तव्य व्यक्त किया था, उसके अनुसार इस देश की सरकार के सामने राजस्थान के हकों को रखने के लिए राजस्थान की सरकार ने सबको शामिल करके क्या प्रयास किया है, एक तो वह बताने का कष्ट करें।

दूसरा, मेरा निवदेन है आपके माध्यम से चाहे सरकार राजस्थान की हो लेकिन वह किसी न किसी पार्टी की है, पंजाब में भी किसी न किसी पार्टी की है और बड़े दुःख की बात है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी एक स्टैण्ड रखते हैं और कांग्रेस और बीजेपी और बीजेपी के अलाइंस जो पंजाब में है, वहां पर पंजाब की विधान सभा में वे दूसरा अपना मन्तव्य रखते हैं तो दोनों पार्टी, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता ने क्या अपने सेन्टर के नेताओं से, क्योंकि दोनों नेशनल पार्टीज हैं, नेशनल व्यू होना चाहिए। यह नहीं है कि राजस्थान में पार्टी कांग्रेस है, वह केवल एक संकीर्ण दायरे में राजस्थान तक ही सीमित रहे। यह बात सही है कि राजस्थान के हितों पर कुठाराघात होता है तो निश्चित रूप से सबको राजनीति से ऊपर उठकर मिलना चाहिए लेकिन प्रतिपक्ष के नेता और सदन की नेता, भाजपा और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से भी क्या उन्होंने प्रयास किये हैं ? आज तक जो हमारी आजादी के पहले और बाद में निर्णय हुए हैं, उन पर इस तरह का कुठाराघात होता है और केवल राजनीति करने के लिए ही, इस पानी की राजनीति करने के लिए पंजाब जिस तरह से लगातार राजस्थान के हितों पर कुठाराघात करता रहा है, अभी एक-एक बूंद के लिए बड़े शेर हमारे प्रतिपक्ष के नेता भी सुना रहे हैं, कल हमारी सदन की नेता भी सुना रही थी लेकिन अफसोस है कि जब हमारे 6 एमएएफ वाटर के लिए हमें पूरा सिस्टम डवलप करने के बाद भी, कई साल हो गये आज तक आपकी भी सरकार रही और आपकी भी सरकार है, सब सिस्टम पूरा करने के बाद भी 6 एमएएफ पानी आज तक हम नहीं ले पाये...(व्यवधान) 0.6 एमएएफ पानी जो आज तक भी एम.बी.ए. पंजाब को 1985 के एग्रीमेंट से दिया था कि हमारा जब तक सिस्टम नहीं हो, तब तक वह हमारा पानी काम में ले लेकिन आज तक वह पानी हम सिस्टम डवलप करने के बाद में भी नहीं ले पाये हैं। जब बहुत पहले ही यह तय हो गया था कि जब तक रेगुलर हैड्स पर, बी.बी.एम.बी. का कब्जा नहीं होगा पंजाब का कब्जा रहेगा, राजस्थान के हित सुरक्षित नहीं होंगे। हमारे यहां दोनों, बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रह गई हैं, मैं तो कहना चाहूंगा कि

(श्री अमराराम)

आज तक राजस्थान के हकों को लेने में वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार दोनों निष्फल रही हैं, इसलिए आप पूरे सदन की और राजस्थान की जनता का भावना है कि सबको साथ लेकर, राजस्थान के हक पूरे हों और इस बात के लिए संघर्ष में कुछ करना है तो सम्पूर्ण सदन के रूप में भी राजस्थान के हक का एक-एक बूंद पानी लेने के लिए हम तैयार हैं लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट करें कि 11 दिन में जो पंजाब की भावना आ गई थी, उसमें राजस्थान के पक्ष को रखने के लिए सामूहिक रूप से राजस्थान की सरकार को जो प्रस्ताव के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से भावना और अधिकार दिया था, उसके प्रति राजस्थान की सरकार ने क्या किया 13 तारीख तक, यह बताने का कष्ट करें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, आपका क्या विचार है ?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, टू कीप द रिकार्ड...

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, बहस होने की बात तो नहीं है, कर चुके हैं आप बहस।

श्री सांवर लाल : नहीं, थोड़ा सा जवाब है। कुछ मुद्दे हैं, जो जानकारी चाहते हैं, वह दे देता हूं। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कुछ जानकारी चाही है, वह जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : वह यह फैसला हो गया था कि...

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान) आप बोलने दो ना मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने गलत जानकारी दी है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सिंचाई मंत्रीजी, मेरी बात सुनिये आप। माननीय सिंचाई मंत्रीजी, स्थान ग्रहण करें। मेरे कक्ष में पक्ष और विपक्ष के बीच में यह फैसला हुआ है, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कि मुख्य मंत्रीजी कहेंगी और बतायेंगी वस्तुस्थिति को, उसके बाद प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे और उसके बाद में यह विवाद समाप्त हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : विवाद था ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मतलब जो निर्णय है, यह बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मतलब चर्चा।

श्री अध्यक्ष : मतलब, उसके बाद कोई बहस नहीं होगी इस पर और यह पूरा का पूरा सदन सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंच गया है इसलिए अब कोई आगे विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कुछ जानकारी चाही है तो वह देना सरकार के लिए निहायत जरूरी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : वक्तव्य देने वाला जानकारी देगा, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं....... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अमरारामजी ने जानना चाहा है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, मंत्री तो वही हैं।

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं न कोई चर्चा कर रहा हूं, जो रिकार्ड पर गलत बात चली गई है इसलिए I want to just to keep on record. मैं न चर्चा कर रहा हूं, न कोई बात कह करा हूं, सिर्फ रावी-व्यास की, जो इंडस ट्रीटी की बात अभी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कही है और उसमें कहा कि हम गुणगान करेंगे, जरूर करो लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सिंध, चिनार, झेलम, रावी-व्यास-सतलज, तीन नदियां पाकिस्तान में गई उनका पानी है, 104 एम.ए.एफ. पानी है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह चर्चा ही नहीं हुई, मैंने रावी-ब्यास की बात कही है...(व्यवधान) रावी-व्यास-सतलज नदियां मिली हैं, उसके पानी की बात है...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जवाहर लाल नेहरू के दस्तखत थे और हिन्दुस्तान का हित नहीं साधा था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उसके सम्बन्धित पर वाद विवाद हुआ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप जबरदस्ती कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो बात है, जवाब तो दूंगा साहब। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है कि क्या किया 10-12 दिन में।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं, आप क्या चाहते हो ? नहीं, आपने खुद ने सवाल किया है, मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : जो सदन के नेता ने, मुख्यमंत्री ने जो बताया है, उससे अतिरिक्त बात है क्या आपके पास ?

श्री सांवर लाल : हां।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, सदन के नेता ने और मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ सदन में जानकारी दी है...(व्यवधान) आप नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। मैं आपसे निवदेन कर रही हूं सिंचाई मंत्रीजी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, सदन की नेता ने जो जानकारी सदन को दी है, उसके अतिरिक्त आपके पास कोई जानकारी है क्या ?

श्री सांवर लाल : हां।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं ऐसे तो हमारे लोगों के पास भी जानकारी है...हमारे पास भी जानकारी है।

श्री सांवर लाल : हां, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने कुछ सवाल उठाये है, उनका जवाब दे रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : वह जानकारी दी क्यों नहीं आपने इनको ?

एक माननीय सदस्य : कुछ जानकारी मैं भी दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आपसे। अध्यक्ष महोदय, 12 दिन में सरकार ने क्या किया, उसका जवाब देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा।

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। मंत्रीजी, आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल उठाया है कि 12 दिन में क्या किया, यह भी जवाब ले लीजिये आप। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि यहां पर संकल्प पारित होने के बाद.....

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है, आसन पैरों पर है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 12 दिन में जो किया, वह तो सुन लीजिये आप। हो-हो क्या करते हो आप, जवाब सुनना नहीं ? सुनने की क्षमता नहीं है क्या आप लोगों में ?

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है इस बात का कि सात माह पुरानी सरकार के.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। सिंचाई मंत्रीजी, सिंचाई मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : पानी की बात आ गई। कुछ सवाल प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने उठाये हैं।

श्री श्रवण कुमार : यह सात माह पुरानी सरकार में अनुशासन नाम का कोई बिन्दु नहीं है। आप टोक रहे हैं बार-बार, इस तरह से सदन पहले कभी चलता था क्या ? आज कोई मंत्री का ठिकाना नहीं, इनका कोई तरीका है क्या ? पांच करोड़ 70 लाख जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, क्या तरीका है यह ?

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है।

श्री श्रवण कुमार : इस तरह सदन चला है क्या ? ये बार-बार लोग खड़े हो जाते हैं। यह पांच करोड़ 70 लाख जनता सोच रही है यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपने कभी यह भी देखा कि क्या हो रहा है, पांच करोड़...(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर।

श्री श्रवण कुमार : यह किसानों को अपना नाम दर्ज कराने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं.....

श्री अध्यक्ष : आप किसलिए खड़े हैं ?

श्री विष्णु मोदी : पाइंट आफ आर्डर पर। बिजनस आ गया न। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं.

श्री अध्यक्ष : अब क्यों खड़े हैं आप ?

श्री श्रवण कुमार : मैं यह कहना चाहता हूं हम तो नहीं खड़े होना चाहते पर यह कोई तरीका थोड़े ही है.....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है कुछ भी।

श्री विष्णु मोदी : I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, नहीं, पहले बैठिये आप, मैंने आपका नाम पुकारा, आप सदन से अनुपस्थित थे। (व्यवधान) आप भविष्य में ध्यान रखेंगे। भविष्य में ध्यान रखेंगे आप, इस तरह से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। (व्यवधान) श्री राम नारायण डूडी।

श्री विष्णु मोदी : I am on a point of order Madam.

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी. राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री.....

श्री विष्णु मोदी : Madam Speaker, I am on a point of order. Under Rule 294 I am on a point of order.

श्री अध्यक्ष : आप रूल पढिये, मेरी समझ में नहीं आ रही बात....

श्री विष्णु मोदी : यस। आपने जो बिजनस पुकारा है उसके लिए मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर हूं। यह 294 में प्वाइंट आफ आर्डर जो यह अभी आपने स्टेट मिनिस्टर, फाइनेंस को कुछ पेपर ले डाउन करने के लिए यहां अभी पुकारा है नाम, मैं उसी इश्यू पर...(व्यवधान) आप जब तक मेरे को सुनेंगे नहीं तब तक क्या पता लगेगा आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अभी तो शुरू ही नहीं हुए।

श्री विष्णु मोदी : आप सुनिये। मैं यह जो पेपर ले डाउन आप..... (व्यवधान) स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो यह पेपर ले डाउन कर रहे हैं उसके ऊपर, उस प्रश्न के ऊपर आई एम ऑन ए पाइंट आफ आर्डर और मेरी जो... (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : कौन सा मिनिस्टर पुकार दिया..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री विष्णु मोदी : आप मेरे को सुन ही नहीं रही हैं तो अब क्या कहूं मैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं तो, क्या कह रहे हैं, इस शोर-शराबे में कैसे सूनूं मैं।

श्री विष्णु मोदी : हां, मुझे ध्यान है मैडम, हां, मुझे जानकारी है (व्यवधान) रूल्स की, आपने वीरेन्द्र मीणा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को यह पेपर ले डाउन करने के लिए नाम पुकारा है और उसके ऊपर मैं 294 में पाइंट आफ आर्डर पर खड़ा हूं और आप कोई सुन ही नहीं रहे हैं, मैं पाइंट आफ आर्डर पर इसलिए खड़ा हूं मैडम...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, कहिये, यह आपका क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री विष्णु मोदी : मैं बता रहा हूं आपको, आप सुनें तो सही तो मालूम पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन रही हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : कौन से नियम के तहत है ? कौन से नियम के तहत बोल रहे हैं आप ? कृपया नियम बतायें, कौन से नियम से उठा रहे हैं।

श्री सांवर लाल : नियम 294

श्री विष्णु मोदी : 294

श्री रामनारायण चौधरी : हां, बोलिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं पढ़कर सुनाऊं रूल। (व्यवधान) मैडम, यह तीन नम्बर पर अधिसूचना प.4(6) वित्त/कर, इसमें आप तारीख देखिये, 26-8-2003 को बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स को पचास प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में छूट। चौथे नम्बर पर 26-8-2003 को बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्टस को पचास प्रतिशत विद्युत शुल्क में छूट। पांचवें नम्बर पर बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लिमिटेड को पचास प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस में छूट। फिर छठे

(श्री विष्णु मोदी)

नम्बर पर बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लिमिटेड को केन्द्रीय बिक्री कर, सी.एस.टी. में छूट प्रदान। दस नम्बर पर हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट प्रदर्शनी/मेलों के आयोजन पर मनोरंजक कर में छूट। फिर सोलह नम्बर पर हसनैन पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, गजनेर रोड, बीकानेर को 27-9-2003 को। अठारह नम्बर पर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर।

श्री विष्णु मोदी : हां, मैं बोल रहा हूं, Let me complete. I know the rules, let me complete.

एक माननीय सदस्य : बैठ जाओ अब।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या मामला है यह प्वाइंट आफ आर्डर का...

श्री विष्णु मोदी : अठारह नम्बर पर...

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है यह। अधिसूचना पर काहे का पाइंट आफ आर्डर।

श्री विष्णु मोदी : अग्रवाल सेवा सदन, धौलपुर को, विकसित सिनेमाओं को उन्नीस नम्बर पर छूट, इक्कीस नम्बर पर 24-10-2003 को गुजरात अम्बूजा सीमेंट को छूट और....

श्री अध्यक्ष : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने आपके प्वाइंट आफ आर्डर को सुन लिया है...

श्री विष्णु मोदी : जी।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि यह अधिसूचनाएं जो हैं यह हमारे पास, सदन के पास आती है मंत्रालय के थ्रू, मंत्रीजी के थ्रू, आपका जो औचित्य का प्रश्न है कि छूट दी गई, क्यों दी गई, उस बारे में मंत्री जवाब दे सकते हैं, सदन में आसन जवाब नहीं दे सकता उनका।

श्री रामनारायण चौधरी : पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट करो।

श्री अध्यक्ष : इसलिए आपका पाइंट आफ आर्डर जो है इसे निरस्त किया जाता है.....

श्री विष्णु मोदी : मैडम, मैं आसन से ज़वाब नहीं मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : निरस्त किया जाता है।

श्री विष्णु मोदी : क्योंकि यह अधिसूचनाएं जब सदन में रख दी जायेंगी तो यह सदन की सम्पत्ति हो जायेगी। मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ यह कह रहा हूं चुनाव के सिर्फ दो महीने पहले.....

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह जवाब नहीं दे सकते।

श्री विष्णु मोदी : तीन महीने पहले जो राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ की गई है, जो यह चुनाव का पैसा इकट्ठा करने के अन्दर यह एक-एक इण्डस्ट्री को हर तरह की छूट दी गई है.....(व्यवधान) उसको कम से कम यह जब जवाब दें...

एक माननीय सदस्य : पाइंट आफ आर्डर में भाषण किस बात का हो रहा है माननीय अध्यक्षजी, माननीय अध्यक्षजी.....

श्री विष्णु मोदी : कि क्या राज्य हित के अन्दर यह जरूरी था जो कि इतनी इंडस्ट्रीज को चुनाव के तीन महीने पहले, चार महीने पहले इन्होंने करोड़ों रुपये की, अरबों रुपयों की जो छूट प्रदान की है...(व्यवधान) और यह यहां अभी रख देंगे मंत्री महोदय तो यह सदन की प्रोपर्टी हो जायेगी, तो यह सदन की सम्पत्ति बने उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : यह भाखड़ा के पानी से भी ज्यादा यह छूट..... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब इस पर कोई विचार, कैसे कोई रखने के तहत, कोई अलग से चर्चा हो तो हो सकती है....

श्री विष्णु मोदी : कि यह करोड़ों रुपये की छूट चुनाव के नाम पर दो महीने, तीन महीने पहले...व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं।

श्री विष्णु मोदी : इसका कोई जवाब दे कि यह करोड़ों रुपये की छूट किसलिए दी गई। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : वह बोल रहे हैं। He is in possession of the floor.

डा. एन.एस. गुर्जर : इनके बाद तो देओ आप।

श्री अध्यक्ष : प्रांगण उनके कब्जे में है, आप बीच में क्यों खड़े हुए ?

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्षजी, आज जो प्रश्न प्रश्नकाल में लगे हुए थे उनके बारे में क्या व्यवस्था दी है आपने, मैं जानना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्नकाल नैक्स्ट डेट पर, जो डेट जब तक के प्रश्न आ गये हैं, उसके बाद रख दिये जायेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : जी, शुक्रिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : अध्यक्षजी, जो माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वह तो है ही नहीं।

डा. एन.एस. गुर्जर : व्यवस्था का प्रश्न उठाया है न।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न तो निरस्त हो गया।

डा. एन.एस. गुर्जर : क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो निरस्त हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिन्होंने बजट लीक कर दिया, यह उसका नाम ले रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आप कहां थे ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप एक मिनट सुनिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, ठीक है।

श्री अमरा राम (धोद) : आप खोये हुए थे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बजट लीक कर दिया था पूरे का पूरा + + + आप लोगों को तब...(व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बैठो न। बैठ जाओ, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : खड़े होकर बोल रहे हो बजट लीक कर दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह तो टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य, वह निरस्त कर दिया गया है, वह निरस्त हो गया है।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप मुझे सुनें। नहीं, आप निरस्त करें लेकिन सुनें तो सही पूरा हमको भी। आप निरस्त कर दें। आप निरस्त करने से पहले सुनें तो सही।

श्री अमरा राम (धोद) : आप फिजीकली थे, मैटली कहां खोये हुए थे, अब इनको याद आया है।

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं हैं। अधिसूचनाएं हैं, इन पर जब विचार हो तब बात करिये, तब आप बोलियेगा।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट अगर मुझे कहने का अवसर दें, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट। मंत्रीजी, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कब पुकारा। (व्यवधान) मैंने पुकारा ही नहीं आपका नाम, मैंने आपका नाम नहीं पुकारा।

डा. एन.एस. गुर्जर : एक मिनट। एक मिनट।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिसने बजट लीक किया उसको बोल रहे हैं आप, बजट लीक करने वालों को।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने बजट लीक किया था या नहीं किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निरस्त हो गया, अब क्या बोलना चाहते हैं आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, अगला बिजनस लेओ न।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र मीणा, वित्त राज्य मंत्री, अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे। (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, यह अध्यक्षजी, अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें। अध्यक्षजी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : मैंने उनका नाम पुकार लिया।

डा. एन.एस. गुर्जर : नहीं, मैं आपसे परमीशन मांग रहा हूं और आप बीच में नाम पुकार रही हैं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-प.2(6)वित्त/कर-अनु/2003-82 दिनांक 11-8-2003 जिसके द्वारा खातेदारों से क्रय की गई भूमि के क्रेताओं के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित लीज डीड पर स्टाम्प शुल्क चार्ज किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-प.4(25)वित्त/कर-अनु/2003-83 दिनांक 25-8-2003 जिसके द्वारा दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीरजी पर आगन्तुक/तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन को करमुक्त किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-पार्ट/84 दिनांक 26-8-2003 जिसके द्वारा मै. बालाजी इण्डस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि. को 50 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
4. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-पार्ट/85 दिनांक 26-8-2003 जिसके द्वारा मै. बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि. को 50 प्रतिशत विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
5. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-पार्ट/86 दिनांक 26-8-2003 जिसके द्वारा मै. बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि. को 50 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।
6. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-पार्ट/87 दिनांक 26-8-2003 जिसके द्वारा मै. बालाजी इण्डस्ट्रीज प्रोडक्ट्स लि. को केन्द्रीय विक्रय कर (सीएसटी) में छूट प्रदान की गई है।
7. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2001/88 दिनांक 27-8-2003 जिसके द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैक्टर इंवेस्टमेंट प्रोग्राम के अधीन की गई खरीद पर विक्रय कर में छूट प्रदान की गई है।
8. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/87-89 दिनांक 29-8-2003 जिसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं कैंटीन स्टोर्स द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

9. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/87/90 दिनांक 29-8-2003 जिसके द्वारा कैंटीन स्टोर्स विभाग द्वारा क्रयों पर आंशिक छूट प्रदान की गई है।

10. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर/95-पार्ट-91 दिनांक 29-8-2003 जिसके द्वारा हैण्डलूम हैण्डीक्राफ्ट पदर्शनी/मेलों के आयोजन पर मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

11. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-92 दिनांक 8-9-2003 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर विभाग के बकाया कर से सम्बन्धित प्रशमन योजना लागू की गई है।

12. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-93 दिनांक 12-9-2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(68)वित्त/कर/99-270 दिनांक 24-1-2000 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-94 दिनांक 12-9-2003 जिसके द्वारा मै. अयूर हर्बल कोस्मेटिक द्वारा विक्रय किये गये माल पर केन्द्रीय विक्रय कर की दर 1 प्रतिशत की गई है।

14. अधिसूचना संख्या-प.4(6)वित्त/कर-अनु/2003-95 दिनांक 12-9-2003 जिसके द्वारा मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा बाहर से लाये गये पूंजीगत माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

15. अधिसूचना संख्या-प.14(6)वित्त/कर-अनु/98-96 दिनांक 25-9-2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.14(8)वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 7-4-1998 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या-प.2(14)वित्त/कर/2003-97 दिनांक 27-9-2003 जिसके द्वारा हसनैन पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, गजनेर रोड, बीकानेर द्वारा खरीदशुदा भूमि को विक्रय विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी से शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

17. अधिसूचना संख्या-प.4(31)वित्त/कर-अनु/2003-98 दिनांक 27-9-2003 जिसके द्वारा मै. इंस्ट्रूमेंटेशन लि. कोटा को उनके द्वारा विक्रय किये जाने वाले माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की दर एक प्रतिशत निर्धारित की गई है।

18. अधिसूचना संख्या-प.8(12)वित्त/कर/2003-99 दिनांक 27-9-2003 जिसके द्वारा अग्रवाल सेवा सदन धोलपुर को दान स्वरूप दी गई भूमि के दस्तावेज पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

19. अधिसूचना संख्या-प.10(14)वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-100 दिनांक 27-9-2003 जिसके द्वारा नवीनीकृत/ मरम्मत/विकसित सिनेमा के लिए रेमिसन स्कीम जारी की गई है।

20. अधिसूचना संख्या.प.10(2)वित्त/कर-अनु/2003-101 दिनांक 27-9-2003 जिसके द्वारा मनोरंजन कर की प्रशमन योजना, 2003 जारी की गई है।

21. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर-अनु/2002-102 दिनांक 24-10-2003 जिसके द्वारा मै. गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि. को दिनांक 26-3-2006 तक बिक्री कर से छूट प्रदान की गई है।

22. अधिसूचना संख्या-प.14(8)वित्त/कर-अनु/98-103 दिनांक 24-10-2003 जिसके द्वारा मै. भोले बाबा मिल्क फूड इण्डिया लि. के द्वारा विक्रय किये जाने वाले माल पर बिक्री कर से छूट प्रदान की गई है।

23. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/2003-104 दिनांक 24-10-2003 जिसके द्वारा मै. अयूर हर्बल कॉस्मेटिक प्रा.लि. को स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई है।

24. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/2003-105 दिनांक 24-10-2003 जिसके द्वारा मै. अयूर हर्बल कॉस्मेटिक प्रा.लि. को रजिस्ट्रेशन फीस में छूट प्रदान की गई है।

25. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003-106 दिनांक 26-12-2003 जिसके द्वारा मुद्रांक प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क बाबत् विशेष राहत योजना, 2003 जारी की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

26. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003-107 दिनांक 26-12-2003 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर-अनु/98-पार्ट-108 दिनांक 26-12-2003 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विक्रीत भूखण्डों के हस्तांतरण के इकरारनामे/पॉवर ऑफ एटार्नी की अवधि दिनांक 31-3-2004 तक बढ़ाई गई है।

28. अधिसूचना संख्या-प.4(22)वित्त/कर-अनु/2000-पार्ट-109 दिनांक 31-12-2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर-अनु/2003-213 दिनांक 5-3-2003 को विखण्डित किया गया है।

29. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003-110 दिनांक 14-1-2004 जिसके द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप धारा(1) के खण्ड(क) के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित कतिपय प्रभार्य शुल्कों को घटाया गया है।

30. अधिसूचना संख्या-प.2(11)वित्त/कर/2003-111 दिनांक 14-1-2004 जिसके द्वारा आर्टिकल 9 के तहत अप्रेन्टिसशिप डीड पर तथा आर्टिकल 41 के तहत फसल के बंधक पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या-प.10(14)वित्त/कर-अनु/97-पार्ट-112 दिनांक 14-1-2004 जिसके द्वारा मनोरंजन कर की दर 1-4-2004 से 50 प्रतिशत की गई है।

32. अधिसूचना संख्या-प.4(5)वित्त/कर-अनु/91-पार्ट-113 दिनांक 14-1-2004 जिसके द्वारा पूर्व में जारी कतिपय अधिसूचनाओं को विखण्डित कर व्यवसायिक कर समाप्त किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या-प 4(39)वित्त/कर/94-114 दिनांक 27-1-2004 जिसके द्वारा मिनी सीमेंट्स को ऋण राहत योजना में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-115 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा रजिस्टर्ड डीलर्स को राज्य की विद्युत इकाइयों को उनके उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण में प्रयुक्त सामान पर देय कर में की छूट समयावधि में वृद्धि दिनांक 31-3-2005 तक बढ़ाई गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

35. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-116 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-220 दिनांक 30-4-99 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-117 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(7)वित्त/कर-अनु/98 दिनांक 2-5-2001 में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-118 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-289 दिनांक 30-3-2000 में संशोधन किया गया है।

38. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-119 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-290 दिनांक 30-3-2000 में संशोधन किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-120 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-29 दिनांक 30-3-2000 में संशोधन किया गया है।

40. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-121 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-22 दिनांक 29-3-2001 में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-122 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-144 दिनांक 22-3-2002 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-123 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-292 दिनांक 30-3-2000 में संशोधन किया गया है।

43. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-124 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-27 दिनांक 29-3-2001 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

44. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-125 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(58)वित्त/कर-अनु/98-126 दिनांक 2-1-2002 में संशोधन किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-126 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-152 दिनांक 22-3-2002 में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-127 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-177 दिनांक 22-3-2002 में संशोधन किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-128 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-106 दिनांक 12-11-2001 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-129 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर-अनु/99-249 दिनांक 13-11-99 में संशोधन किया गया है।

49. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-130 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(74)वित्त/कर-अनु/96-224 दिनांक 10-3-2003 में संशोधन किया गया है।

50. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-131 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(23)वित्त/कर-अनु/97-48 दिनांक 10-6-2003 में संशोधन किया गया है।

51. अधिसूचना संख्या-प.4(20)वित्त/कर-अनु/2004-132 दिनांक 1-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-28 दिनांक 29-3-2001 में संशोधन किया गया है।

52. अधिसूचना संख्या-प.4(69)वित्त/कर-अनु/95-पार्ट-133 दिनांक 17-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(69)वित्त/कर-अनु/95-139 दिनांक 31-3-97 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

53. अधिसूचना संख्या-प.4(2)वित्त/कर-अनु/2000-पार्ट-134 दिनांक 17-2-2004 जिसके द्वारा खल के क्रय-विक्रय को निर्धारित अवधि तक कर में छूट प्रदान की गई है।

54. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर-अनु/98-135 दिनांक 23-2-2004 जिसके द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(ख)(1) में दस्तावेज के रूपान्तरणों पर पट्टे जारी करने पर मुद्रांक शुल्क 100/- रूपये किया गया है। पर कन्वेंस की दर से देय मुद्रांक कर का परिहार कतिपय शर्तों के अधीन किया गया है।

55. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर-अनु/98-136 दिनांक 23-2-2004 जिसके द्वारा जे.डी.ए. द्वारा भूमि के विक्रय, इकरारनामें, मुख्तयारनामे या अन्य दस्तावेज पर कन्वेंस की दर से देय मुद्रांक कर का परिहार कतिपय शर्तों के अधीन किया गया है।

56. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/2002-पार्ट-5-137 दिनांक 23-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर-अनु/02-176 दिनांक 13-2-2003 में संशोधन किया गया है।

57. अधिसूचना संख्या-प.4(10)वित्त/कर/2002-पार्ट-5-138 दिनांक 23-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर-अनु/02-47 दिनांक 13-5-2002 में संशोधन किया गया है।

58. अधिसूचना संख्या-प.2(12)वित्त/कर/2003-139 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा स्टाम्प ड्यूटी नकद के स्थान पर चालान या ड्राफ्ट द्वारा जमा कराने सम्बन्धि संशोधन किया गया है।

59. अधिसूचना संख्या-प.8(6)वित्त/कर/2003-140 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर की ब्याज व पैनल्टी को कर मुक्त किया गया है।

60. अधिसूचना संख्या-प.4(43)वित्त/कर-अनु/2002-141 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा टैक्सटाइल को प्रवेश कर से मुक्त किया गया है।

61. अधिसूचना संख्या-प.4(43)वित्त/कर-अनु/2002-142 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-261 दिनांक 15-1-2000 में संशोधन किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

62. अधिसूचना संख्या-प.4(39)वित्त/कर-अनु/96-143 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा ग्वार गम को 13-8-2002 से 4-10-2002 तक कतिपय शर्तों के अंतर्गत कर में छूट प्रदान की गई है।

63. अधिसूचना संख्या-प.4(39)वित्त/कर-अनु/96-144 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा ग्वार गम के निर्यात को विक्रीत किये जाने हेतु 22-3-2002 से 16-10-2002 तक कतिपय शर्तों के अन्तर्गत प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

64. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97-145 दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23-2-98 में संशोधन किया गया है।

65. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/94-पार्ट-146 दिनांक 31-3-2004 जिसके द्वारा तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल/उत्तराधिकारी कम्पनियों द्वारा निष्पादित लीज हस्तांतरण पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क की राशि को कतिपय शर्तों के अंतर्गत परिहार किया गया है।

66. अधिसूचना संख्या-प.2(4)वित्त/कर-अनु/94-1 दिनांक 16-4-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.2(15)वित्त/कर/98 दिनांक 14-8-1998 में संशोधन किया गया है।

67. अधिसूचना संख्या-प.2(1)वित्त/कर/94-पार्ट/2 दिनांक 23-4-2004 जिसके द्वारा सोडामाला जिला जैसलमेर में 25 एम.डब्ल्यू. विण्ड पॉवर प्रोजेक्ट स्थापना के लिए 88.90 करोड़ के उपकरणों पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट प्रदान की गई है।

68. अधिसूचना संख्या-प.8(13)वित्त/कर/2002/3 दिनांक 17-5-2004 जिसके द्वारा बी.के.स्टेडियम, जोधपुर को दिनांक 31-3-2003 तक भूमि एवं भवन कर में छूट प्रदान की गई है।

69. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-पार्ट-4 दिनांक 20-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विक्रीत/आबटित आवास के पश्चातवर्ती हस्तांतरण के सम्बन्ध में इकरारनामा एवं पॉवर ऑफ अटार्नी पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अवधि दिनांक 31-8-2004 तक बढ़ाई गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

70. अधिसूचना संख्या-प.2(22)वित्त/कर/2003-5 दिनांक 20-5-2004 जिसके द्वारा ऋण के समनुदेशन (डेप्ट असाइंमेंट) के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क 0.5 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है।

71. अधिसूचना संख्या-प.4(33)वित्त/कर/87-6 दिनांक 24-5-2004 जिसके द्वारा रक्षा सेवा के अधिसकारियों द्वारा केन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट से खरीदे गये वाहनों पर कतिपय शर्तों के अंतर्गत प्रवेश कर छूट प्रदान की गई है।

72. अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर/97-7 दिनांक 24-5-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.1(12)वित्त/कर-अनु/97 दिनांक 23-2-98 में संशोधन किया गया है।

73. अधिसूचना संख्या-प.4(49)वित्त/कर/97-8 दिनांक 24-5-2004 जिसके द्वारा काली अरण्डी को दिनांक 29-3-2001 से 31-1-2003 तक अतिरिक्त 2 प्रतिशत कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

74. अधिसूचना संख्या-प.4(53)वित्त/कर/2004-9 दिनांक 25-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किया गया है।

75. अधिसूचना संख्या-प.5(1)वित्त/कर-अनु/95-10 दिनांक 26-5-2004 जिसके द्वारा श्री पी.के. भाटिया, आर.एच.जे.एस. को राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर का सदस्य नियुक्त किया गया है।

76. अधिसूचना संख्या-प.2(3)वित्त/कर/98-11 दिनांक 27-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 1(3) के अनुसार इस अधिनियम को दिनांक 27-5-2004 से लागू किया गया है।

77. अधिसूचना संख्या-प.5(2)वित्त/कर197-12 दिनांक 8-6-2004 जिसके द्वारा श्री विपिन भटनागर, अतिरिक्त आयुक्त, वा.क.वि. को राजस्थान कर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

78. अधिसूचना संख्या-प.16(3)वित्त/कर-अनु/2004-13 दिनांक 9-6-2004 जिसके द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर को कतिपय क्षेत्रों व माल पर संविदा के आधार पर कर संग्रहण किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

79. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-14 दिनांक 9-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल के भूखण्ड पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख(1) के अंतर्गत इकरारनामा/मुख्त्यारनामा पर बाजार दर की बजाय आंकी गई राशि पर कन्वेंस की दर वसूल की गई है।

80. अधिसूचना संख्या-प.2(26)वित्त/कर/98-15 दिनांक 9-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ख(1) के अंतर्गत इकरारनामे/मुख्त्यारनामें या अन्य दस्तावेज के अधीन रूपान्तरण आदेश के पट्टे पर मुद्रांक कर 100/- रुपये निर्धारित किया गया है।

81. अधिसूचना संख्या-प.2(10)वित्त/कर-अनु/2002-16 दिनांक 11-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 जारी किये गये है।

82. अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/97-17 दिनांक 15-6-2004 जिसके द्वारा राजफेड/नेफेड द्वारा रबी वर्ष 2004 के दौरान भारत सरकार की योजनान्तर्गत राज्य में 2000 मी.टन जीरा व 2000 मी.टन धनिया की खरीद पर क्रय कर से छूट प्रदान की गई है।

83. अधिसूचना संख्या-प.7(1)वित्त/कर/3-18 दिनांक 16-6-2004 जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को भूमि एवं भवन कर निर्धारण एवं वसूली के लिए अधिकृत किया गया है।

84. अधिसूचना संख्या-प.2(6)वित्त/कर/2003-19 दिनांक 22-6-2004 जिसके द्वारा निजी आवासीय योजना में भूखण्ड हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में रियायत दी गई है।

85. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-22 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-163 दिनांक 22-3-2002 को अतिष्ठित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

86. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-23 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा कतिपय माल के क्रय या विक्रय को कर से छूट प्रदान की गई है।

87. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-24 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(37)वित्त/कर-अनु/98-72 दिनांक 1-8-1998 को विखण्डित किया गया है।

88. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-25 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(12)वित्त/कर-अनु/2001-37, 38 दिनांक 1-5-2003 एवं अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-पार्ट-59 दिनांक 28-6-2003 को विखण्डित किया गया है।

89. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-26 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-159 दिनांक 22-3-2002 को अतिष्ठित किया गया है।

90. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-27 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(30)वित्त/कर-अनु/2002-160 दिनांक 22-3-2002 को अतिष्ठित किया गया है।

91. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-28 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान में उद्योग स्थापित करने हेतु पूंजीगत माल के विक्रय को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है।

92. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-29 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में किसी उद्योग में कोई अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला स्थापित करने के उपयोग में लिये गये, खपने वाली सामग्री से भिन्न उपकरणों और उपस्करों के विक्रय को सशर्त कर से छूट प्रदान की गई है।

93. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-30 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा चूना पत्थर या मारबल छीजत पर आधारित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय को सशर्त छूट प्रदान की गई है।

94. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-31 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा एलएनजी के विक्रय को कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

95. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर-अनु/2004-32 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-246 दिनांक 15-10-1999 को अतिष्ठित किया गया है।

96. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-33 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर-अनु/2003-42 दिनांक 19-5-2003 को अतिष्ठित किया गया है।

97. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-34 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत इकाइयों को, अभ्यास पुस्तिकाओं के विनिर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार के कागज के सम्बन्ध में संदेय कर से छूट प्रदान की गई है।

98. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-35 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-261 दिनांक 15-1-2000 को विखण्डित किया गया है।

99. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-36 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स के, राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 2 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

100. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-37 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित एसीएसआर कण्डक्टर्स के राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 2 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

101. अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-38 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित ट्रांसफार्मरों के राज्य में कारबार में ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 2 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

102.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-39 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित बिजली के तार और केबल के राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 1 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

103.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-40 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित कास्ट आयरन कास्टिंग के राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्क के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 1 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

104.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-41 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित हस्तनिर्मित कारपेट के राज्य में कारबार क ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर में छूट प्रदान की गई है।

105.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-42 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किया गया है।

106.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-41 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(4)वित्त/कर-अनु/99-227 दिनांक 7-5-1999 को अतिष्ठित किया गया है।

107.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-44 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा स्टोन क्रेशर के लिए प्रशमन स्कीम, 2004 अधिसूचित की गई है।

108.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-45 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं के अधीन कर के प्रशमित उद्ग्रहण के फायदों के लिए विकल्प देने के लिए अन्यथा पात्र कोई व्यवहारी/स्वत्वधारी इन स्कीमों के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करने के लिए किसी भी शास्ति या ब्याज का दायित्व उपगत किये बिना 30-9-2004 तक हकदार होगा।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

109.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-46 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा किसी होटल में राजनयिक उन्मुक्ति का उपभोग करने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये विलासों के सम्बन्ध में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

110.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-47 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-310 दिनांक 30-3-2000 को अतिष्ठित किया गया है।

111.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-48 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान विनिवेश संवर्धन नीति, 2003 में यथा-परिभाषित रूग्ण औद्योगिक इकाइयों के सम्बन्ध में कतिपय संशोधन किया गया है।

112.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-49 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(46)वित्त/कर/ग्रुप-4/84 दिनांक 12-12-1989 को विखण्डित किया गया है।

113.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-50 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(1)वित्त/कर-अनु/2000-21 दिनांक 28-6-2004 में संशोधन किया गया है।

114.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-51 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा किसी भी प्रयोजन के लिए स्व:उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क की दर 12-7-2004 से 25 पैसे प्रति यूनिट नियत की गई है।

115.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-52 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा केप्टिव जनरेटिंग प्लांट या केप्टिव जनरेटिंग सैट्स के सम्बन्ध में जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 125 केवीए से कम है, स्व:उत्पादित ऊर्जा के उपभोग पर संदेय विद्युत शुल्क का परिहार किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

116.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-53 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.4(25)वित्त/ग्रुप-4/92-पार्ट-2-20 दिनांक 28-9-1995 में संशोधन किया गया है।

117.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-54 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राज्य में विनिर्मित हैण्पम्प और पुर्जे के, राज्य में कारबार के ऐसे किसी भी स्थान से अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में उसके द्वारा किये गये विक्रयों के सम्बन्ध में संदेय कर को सशर्त 2 प्रतिशत की दर संगणित किया गया है।

118.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-55 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा सीईटीपी की स्थापना के प्रयोजनार्थ रीको या किसी भी औद्योगिक संगम के लिए अर्जित/उसको आबटित भूमि के लिए निष्पादित हस्तांतरण विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

119.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-56 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा 31-3-2005 तक निष्पादित और रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत लिखतों पर स्टाम्प शुल्क 11 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया है।

120.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-57 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के अनुच्छेद 1 के अधीन अभिस्वीकृति लिखत, अनुच्छेद 21 अधीन मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के लिए निष्पादित विक्रय प्रमाण-पत्र और अनुच्छेद 22 के अधीन प्रति या उद्धरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

121.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-58 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा सगे भाई, पुत्र, पौत्र, पिता और पति के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के दान विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, सम्पत्ति के बाजार मूल्य के 11 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है।

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

122.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-59 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा तीन या तीन से अधिक मंजिले किन्हीं भवनों में सनिर्मित फ्लेटों या उनके भाग के या एक मंजिल या उसके किसी भाग के अंतरण के लिए हस्तांतरण विलेख के निष्पादन पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क कम किया गया है।

123.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-60 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा स्टाम्प शुल्क हेतु एमनेस्टी स्कीम पुन:स्थापित की गई है।

124.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-61 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा औद्योगिक भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में पूर्ण छूट स्कीम-I अधिसूचित की गई है।

125.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-62 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा औद्योगिक भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण छूट स्कीम-II अधिसूचित की गई है।

126.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-63 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा औद्योगिक भूमि एवं भवन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण छूट स्कीम-III अधिसूचित की गई है।

127.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-64 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा भूमि या भवन या दोनों के सम्बन्ध में नयी प्रशमन स्कीम-I जुलाई, 2004 अधिसूचित की गई है।

128.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-65 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा भूमि या भवन या दोनों के सम्बन्ध में नयी प्रशमन स्कीम-II जुलाई, 2004 अधिसूचित की गई है।

129.अधिसूचना संख्या-प.4(67)वित्त/कर/2004-65 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा कतिपय माल के खुदरा मूल्य में प्रतिशत के रूप में कमी अनुज्ञात की गई है।

130.अधिसूचना संख्या-प.4(40)कृषि/ग्रुप-2/98 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किया गया है।

131.अधिसूचना संख्या-प.4(40)कृषि/ग्रुप-2/98 दिनांक 12-7-2004 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-प.15(10)कृषि/ग्रुप-2बी/90 एसओ-131 दिनांक 27-9-1991 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण डूडी राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेगें।

राजस्व विभाग

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

1. अधिसूचना संख्या-प.10(2)राज-6/2000/पार्ट-II/21 दिनांक 29-8-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-प.6(48)राज-6/01/पार्ट/22 दिनांक 29-9-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ताएं एवं सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.10(8)राज-6/2001/23 दिनांक 12-9-2003 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-प.10(8)राज-6/2001/24 दिनांक 23-9-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।
5. अधिसूचना संख्या-प.6(48)राज-6/01/पार्ट/25 दिनांक 23-9-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (अध्यक्ष और सदस्यों की अहर्ताएं एवं सेवा शर्तें) नियम, 1971 में संशोधन किया गया है, का हिन्दी रूपान्तरण प्रकाशित किया गया है।
6. अधिसूचना संख्या-प.6(5)राज-6/2001/26 दिनांक 6-10-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।
7. अधिसूचना संख्या-प.6(54)राज-6/2001/27 दिनांक 6-10-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का सिनेमा घर, पेट्रोल पम्प व चिकित्सा सुविधाओं हेतु आबंटन, संपरिवर्तन व नियमितीकरण) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

8. अधिसूचना संख्या-प.6(54)राज-6/2001/28 दिनांक 6-10-2003 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या-प.13(1)राज-6/2000/29 दिनांक 6-11-2003 जिसके द्वारा श्री जगदीश चन्द्र महन्ती, सदस्य राजस्व मण्डल, अजमेर को अनुसूचित क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिए साहूकार महापंजीयक नियुक्त किया गया है।

10. अधिसूचना संख्या-प.6(5)राज-6/01/31 दिनांक 20-11-2003 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या-प.6(54)राज-6/01/2 दिनांक 7-2-2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का सिनेमा घर, पेट्रोल पम्प व चिकित्सा सुविधाओं हेतु आबंटन, संपरिवर्तन व नियमितीकरण) नियम, 1978 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या-प.6(54)राज-6/2001/3 दिनांक 7-2-2004 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

13. अधिसूचना संख्या-प.10(2)राज-6/2000/पार्ट-II/8 दिनांक 24-3-2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या-प.10(6)राज-6/98/11 दिनांक 3-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या-प.9(21)राज-6/02/12 दिनांक 4-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर को लिंक आफिसर मनोनीत किया गया है।

(श्री रामनारायण डूडी)

उपनिवेशन विभाग

1. अधिसूचना संख्या प.4(3)उप/99 दिनांक 27-4-2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंगानगर भूमि स्थायी आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प.4(2)उप/99 दिनांक 13-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नरपत सिंह राजवी।

उद्योग विभाग

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-आर.एफ.सी./एफ.पी.ए.-23(16) दिनांक 11-12-2003 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-आर.एफ.सी./एफ.पी.ए.-23(29) दिनांक 11-12-2003 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन्स, 1958 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-आर.एफ.सी./एफ.पी.ए.-23(2) दिनांक 2-1-2004 जिसके द्वारा राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन (पेमेंट आफ ग्रेच्यूटी टू एम्पलोइज) रेग्यूलेशन्स, 1975 एवं राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन एम्पलोइज पेंशन रेग्यूलेशन्स, 1990 में संशोधन किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-आर.एफ.सी./एफ.पी.ए.-23(2) दिनांक 31-3-2004 जिसके द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2-1-2004 के सम्बन्ध में शुद्धि पत्र जारी किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री युनुस खान, परिवहन मंत्री।

परिवहन विभाग

श्री युनुस खान (परिवहन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार...

श्री अध्यक्ष : यह किसका मोबाइल बजा ?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह राठौड़ साहब का बज रहा है। राठौड़ साहब, आप क्या सिखाओगे हमें, मोबाइल लेकर आते हैं आप, आपकी जेब में बज रहा है मोबाइल।

श्री अध्यक्ष : यह किसकी घंटी बजी मोबाइल की। कल से सब के मोबाइल वहीं पर बंद कर दिये जायेंगे, किसी के मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए, और अगर किसी की बजेगी तो उसका जब्त भी किया जायेगा। ऑफ करके बैठियेगा और किसी की घंटी बजी तो जब्त किया जायेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : यस।

श्री युनुस खान (परिवहन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-एफ.6(262)परि/कर/मु. 2001 दिनांक 20-2-2004 जिसके द्वारा वतानुकूलित यात्री बस को विशेष पथकर में कतिपय शर्तों के अंतर्गत 50 प्रतिशत की रियायत दी गई है।
2. अधिसूचना संख्या-एफ.6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98 दिनांक 27-3-2004 जिसके द्वारा चुनाव में अधिग्रहित मंजिली वाहनों को विशेष पथकर में छूट प्रदान की गई है।
3. अधिसूचना संख्या-एफ.6(229)परि/कर/एम्बुलेंस/97 दिनांक 24-5-2004 जिसके द्वारा महावीर कैंसर चिकित्सालय, जयपुर की वैन को कतिपय शर्तों के अन्तर्गत करमुक्त किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या-एफ.6(77)परि/कर/मु./2004 दिनांक 19-6-2004 जिसके द्वारा जैन श्वेताम्बर नाकोडा तीर्थ के दो वाहनों को कतिपय शर्तों के अन्तर्गत कर में छूट दी गई है।
5. अधिसूचना संख्या-एफ.7(4)परि/रूल्स/एच.क्यू./पार्ट II दिनांक 28-2-2004 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल सैनी, कृषि मंत्री।

पशुपालन विभाग

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.5(8)ए.एच./97 दिनांक 28-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम, 1958 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे, खनिज मंत्री।

खनिज विभाग

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (खनिज मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या-प.5(5)खान/ग्रुप-2/96-पार्ट दिनांक 19-5-2004 जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या-प.15(5)खान/ग्रुप-2/96-पार्ट दिनांक 2-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या-प.15(5)खान/ग्रुप-2/96-पार्ट दिनांक 11-6-2004 जिसके द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन 'क' समिति का 26, 28, 23, 25 एवं 29वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण सराफ, सभापति, प्राक्कलन समिति 'क', समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे।

श्री कालीचरण सराफ (सभापति, प्राक्कलन समिति 'क') : अध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति 'क' के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री कालीचरण सर्राफ)

1. प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 के 26वें प्रतिवेदन में समाविष्ट शिक्षा (हिन्दी ग्रंथ अकादमी) विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन।
2. प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 के 28वें प्रतिवेदन में समाविष्ट भाषा विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का द्वितीय् प्रतिवेदन।
3. प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 के 23वें प्रतिवेदन में समाविष्ट स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का तृतीय प्रतिवेदन।
4. प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 के 25वें प्रतिवेदन में समाविष्ट खनिज एवं भू-गर्भ (पेट्रोलियम) विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक् समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।
5. प्राक्कलन समिति "क", 2003-04 के 29वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का पंचम् प्रतिवेदन।

(14.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेगें।

कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या है प्रतिवेदन यह ? पढ़ो तो सही आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पढ़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार दिनांक 12 जुलाई, 2004 को मध्यान्ह पश्चात् 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 19 जुलाई, 2004 से 4 अगस्त, 2004 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

विषय में विचार विमर्श किया। समिति सिफारिश करती है कि सदन में लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए:

सोमवार, 19 जुलाई, 2004 मंगलवार, 20 जुलाई, 2004 बुधवार, 21 जुलाई, 2004 गुरुवार, 22 जुलाई, 2004 शुक्रवार, 23 जुलाई, 2004	-	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, 24 जुलाई, 2004 व रविवार, 25 जुलाई, 2004	-	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 26 जुलाई, 2004 व मंगलवार, 27 जुलाई, 2004	-	परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 की अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 27 जुलाई, 2004 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएगी।
बुधवार, 28 जुलाई, 2004	-	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण।
गुरुवार, 29 जुलाई, 2004	-	राजस्थान वित्त विधेयक, 2004 पर विचार एवं पारण।
सोमवार, 30 जुलाई, 2004	-	राज्य में विद्युत की स्थिति पर विचार।
शनिवार, 31 जुलाई, 2004 व रविवार, 1 अगस्त, 2004	-	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 2 अगस्त, 2004 मंगलवार, 3 अगस्त, 2004 बुधवार, 4 अगस्त, 2004	-	शासकीय विधायी कार्य।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 पर सामान्य वाद-विवाद होगा। सर्वप्रथम...

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट के बारे में बतायें।

श्री अध्यक्ष : हां। कोटड़ा के सम्बन्ध में उस दिन गृह मंत्री जी को वक्तव्य देना था तो आप तैयार हैं गृह मंत्री जी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : बिलकुल।

श्री अध्यक्ष : तो शुरू हो उससे पहले आप अपना वक्तव्य दे दीजिये।

श्री टीकमचंद कान्त : नाकोडा का किसी ने नहीं उठाया गृहमंत्री जी, नाकोडा के बारे में भी आप थोड़ी बात बता दें तो अच्छा होगा। नाकोडा के विषय में भी।

शासकीय वक्तव्य

कोटड़ा में पुलिस फायरिंग से हुई आदिवासी की मौत

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 28-6-2004 को 3 बजे श्री नंगा पुत्र रूपा जाति पारगी निवासी गोपीलाल थाना कोटड़ा ने थाने में उपस्थित होकर सूचना दी कि उसके लड़के नारायण लाल की शादी जाति रिवाज से करीब तीन वर्ष पहले श्रीमती दीपू पुत्री काला जाति गंवार निवासी मीमलिया थाना पोशिना गुजरात के साथ हुई थी जो घर से अपने पीहर जाने का कह कर निकली थी किन्तु दीपू ने गौपीपला की नदी के खाखरे के पेड़ पर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली आदि सूचना पर फर्द संख्या 11/4 धारा 174/3 के अन्तर्गत दर्ज कर जांच एस.डी.एम. कोटड़ा द्वारा प्रारम्भ की गई। आदिवासियों की परम्परा के अनुसार मृतका के पीहर पक्ष के लोगों के आने तक लाश का पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार नहीं होने देने से मौके पर जाब्ता लगाया जाकर पीहर पक्ष को सूचना भेजी गई। दिनांक 30-6-2004 को पुलिस जाब्ता कानून-व्यवस्था ड्यूटी हेतु

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मौके पर पहुंचा। प्रातः 10.30 बजे जरिये वायरलैस थाने पर बताया कि मृतका दीपू के पीहर पक्ष के लोग ग्राम सीमलिया थाना पोशिना जिला सांवरकांठा गुजरात से मृतका के ससुराल गोपीपला में चढ़ोतरा के लिए आ रहे हैं जिनकी संख्या लगभग दो हजार है। सभी हथियारों से लेस होकर बहुत ही आक्रोशित हैं। गोपीपला के लोगों के घर जलाने का पूरा अंदेशा है। इस सूचना पर वृत्ताधिकारी कोटड़ा एवं एस.डी.एम. कोटड़ा जाब्ते के साथ रवाना होकर करीब 10.50 बजें कालीदेह नदी पर पहुंचे। जहां गोपीपला की तरफ जाते हुए करीब दो हजार आदिवासी लोगों की हिंसक भीड़ जिसका मुखिया धनिया निवासी सीमलिया था ने पुलिस वाहन को रोक कर चारों ओर से घेर लिया और जीप को पलट दिया। इससे अधिकारियों और जाब्ता जो बैठे हुए थे उनको जान से मारने पर उतारू हो गये। आदिवासियों के द्वारा चलाये गये तीर से थानाधिकारी, कोटड़ा, कांस्टेबल घायल हो गये। इस स्थिति में आत्मरक्षा से जाब्ता और स्वयं के बचाव हेतु वृत्ताधिकारी द्वारा निजी लाइसेंसशुदा 12 बोर की बंदूक से दो हवाई फायर किये। भीड़ के थोड़ा पीछे हटने पर घायल थानाधिकारी और कांस्टेबल को थाने की जीप में लिटाकर वृत्ताधिकारी और एस.डी.एम. वापस कोटड़ा की तरफ जाने लगे तो भीड़ ने पुनः जीप को घेरने की कोशिश की और वृत्ताधिकारी की 12 बोर की बंदूक उनसे गुत्थमगुत्था होकर छीन ली। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अधिकारी और जाब्ता कोटड़ा पहुंचे। पीछे से आदिवासियों की हिंसक भीड़ ने वृत्ताधिकारी की जीप को आग लगा दी तथा इस भीड़ ने ग्राम गोपीपला पर आक्रमण कर लोगों के मकान आदि जला दिये। घायल थानाधिकारी और कांस्टेबल का उपचार प्रारम्भ कर वृत्ताधिकारी द्वारा उदयपुर उच्चाधिकारियों को सूचना दी जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलक्टर मय अन्य अधिकारियों के जाब्ता के तत्काल रवाना होकर दोपहर बाद कोटड़ा पहुंच गये। घटना थाना हलका पोशिना जिला सांवरकांठा के होने से गुजरात पुलिस को सूचना दी। इस सम्बन्ध में दिनांक 3-6-2004 को वृत्ताधिकारी कोटड़ा द्वारा धनिया गंवार और करीब दो हजार आदिवासियों के विरूद्ध जान से मारने की नीयत से पुलिस जाब्ता पर हमला करना और जीप जलाने आदि पर थाना पोशिना में अभियोग संख्या 32/2004 धारा 147/48/49, 307, 395, 353, 323, 324, 336 व 3 पी.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी। यह भी जानकारी में आया कि फरियादी पुना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पिता माना निवासी सीमलिया ने भी कोटड़ा के वृत्ताधिकारी थानाधिकारी और पुलिस जाब्ते के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट दी है कि हमारे गांव के काला गंवार की बेटी दीपू की मौत होने पर ग्राम सीमलिया के लोग दीपू की ससुराल गोपीपला चढ़ोतारा लेकर गये थे कि कोटड़ा पुलिस ने हम पर फायरिंग की जिससे हमारे आदमी लाता पिता लाला गंवार की मृत्यु हो गयी और विनोद, रमेश, सुरेश और बापू घायल हुए हैं। आदि रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 31/4 धारा 302, 307, 114, 25(1) आर्म्स एक्ट और 135 बाम्बे पुलिस एक्ट में दर्ज किया गया। गुजरात पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार लाता की मृत्यु पुलिस फायरिंग से होने पर पोस्टमार्टम थाना पोशिना पुलिस द्वारा दिनांक 1-7-2004 को कराया गया। इस दौराने पोस्टमार्टम मृतक के शरीर से 12 छर्रे मिले व लाश का दाहसंस्कार कर दिया गया। ग्राम गोपीपला थाना कोटड़ा में दिनांक 28-6-2004 से पेड़ पर लटकी हुई दीपू की लाश को जिला पुलिस उदयपुर द्वारा उतराया जाकर पोस्टमार्टम कराया गया। लाश उसके ससुराल वालों को अंतिम संस्कार हेतु दे दी गयी। आदिवासियों की परम्परा अनुसार मौताणा की रकम पारगियों द्वारा अदा की जानी थी। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के पंचों द्वारा वार्ता चली जिस पर अंतिम वार्ता दिनांक 3-7-2004 को गांधी सरणी बॉर्डर पर गुजरात और राजस्थान सीमा पर हुई जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका दीपू के ससुराल वालों द्वारा पारगियों को तीन लाख रूपये सीमलिया के गंवार जाति के आदिवासियों को देना तय हुआ।

जिसमें से 5000 नकद समझौते की शर्त के अनुसार उसी रोज दे दिये गये और 50 हजार रूपया दिनांक 15-7-2004 को दिया जायेगा। शेष राशि किस तरह व कब अदा की जायेगी इसका निर्णय 15-7-2004 को तय किया जायेगा। सरकार ने जिन 19 लोगों के मकान जले हैं उन सब को अपनी ओर से 10-10 हजार रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दिया है और मृतक को एक लाख रूपया जिस दिन सदन में बात उठी थी, उसको एक लाख रूपया हर्जाना राशि के रूप में, सहायता राशि के रूप में दी है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से दो चीजों को अलग-अलग समझना चाहता हूं। नंबर एक, मौताणा की एक परम्परा है वह एक अलग इश्यू है। क्या यह सच है कि कोटड़ा पुलिस, डीवाई.एस.पी. और एस.डी.एम. और जो मौताणा के चढ़ावा करने के लिये जो

(डा. सी.पी. जोशी)

आदमी आये थे उस घटना के बाद जिसमें गोली चली उसके बाद गौपीपला में मकान जले। क्या राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं बनता है कि पुलिस की मौजूदगी में पुलिस की जीप जले, थानेदार पर आक्रमण हो और उसके बाद गौपीपला के 19 गांवों के मकान जल जाये। इसलिए दो इश्यू को आप मिक्सअप नहीं करे, मौताणा का मामला अलग है। मौताणा की एक पारम्परिक व्यवस्था है उस मौताणा का फैसला होना चाहिये पर राजस्थान सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही, गौपीपला के लोगों के मकान को बचाने में असफल रही, क्या यह सच है ?

(14.11 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

नम्बर 2, क्या यह सच है कि 28 फरवरी, 2004 को गांव नयावास में सेमलिया गांव के व्यक्ति की मृत्यु हुई ? उनकी पारम्परिक परम्पराओं के अनुसार वहां के लोग आये और लोगों ने कहा कि इनकी मौत हुई है मौताणा हम लेना चाहते हैं। वहां की पुलिस ने इंटरवीन किया उनको कहा कि हम मौताणा की राशि इस समय तक चुका देंगे, हत्या हुई है इसको मानते हैं क्योंकि गांव वाले कह रहे थे कि उसका कान कटा हुआ है, इस तरह की बात थी। उनकी परम्पराओं के अनुसार यदि मौताणा की राशि का फैसला 28 फरवरी की घटना को हो जाता तो सेमलिया गांव के लोग गौपीपला में 30 जून को चढ़ोत्तरा लेकर नहीं आते। क्या राज्य सरकार की यह असफलता नहीं है कि 28 फरवरी, 2004 को नया गांव की घटना होने के बाद सेमलिया गांव के लोग कोटड़ा थाने में आये। थानेदार को यह कहा कि आपने नया गांव में न्याय नहीं किया है मेहरबानी कर के आप गौपीपला में नहीं आये हम अपनी परम्पराओं के अनुसार फैसला करेंगे। यह बात कहने के बाद भी पुलिस वहां गई, एस.डी.एम. को सूचना दी 28 तारीख को और 30 तारीख को कलक्टर को सूचना दी, पुलिस को सूचना दी। सारी सूचना होने के बाद गोली चल जाये, मकान जल जाये और माननीय गृह मंत्रीजी मैं वहां जाकर आया हूं, 5 तारीख तक राजस्थान सरकार ने एक नया पैसा उन लोगों को नहीं दिया, उनके रहने के लिये, खाने के लिये व्यवस्था नहीं की। क्या सरकार का धर्म नहीं बनता है। आप तो उसी इलाके के हैं, आप तो गृह मंत्री है। आपके मन में संवेदना है,

(डा. सी.पी. जोशी)

क्या यह संवेदना 5 तारीख तक हमारे मन में नहीं आई कि मौताणा का मामला अलग है इसका फैसला अलग हो लेकिन राज्य सरकार ने जिस एक लाख रूपये की राशि की घोषणा की 5 तारीख तक उन लोगों को नहीं दी गई और उल्टा एक लाख रूपये की राशि को भी मौताणा के साथ जोड़कर न्याय किया गया। आज दिन तक मेवाड़ में 3 लाख का मौताणा नहीं हुआ। आपने गलत परम्परा प्रारम्भ की। आदमी मरे, मकान जले और मौताणा की राशि 3 लाख हो जाये इसका मतलब गरीब आदमी कभी भी उस मौताणा से बाहर नहीं निकल सकेगा। मौताणा का मैं पक्षधर हूं, एक अच्छी परम्परा है। अपने परिवार की बच्ची के साथ न्याय नहीं हो, उनकी सामाजिक परम्परा है वह बनी रहे लेकिन राज्य सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही है। माननीय गृह मंत्रीजी आप उसी इलाके के हैं, आप संवेदनशील हैं, आप खड़े होकर कह दें कि इसमें पुलिस की असफलता है या नहीं ? यदि पुलिस की असफलता है तो राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि 19 परिवार के मकानों को बनाये जाये, उनका जो सामान जला है उनका कम्पनसेशन दिया जाये। आपकी आंगनबाड़ी वहां पर है उस आंगनबाड़ी में लोगों ने अपने जो सामान रखे थे उन सामान को भी जला दिया गया। मैं मौताणा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री के रूप में आपकी आत्मा यह कहती है कि सरकार की उपस्थिति के बाद मकान जल जाये, उनको कम्पनसेशन हम नहीं दें तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता है कि राज्य सरकार ऐसे समय में खड़े होकर कहे कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहे हैं। गृह मंत्रीजी त्याग पत्र दे या मुख्य मंत्रीजी त्याग पत्र दे, कम से कम हिम्मत होनी चाहिये और जाकर उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहिये था कि हम आपकी रक्षा करने में असफल रहे हैं, मैं कम से कम आपसे आशा करता हूं। आप खड़े होकर सदन में यह कह दें, मैं इस पर और कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन क्या आपके मन में यह नहीं आता है, मैं जब 5 तारीख को वहां जाकर आया, 5 तारीख को वह लोग तीर कमाने लेकर पूरा का पूरा गांव वहां इकट्ठा हुआ, वह कहते हैं हम सामूहिक रूप में रहते है, हमारे पास रहने को मकान नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। हमने खाने की व्यवस्था की। मैंने कलक्टर से बात की, हमने खाने की व्यवस्था की। हमने एन.जी.ओ. के माध्यम से खाने की

(डा. सी.पी. जोशी)

व्यवस्था की। सरकार नहीं है, सरकार खतम हो गई है जो एन.जी.ओ. जाकर गेहूं की व्यवस्था कर रहे हैं। क्या सरकार का धर्म नहीं बनता है कि एक तारीख को यदि घटना हो गई है तो एक तारीख को जाकर हम गेहूं की व्यवस्था करें। गृह मंत्री जी मुझे कहते हुए दुख है कि एक तारीख के बाद 5 तारीख तक वहां पर एक भी पुलिस की व्यवस्था नहीं है। 2 किलोमीटर दूर गांव है, एक भी पुलिस वहां नहीं हैं। 3 तारीख को भी वहां पर पास के गांव में मकान जलाये गये। एक तारीख को घटना हो जाये, 3 तारीख को मकान जलाये गये फिर भी हम व्यवस्था नहीं करें, इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। मैं आपसे कम से कम आशा करता हूं, आप संवेदनशील हैं, मैंने आपके भाषण सुने हैं, प्रतिपक्ष में रहे जब आपके भाषण सुने हैं, आप उस इलाके के हैं उस इलाके का वातावरण बना रहना चाहिये। आज एक दूसरी घटना और हो गई पिंडवाड़ा में। मौताणा की व्यवस्था के सम्बन्ध में पंचायतीराज में अवेट नहीं किया जाये वह व्यवस्था अलग होनी चाहिये। गृह मंत्रीजी यह मौताणा का मामला नहीं है, यह मामला सरासर सरकार की असफलता का मामला है। सरकार की उपस्थिति के बाद, आपको घटना की सही रिपोर्ट नहीं दी है। वहां पर एस.डी.एम. और डीवाई.एस.पी. गाड़ी में बैठकर गये थे। पीछे वाली गाड़ी में 50 पुलिस वाले थे। डीवाई.एस.पी. ने गाड़ी रिवर्स में ली इसलिए गाड़ी नीचे गिर गई, यह भी कहना गलत है, उसके बाद यह घटना हुई है। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी जो घटना की जानकारी सरकारी अधिकारियों ने आपको दी है वह ठीक नहीं दी है। मैं यह भी नहीं कहता कि वह आत्म रक्षा में गोली नहीं चलाई, मैं यह इश्यू नहीं रखना चाहता कि इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, घटना हो गई, पुलिस ने गोली चलाई, मैं इसको भी इश्यू नहीं बनाना चाहता पर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि गृह मंत्रीजी मेहरबानी करके अपनी असफलता को माने, सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही है। एक तरीके की भीड़, पुलिस के ऊपर आक्रमण, पुलिस पर आक्रमण के बाद मकान जलाया जाना और मकान जलाये जाने के बाद सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाना इससे बड़ी सरकार की असफलता नहीं हो सकती है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप खड़े होकर यह बता दें कि मेरे कथन में असत्यता है तो मैं अपने आप से इस बात का विथड्रा कर लूंगा और आप संवेदनशील आदमी हैं यदि आपके विभाग ने गलती की है तो आप मेहरबानी

(डा. सी.पी. जोशी)

करके उन 19 आदमियों के मकान बनवाने की व्यवस्था कीजिए, उनके खाने की व्यवस्था कीजिए, उनके कपड़े की व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों का विश्वास बढ़ सके कि राज में कुछ भरोसा है, यह मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

श्री लालचन्द मेघवाल (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे गरासियों के गांव में,...(व्यवधान) सभापति महोदय, मैं इस बारे में पूछना चाहूंगा...

श्री जीतमल खांट : यह आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है, बड़ा गंभीर मसला है (व्यवधान)

श्री लालचन्द मेघवाल : सभापति महोदय, इस तरह से हमारे पंचायत में गांव जले थे उस समय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी। पहली बार यह 10 -10 हजार रूपये सहायता राशि में दिया गया है। सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने उस समय हमारे मालप गांव में सर्वे किया था, उस समय सरकार ने क्या व्यवस्था की थी। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा : आप इस इश्यू को डाइल्यूट करना चाह रहे हो क्या ?

श्री लालचन्द मेघवाल : सभापति महोदय, ऐसे गांव हैं जो उजड़ गये हैं उनके लिये क्या व्यवस्था की गई, क्या उस समय 10-10 हजार की सहायता राशि मिली थी। हमारे मालप में, डांगा में, पूर्व में ऐसी कई घटनाएं हुई (व्यवधान) आप लोग कह रहे हैं कि 10-10 हजार की सहयोग राशि दी है उस समय आप कहां गये थे, अब आवाज उठा रहे हैं कि सहयोग करो यहां से। (व्यवधान) हमारे आदिवासियों के लिये आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया। आदिवासियों में हमेशा परम्परा रही है आये दिन हमारे झोपड़े जले हैं। मालप में खण्डहर पड़े हैं, डांगा में जाकर देखो वहां भी स्थिति यही है। एक घर का भी मुआवजा दिया है क्या ?

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह कोटड़ा की घटना है...

श्री सभापति : आप बैठिए, इनके बाद आपको समय दूंगा।

डा. सी.पी. जोशी : पहले गृह मंत्रीजी हमारी बात का जवाब दे दें उसके बाद आप चर्चा कर लेना।

श्री सभापति : माननीय जोशीजी, यह ट्राइब का मामला है माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोटड़ा की बैल्ट का मामला है।

डा. सी.पी. जोशी : यह ट्राइब का मामला नहीं है (व्यवधान) यह कानून व्यवस्था का मामला है। सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही है इसका मामला है। इसको ट्राइब के साथ मत जोडिए, ट्राइब की परम्परा अलग है, गृह मंत्रीजी जवाब दें, यह कानून व्यवस्था का मामला है।

श्री टीकमचंद कान्त : जोशीजी, यह मौताणा ट्राइब में है।

डा. सी.पी. जोशी : आप भी बोल लेना। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कोटड़ा के विधायक को बोलने दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री बाबूलाल खराड़ी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, यह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र का है जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री सभापति : हां, बोलिये, आप।

श्री बाबूलाल खराड़ी : मैं आपके माध्यम से जोशी साहब को बताना चाहूंगा, आपके सत्ता में रहते हुए मामेर पंचायत में 3 घर जले थे जिसमें पुलिस और प्रशासन उपस्थित था, क्या कार्यवाही की, आप बताएंगे। दूसरा विषय में आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके शासन में बड़ली पंचायत में 5 मकान जले थे, पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में।

श्री नाथूराम अहारी : वह मामला अलग था। (व्यवधान) अभी जो प्रश्न उठा है, उसके बारे में बात करो।

श्री बाबूलाल खराड़ी : मैं निवेदन करना चाह रहा हूं...(व्यवधान) मैं कहना चाहूंगा और आपके कारनामे सुन लो, आपके सत्ता में रहते हुए, आपका गृह मंत्री भी उदयपुर सम्भाग का था। फला गांव में 2 मकान जलने से आपके प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में क्या कार्यवाही की, उसका एक भी रिकार्ड है तो आप हमें बताएं। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहली बार ऐतिहासिक निर्णय सरकार ने लेकर 10 हजार रूपये आदिवासियों को देकर

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

के बहुत पुण्य का काम किया है। इसमें कोई कमी नहीं है सरकार की। यह पहला उदाहरण है हमारे आदिवासियों को 10 हजार रूपये दिये हैं। आपने फूटी कौड़ी नहीं दी है, फूटी कौड़ी, बाकी अनाज और भोजन की व्यवस्था तो कहां। उन लोगों के भोजन और अनाज की व्यवस्था किसी ने नहीं की थी। इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको कोई विषय उठाने का हक नहीं है। यह जरूर है कि पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा के लिये गोली चलायी है, वह हमारे गृह मंत्रीजी ने बता दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय रघुवीर सिंह मीणा।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने... (व्यवधान) सभापति महोदय, आज गृह मंत्रीजी ने जो वक्तव्य दिया उस पर मैं भी दो सवाल पूछना चाहूंगा और कोटड़ा में जो भी घटना हुई, दुःखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस की गोली से एक आदिवासी मरा है, परन्तु इसका बिलकुल ही राजनीतिकरण नहीं करके इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से देखना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने जो किया, किया नहीं किया, पूर्ववर्ती सरकार ने गलती की, इसलिये इधर आकर बैठ गयी, परन्तु ऐसी गलती आप मत दोहराओ।

श्री सभापति : आप तो, इस सम्बन्ध में कोई पाइंटेड प्रश्न हो तो बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह मीणा : हां, मैं पूछना चाह रहा हूं, यह जिस तरह से इस इश्यू को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आदिवासियों का मामला है, मौताणें का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको इस सहायता से जोड़ने का कोई तुक भी नहीं है और जोड़ना भी नहीं चाहिए था और दूसरा मैं इस सम्बन्ध में एक ही बात कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि 2 हवाई-फायर किये, एक सवाल तो यह है कि क्या यह सही है कि जो आदिवासी मरा वह पुलिस की गोली से मरा था ? दूसरा, 15 मकान पहले जल गये, फिर 2-3 दिन के बाद 4 मकान और जलाये गये तो क्या पुलिस जाप्ता वहां नहीं था ? तीसरा, 19 मकान जो जल गये हैं क्या सरकार इन्दिरा आवास के तहत स्वीकृत कराकर उन आदिवासियों के मकान बनाने का विचार रखती है ?

श्री सभापति : माननीय नन्द लाल जी मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : माननीय सभापति महोदय, कोटड़ा क्षेत्र में आदिवासियों के मौताणें का विवाद, आज के इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें, पूरे उदयपुर क्षेत्र के आदिवासी इलाके में यह आम बात है कि पुलिस व्यवस्था के साये में आदिवासियों की हत्याएं होती रही हैं और हत्याएं भी किसी पेड़ पर लटकाकर होती रही हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे वहां पर भी ग्यासपुर गांव में चोरी के मुकदमें में एक आदिवासी को थाने में बुलाया गया, उसको पीटा गया और दूसरे-तीसरे दिन उसकी लाश थाने के पीछे एक पेड़ के नीचे लटकी हुई थी। अब जब फिर झगड़ा आया मौताणें का, सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, मौताणा पुलिस ने तय किया। थानेदार ने रुपये इक्ट्ठे किये, चित्तौड़गढ़ का एस.पी. मौके पर मौजूद, खुद ने चन्दा करके उस आदिवासी परिवार को एक लाख 7 हजार रूपया मोताणें के रूप में दिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि आदिवासियों की हत्या पुलिस के द्वारा हो, चाहे आदिवासियों की हत्या आपस में हों, किसी गैर-आदिवासी के द्वारा होने वाली हत्याओं में इस मौताणें के नाम पर जो आदिवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है यह एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। आज हमें यह देखने की आवश्यकता है कि एक गरीब आदिवासी मरता है तो उसको 10 हजार रूपये दिये जाते हैं और कोई सड़क दुर्घटना में, हवाई जहाज दुर्घटना में, रेल दुर्घटना में कोई यात्री मरता है तो एक लाख से 5 लाख तक दिये जाते हैं। सभापति महोदय, यह मानवता के साथ खिलवाड़ है। भोली-भाली गरीब आदिवासी जनता जो शिक्षा के दरवाजे पर वह आज दिन तक नहीं पहुंची है, उनके नाम पर अरबों-खरबों रूपया खजाने से निकाला है जो इस व्यवस्था में लगे हुए थे, वह लोग तो बढ़ गये परन्तु वह आज वहां उस दरवाजे के बाहर खड़ा है। और आज सरकार इस कानून व्यवस्था के नाम पर कोई बात खड़ी होती है, कोई सवाल यहां इस सदन में उठता है तो उसको यह कहा जाता है कि आदिवासियों के मौताणें का सवाल है। मौताणा आन्तरिक मामला है। मेरा और समर्थलालजी के बीच में झगड़ा हो गया, हम आपस में जातीय पंचायत के हिसाब से फैसला करेंगे। (व्यवधान) परन्तु सरकार उसमें, पुलिस प्रशासन उसमें एक नहीं, प्रतापगढ़ अरनौद तहसील में एक अध्यापक की 30 जून, 2003 को हत्या हुई, मैंने वहां पर धरना दिलवाया. दो गांव उजाड़ दिये, उनके घर जला दिये, उनके मवेशी मर गये, रोजगार के लिये कोई व्यवस्था नहीं। प्रतापगढ़ के ए.डी.एम. के बाहर

(श्री नन्दलाल मीणा)

उन सारे लोगों को लगभग 5 सौ परिवारों को लेकर वहां बैठाया, उस वक्त इन महाशय का राज था, किसी की सुनवाई नहीं हुई। एक किलो अनाज भी नहीं हुआ और मैंने गांव-गांव जाकर अनाज इक्ट्ठा करके उन लोगों को आज की तारीख में वहां उस स्थान पर बैठाया। कहने का अभिप्राय यह कि चाहे कांग्रेस हो, या बी.जे.पी. वाले हों आदिवासियों की मौतों के बारे में उनकी हत्याओं के बारे में उनकी और आपराधिक घटनाओं के बारे में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। इसलिये सबसे पहली आवश्यकता है कि पहले इस बात का दृष्टिकोण तय करें और मानवता के साथ जो भेदभाव होता है, एक मनुष्य को तो 11 के भाव तौला जाता है और एक को 101 के भाव तौला जाएगा, जा रहा है। यह अन्याय अब बरदास्त नहीं किया जा सकेगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता में अपने आपको शरीक करता हूं। लेकिन जो परिस्थिति वहां बनी, जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि सीमा गुजरात में होकर हमारे उस गऊ पीपला गांव तक जाती है तो मोड़ पर ही यह 2 हजार लोगों की जो भीड़ थी, पुलिस को देखते ही एकदम उग्र होकर उन पर उन्होंने हमला बोल दिया, तीर चलाये। थानेदार को लगा, एक कांस्टेबल को लगा। ऐसी स्थिति में उसको वापस निकालकर लाने के लिए डीवाई.एस.पी., एस.डी.ओ. इन्होंने प्रयास किया, गाड़ी में बैठाया। लेकिन उस गाड़ी को भी उन्होंने रोक लिया और रोकने के बाद जब हमला हुआ तो उसने मजबूरन आत्मरक्षा के लिये वह गोली चलायी। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा चारा उस समय नहीं था। जो पुलिस फोर्स थी वह भी इतनी नहीं थी कि उस उग्र भीड़ को वह कंट्रोल कर सके और इस कारण से उसको, दूसरी गाड़ी जो एक और थी उसमें डालकर के उन घायल लोगों को, उन्होंने लगभग सौ मीटर गाड़ी को बैक दौड़ाई रोड पर क्योंकि वहां दूसरी कोई पटरी भी नहीं थी कि उस पर जा सकें, और वहां उन्हें थोड़ी सी जगह मिली साइड लेने की, एक तरह से वह जान बचाकर वहां से भाग गये। संख्या इतनी कम थी कि वह उसको कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं थे। अगर वह कण्ट्रोल करते तो शायद 10-20 वहां पुलिस के हमारे लोग थे वह निश्चित रूप से भगवान को प्यारे हो जाते। ऐसी स्थिति में, और फिर उदयपुर इतना

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दूर था कि वहां आकर के उन्होंने मैसेज किया, उदयपुर कलक्टर, एस.पी. पूरी फोर्स लेकर रवाना हुए, जाकर के एक दिन नहीं 3 दिन तक वहां कैम्प किया। पूरे तीन दिन तक एस.पी. और कलक्टर वहां रहे, हर प्रकार से समझाइश करने की कोशिश की। उसी समय, जब यह पुलिस इधर भागकर आयी उधर सारे मकान जले, 19 मकान जले, हमने पहले दिन, जिस दिन मेरे पास सूचना नहीं थी, मैं सोचता हूं यह भी शायद राजस्थान के इतिहास में पहला उदाहरण होगा कि चाहे वह पुलिस की गोली से कैसे मरा, नहीं मरा. वह तो जांच सम्भागीय आयुक्त को हमने दे रखी है उसके आने के बाद जो कुछ आगे कार्यवाही होनी है वह तो होगी लेकिन हमने प्रथम दृष्ट्या एक लाख रूपया. मैं सोचता हूं, 50 साल की हिस्ट्री कोई निकाले, 50 साल की हिस्ट्री में, अगर कोई यह साबित कर दे इस प्रकार का हमने कोई एक लाख रूपया किसी आदिवासी को घटना के कारण से दिया हो।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका जो नुकसान हुआ, उनके जो घर जले वे निश्चित रूप से जो हमने सहायता दी, उससे अधिक हैं। इसको मैं नकार नहीं रहा हूं कि नहीं है. लेकिन अब तक की हमारी जो व्यवस्थाएं हैं अधिक से अधिक पांच हजार रूपये दिया गया राजस्थान में, आप पुराना रिकार्ड उठाकर देख लेना, पांच हजार से अधिक इस प्रकार की घटनाओं जिनमें घर जले, हमने पहले ही. कलक्टर ने स्वयं ने पांच हजार का रिकमण्ड किया, पर सरकार ने पांच को बढ़ाकर 10 हजार रूपये उनको दिये। हमने उसी समय उनको पचास-पचास किलो गेहूं की बोरी उन तक पहुंचायी ताकि वह अपने खाने की व्यवस्था कर सकें, यह बात सच है।

डा. सी.पी. जोशी : कब पहुंचायी ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह पांच तारीख को पहुंची, यह सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास इतनी फोर्स नहीं थी कि हम उन मकानों को बचा सकें। क्योंकि लोग तो पहले ही मकान खाली कर चुके और भाग चुके थे जंगल की ओर। खाली मकान जो थे उनमें आग लगायी उससे नुकसान हुआ। मैं सोचता हूं कि जितनी सरकार संवेदनशील होकर काम कर सकती है अगर मेरे किसी भी डिपार्टमेंट की या किसी की भी गलती है तो सम्भागीय आयुक्त को मैंने बहुत पहले ही जांच दे दी। अगर उसमें किसी का

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

किसी प्रकार से दोष, नैग्लिजैंसी आएगी, मेरे डिपार्टमेंट की कहीं कोई गलती आएगी तो जो भी इसमें अपराधी होगा उसके खिलाफ जरूर कार्यवाही करूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अतिरिक्त भी इन परिवारों को और किसी ढंग से अगर मदद की जा सकती होगी तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उनको फिर से ठीक प्रकार से बसाने के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उसके लिए प्रयास करूंगा। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं और आदिवासी और गैर-आदिवासी में कोई अन्तंर नहीं है। यह बात सच है कि फरवरी महीने में भी इस प्रकार की कोई घटना हुई थी, जिस घटना का मौताणा, ठीक प्रकार से सुलह नहीं होने के कारण से उग्रता उस पुरानी घटना से भी थी। सच तो यह है कि हमारे यहां पुलिस इतनी तैयार भी नहीं होकर जाती क्योंकि मौताणा बैठकर आपस में सुलह समझ से हो जाता है। कभी भी आपस में टकराने वाली स्थिति नहीं आती इसलिए इसकी तैयारी से वे नहीं गये और न उनको यह पता था कि इसको, पर जब यह दो हजार लोग जब हथियारों सहित आये थे तो निश्चित रूप से लग गया था कि हथियार सहित कभी भी आदिवासी इस ढंग से नहीं आता। दो, पांच, दस लोगों के पास तो हो सकता है लेकिन औरतों के पास भी कुल्हाड़ी और बाकी सारी चीजें थी और इसके कारण से पुलिस के जाते ही और उनको देखकर जैसे वे भड़क गये हो, ऐसी स्थिति में इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सम्भागीय आयुक्त की जांच के बाद अगर कोई कमी-खामी रहेगी तो निश्चित रूप से उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा। मैं इतना भरोसा दिलाता हूं।

डा. सी.पी. जोशी : मेरा निवेदन इसमें यह है कि...

श्री सभापति : अब क्या बचा है ? सी.पी. साहब, अब बचा नहीं है। पूरी बात बता दी है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैंने निवेदन किया, मेन मुद्दा जो बचा है उनको कम्पनसेशन क्या मिला ? आप जो बात कह रहे हैं, मेन मुद्दा तो यह है, आप मुद्दा समझिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। माननीय सी.पी. साहब, इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई हो सकता है तो मैं करूंगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, आप मुद्दा समझिये। आप मेन बात समझिये। आप मेरी बात सुनिये। एक बार विराजिये। मैंने आपको, माननीय सभापति महोदय, इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आपने पहली बार जो कम्पनसेशन था उसको बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। यह इश्यू नहीं है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं आपको। इश्यू यह है कि क्योंकि वहां पर पुलिस पहुंच गयी। पुलिस ने आत्म-रक्षा में अपना काम किया, वह एक अलग प्रश्न है। सरकार की जो फेल्योर है, नैग्लिजैंसी कि, यह घटना एक तारीख को हो गयी। पांच तारीख तक वहां पर गेहूं नहीं पहुंचे, पांच तारीख तक हम उनको सहायता नहीं दें और मैं कह रहा हूं कि एक तारीख के बाद माननीय कटारिया साहब, एक तारीख के बाद वहां कोटड़ा से तीन किलोमीटर दूर है गऊ-पीपला, एक तारीख के बाद वहां पर एक दिन भी पुलिस नहीं गयी। मैं भी जाकर आया हूं। पांच तारीख तक एक पुलिस भी नहीं गयी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा नहीं है। देखिये, एस.पी. और कलक्टर स्वयं मौके पर थे। स्वयं मौके पर गये हैं। गुजरात गये। लगातार गये हैं।

डा. सी.पी. जोशी : पर कोटड़ा में थे। माननीय कटारिया जी, कोटड़ा में थे। मेरी बात सुनिये आप, गऊ-पीपला गांव में...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक बार नहीं गये, तीन-तीन बार गये।

डा. सी.पी. जोशी : मेरी बात सुनिये। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं। गऊ-पीपला गांव में जहां 19 घर जले हैं, वहां पर एक तारीख के बाद एक भी पुलिस जो तीन किलोमीटर दूर गांव है, कोटड़ा में एस.पी. थे, कोटड़ा में कलक्टर थे पर गऊ-पीपला गांव के अन्दर एस.पी., कलक्टर या एक भी पुलिस वाला आदमी एक तारीख के बाद नहीं गया। एक तारीख को लाश जलाई थी तब वहां पर गयी थी, तब वहां पुलिस गयी थी। एस.पी. गया था। कलक्टर गया था लेकिन दो किलोमीटर तक में पांच तारीख तक कोई एस.पी., कलक्टर नहीं गया और तीन तारीख को वहां पर फिर मकान जले थे। क्या यह मानते हो कि एक तारीख की घटना के बाद तीन तारीख को मकान जल जाए तब भी सरकार की फेल्योर नहीं है ? मैं समझता हूं कि कम से कम दो चीजों को आप अलग-अलग करें। सरकार की जो फेल्योर है आपको सूचना मिल गयी थी। पुलिस इतनी आ रही है। 28 तारीख को कलक्टर को सूचना मिल गयी थी। एस.डी.एम. को सूचना मिल गयी थी। मौताणा के लिए वे आ रहे हैं। यह

(डा. सी.पी. जोशी)

सूचना मिल गयी थी। कोटड़ा में थानेदार को कह दिया गया था कि मेहरबानी करके आप वहां पर नहीं आइये क्योंकि आपने यहां पर अन्याय किया है इसलिए हम अपना फैसला करेंगे। आप नहीं आएंगें, यह सूचना भी उन्होंने कोटड़ा पुलिस थानेदार को दे दी थी। इसलिए मैं इस इश्यू पर नहीं जा रहा हूं। मैं तो खाली यह कह रहा हूं कि क्या राजस्थान सरकार की फेल्योर के बाद जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को कम्पनसेट करने के लिए राजस्थान सरकार दस हजार रूपये देकर, गेहूं के पांच किलो, जो आप खुद कह रहे हैं, जैसा आपने स्वीकार किया, पांच किलो गेहूं पांच तारीख तक किसी को नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, हो गया। रेपिटिशन हो रहा है, सी.पी. साहब।

डा. सी.पी. जोशी : और एक तारीख से पांच तारीख तक गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की आपने, यह फेल्योर नहीं है आपकी ? यह बात तो आपने स्वयं ने स्वीकार की है कि पांच तारीख तक एक भी गेहूं नहीं पहुंचा। आपने तो पांच तारीख को...(व्यवधान) वह व्यवस्था कैसे हुई आपकी ? (व्यवधान) आप कर लीजिए, क्या व्यवस्था है ? क्या व्यवस्था है ?

श्री सभापति : माननीय सी.पी. साहब।

डा. सी.पी. जोशी : आप खड़े होकर बता दीजिए। क्या बात है ? मेरी बात का मंत्रीजी जवाब देंगे या आप जवाब देंगे ? आप जवाब दीजिए। नहीं तो खड़े होकर, आपके दो-तीन आदमी मरेंगे जैन समाज के तो पता पड़ेगा कि क्या व्यवस्था होती है। आपकी सरकार, पुलिस व्यवस्था नहीं जाए, उसकी फेल्योर को हम जस्टिफाई करना चाहे, मैं समझता हूं कि यह तो कटारिया साहब से मैं आशा नहीं करता, महावीरजी इस चीज को टॉलरेट कर सकते है पर गुलाब चन्दजी कटारिया जो आत्मा से बोलते थे, आज आपकी आत्मा मर गयी क्या ? आप अपनी फेल्योर को नहीं मानते क्या ? गृह मंत्रीजी खड़े होकर कह दें कि वहां पुलिस भी गयी थी, कम से कम अपनी आत्मा को झकझोरे और खड़े होकर कह दें कि पांच तारीख तक भी पुलिस गयी मैं सदन से त्याग -पत्र दे दूंगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। मैं रिजाइन दे दूंगा। एक तारीख के बाद गऊ-पीपला गांव में न कलक्टर गया, न एस.पी. गया, न पुलिस का आदमी गया और न ही वहां पर...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय साहब।

डा. सी.पी. जोशी : और उन लोगों को छोड़ दिया गया। पारगी सम्प्रदाय के लोगों को और आपके मन में जब आया ले आये वहां पर... (व्यवधान) यह तो सरकार की फेल्योर है। गोली चल गयी। मर गये। आदमी तो गुजरात का था। राजस्थान के पारगी सम्प्रदाय के लोगों के लिए आपने क्या किया ? वह आदमी तो गुजरात का था। यह मकान जले वे राजस्थान के आदिवासी के हैं। आपने राजस्थान के आदिवासियों के लिए क्या किया ? यह खड़े होकर बता दीजिए आप। 19 आदमियों के मकान जल जाए, राजस्थान के आदिवासी हैं, उनके लिए हमने कहा कि दस हजार रूपये दे दिये और काम की इतिश्री हो गयी ? हमारी फेल्योर को हमें मानना पड़ेगा कि हमारी फेल्योर थी। एक तारीख को घटना हो गयी, पांच तारीख तक हम उसकी व्यवस्था नहीं करायें तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सी.पी. साहब।

डा. सी.पी. जोशी : यह तो हमारे मन में कल्पना होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सी.पी. जोशी साहब, एक बात का तीन-तीन बार रेपीटिशन हो रहा है।

डा. सी.पी. जोशी : यह रेपीटिशन होगा, माननीय सभापति महोदय, यह आपकी फेल्योर...(व्यवधान)

श्री मांगीलाल गरासिया : यह आदिवासियों का मामला है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

डा. सी.पी. जोशी : आपकी फेल्योर की बात करते हैं तो (व्यवधान) यह सरकार व्यवस्था नहीं करना चाहे, इतना फेल्योर हो रहा है इसमें तो... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया।

श्री जीतमल खांट : हमारे सम्भाग के गृह मंत्री हैं, वहां के आदिवासियों की यह हालत है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : सभापति महोदय, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री जीतमल खांट : यह बड़ी शर्म की बात है।

श्री अशोक बैरवा (खण्ड़ार) : सभापति महोदय, आदिवासियों का मामला है। उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, राज का धर्म है कि लोगों का संरक्षण करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी : राज का धर्म होता है कि लोगों का संरक्षण करें। आप राज में हो, आपका धर्म बनता है कि उनकी रक्षा करें। आपका धर्म है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है ?

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, तीन तारीख के बाद (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में सारी बातें बता दी हैं और आपने जो पाइंटेड क्वेश्चन किये थे उनका भी उन्होंने जवाब दे दिया है। मेरा निवेदन है कि अब...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : डीवाई. एस.पी. के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? एस.डी.एम. के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि मैंने बहुत इत्मीनान से बात सुनी, बहुत संतोष से आपको बात बताने की कोशिश की। किसी चीज को छिपाने की कोशिश नहीं की। यह पहली बार हुआ कि इस प्रकार की घटना पर कलक्टर, एस.पी. तीन दिन तक कोटड़ा में कैम्प किये हुए बैठे रहे।

डा. सी.पी. जोशी : गऊ पीपला गये नहीं गये ? नहीं, मेरा निवेदन है साहब, गऊ पीपला गांव में कलक्टर और एस.पी. एक तारीख के बाद एक दिन भी नहीं गये हैं इसलिए इसकी जांच करवा लीजिए आप और फिर आपने (व्यवधान) फिर हमसे बात कर लीजिए आप। दो किलोमीटर दूर, गऊ पीपला है। कलक्टर और एस.पी. तीन दिन कोटड़ा में रहे, गऊ पीपला जहां 19 घर जले, वहां न पुलिस वाला गया और न एस.पी. गया और न कलक्टर गया, एक तारीख के बाद।

श्री मांगीलाल गरासिया : (व्यवधान) तीन तारीख को, तीन तारीख को, मेन बात है, माननीय सभापति महोदय, यह वास्तविक समस्या है और बहुत दुर्भाग्य की बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 30 तारीख को, घटना 30 तारीख की है और घटना 30 तारीख की है और यह जो कुछ भी आदमी मरा, यह भी 30 तारीख को मरा। एक तारीख को अपन ने हाउस में इस विषय को उठाया। 30 तारीख से लेकर एक तारीख तक सारी की सारी पुलिस फोर्स गयी है वहां, जितने भी मकान जले वे कलक्टर ने स्वयं ने, एस.पी. ने स्वयं ने अपनी आंख से देखकर आया है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : एक तारीख को...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और उसकी सारी रिपोर्ट भी उसने दी। उसके बाद दो तारीख को गुजरात के लोगों के साथ बराबर लाइजन किये रहे। उनको आपस में बुलाने का प्रयास किया दोनों ग्रुपों को और बैठाकर दो तारीख को दिनभर कलक्टर इसी बात पर लगा। एक तारीख को मौका देखकर आया। उसने अपनी रिपोर्ट दी कि इतने मकान जले हैं। यहां तक सूचना दी। उसके बाद भी कोई कमी रही तो मैंने आपको कहा है कि सम्भागीय आयुक्त को मैंने जांच दी है। अगर कहीं कोई कमी खामी रही है तो थोड़ा धैर्य तो रखो, उसमें आएंगे तो निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। इससे ज्यादा क्या करेंगे ?

श्री सभापति : चर्चा समाप्त।

डा. सी.पी. जोशी : आप तो कम्पनसेशन के बारे में बता दो, बाकी आप करो। कम्पनसेशन बारे में आप जो चाहे बोल दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त। माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, चर्चा समाप्त से काम नहीं चलेगा। सरकार की फेल्योर की चर्चा समाप्त करके काम थोड़े ही करेंगे। आप जांच करवा रहे हैं रेस्पांसिबिलिटी की। (व्यवधान)

श्री सभापति : सी.पी. साहब, आसन पैरों पर है।

डा. सी.पी. जोशी : हम मांग कर रहे हैं कम्पनसेशन की। आपका उससे इससे क्या सम्बन्ध है ? आप जांच करवा रहे हैं इसकी।

श्री गलाब चन्द कटारिया : आपकी सरकार ने अपनी पूरी जिन्दगी में अगर इतना कम्पनसेशन दिया है तो त्याग-पत्र देकर चला जाउंगा। और दिया है तो बता दीजिए।

डा. सी.पी. जोशी : इससे क्या तकलीफ है नहीं दिया होगा। इससे क्या तकलीफ है ? हमने नहीं दिया (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज दिन तक दिया हो तो बता दीजिये।

डा. सी.पी. जोशी : तो क्या अन्तर है ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस के राज में एक लाख छत्तीस हजार घटनाएं हुई हैं।

एक माननीय सदस्य : तो बोलने का अधिकार नहीं है क्या ? (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त। आसन पैरों पर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : हमने नहीं दिया तो आप नहीं करोगें।

श्री सभापति : परिवतर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2004-05 पर सामान्य वाद-विवाद।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में शोरगुल)

एक माननीय सदस्य : हमारी सरकार ने सन् 1999 में खेड़ली में झगड़ा हुआ था (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस के राज में एक लाख छत्तीस हजार घटनाएं हुई हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : भारतीय जनता पार्टी को...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, हमारी सरकार ने एक लाख रूपये मुआवजा दिया है पुलिस की गोलियों से मरने पर खेड़ली गांव में और उसके परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी दी है। यह कौनसी बात हो गयी। आपने कोई न्याय किया है क्या ? उसके परिवार को कम्पनसेशन दिया है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मुआवजे के बारे में पुनर्विचार कर लें यह। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, जो वक्तव्य में इन्होंने बात कही है, मेरा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप कृपया अपनी सीट पर बैठिये। माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, यहां कोई मांग उठाने का मामला नहीं है। यहां डा. सी.पी. जोशी को यह दिखाना है कि....... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने जो नियम बनाया है सहायता उसी के अनुसार तो मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय जोशी जी. माननीय मुख्य सचेतक जी, एक मिनट. मेरी बात सुन लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, यह कांग्रेस का आन्तरिक कलह है, वह सामने आ रहा है।

श्री जीतमल खाट : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर सम्भाग के हमारे माननीय गृह मंत्रीजी, हमारे आदिवासो...(व्यवधान) हमारे सम्भाग की पहलो प्राथमिकता बनती थी कि वहां के आदिवासियों के साथ में पुलिस की गोली द्वारा जो अव्यवस्था पैदा की गयी उसको पहले सम्भालने की जिम्मेदारी इनकी थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है कि सम्माननीय मंत्रीजी से सारी बात बता दी आपको और यह भी कहा है इन्होंने कि मैं आयुक्त से जांच करवा लूं और जो रिपोर्ट आयेगी, उसमें जो भी कमी-बेशी होगी उसमें जो भी बात होगी, मैं अपने स्तर पर कार्यवाही करूंगा। कम्पनसेशन के बारे में इन्होंने बोल दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : केवल घर जले हैं, घर जलने का जितना कम्पनसेशन आज दिन तक 50 वर्ष में दे दिया, उससे 10 गुना हमने ज्यादा कम्पनसेशन दिया। केवल घर जले हैं। घर जलने..... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्रीजी पहले पांच हजार रूपये देते थे वह बीस हजार के बराबर होते थे। तो आपने क्या दे दिया 10 हजार रूपये।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी, आदिवासियों के नाम पर यह राजनीति कर रहे हैं।

(सदन में कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में शोरगुल)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी ने जब यह... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, आज तक इन्होंने अपनी सरकार में इतना कम्पनसेशन नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : माननीय सभापति महोदय, आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है आदिवासी इलाकों में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसके बाद भी आप ऐसा आचरण कर रहे हैं। पहले खुद में झांककर देखो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जितना आप अडियल हो न, जितना आपका अडियल स्वभाव है उससे दस गुना मेरा है। इस दबाव में आप मुझसे मंजूर कराओ, सवाल पैदा नहीं होता। आप चार घंटे करो भले ही यहां।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस के राज में एक लाख छत्तीस हजार घटनायें हुई हैं कितने लोगों को आपने मुआवजा दिया ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं आदिवासियों के नाम पर, आदिवासी गरिये में आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुआवजा नहीं ऐसे टाइम पर सहायता मिलती है। सहायता के नियम बने हुए हैं। वह आपने ही बनाये हैं। नियमों से परे जाकर सहायता हुई है और फिर भी ऐसे कोई दबाव बनाकर आज तक आप मुझे बताइये...(व्यवधान)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में भारी शोरगुल)

आप वेल में क्यों आये ? इसमें कम्पनसेशन होता है क्या ? (व्यवधान) सहायता होती है, सहायता। सरकारी सहायता । नियम हैं, नियम बने हुए हैं, सहायता के लिये नियम बने हुए हैं। आपने जो नियम बनाये हैं, उन नियमों के अन्तर्गत आपने सहायता दी है। इस सरकार ने पहली बार नियमों से बाहर जाकर दिया है। इसके लिये आपको धन्यवाद देना चाहिये और फिर भी आप मांग कर सकते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : गृह मंत्री महोदय को मुआवजे के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तंदूर हत्या काण्ड करके वह लोग यहां आकर...(व्यवधान) यह आदिवासियों के ऊपर यहां राजनीति करना चाह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी को यह घोषणा करनी चाहिये कि आदिवासी को इंदिरा आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत मकान बनाकर दिया जाये।

श्री कालूराम : माननीय सभापति महोदय, यह हकीकत में आदिवासियों के हितैषी नहीं हैं। यह ऐसा करके आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : जोशीजी, आपका आदिवासियों से क्या लेना-देना ?

एक माननीय सदस्य : तंदूर में इनके कांग्रेसी फंसे हुए थे, आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह कांग्रेसी फंसे हुए हैं। + + +

श्री सभापति : सामान्य वाद-विवाद पर भारतीय जनता पार्टी को 9 घंटे 36 मिनट, इण्डियन नेशनल कांग्रेस को 4 घंटे 26 मिनट, इण्डियन नेशनल लोकदल को 20 मिनट, जनता दल (युनाइटेड) को 10 मिनट, बहुजन समाज पार्टी को 10 मिनट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 5 मिनट, लोक जन शक्ति को 5 मिनट, राजस्थान सामाजिक न्याय मंच को 5 मिनट, निर्दलियों को एक घंटे 3 मिनट। इस प्रकार 16 घंटे हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा वेल में शोरगुल एवं नारेबाजी)

माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री कालूराम : मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। (व्यवधान) आदिवासियों के हितैषी बन रहे हो। सी.पी. जोशी जी आदिवासियों से क्या काम है आपको ?

श्री युनुस खान : छह महीने पहले ही आदिवासी विरोधी सरकार का नाश हो गया।

श्री कालूराम : क्यों आप सदन का समय जाया कर रहे हो। आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने वाले, आप लोगों ने ऐसे कर्म किये हैं इसलिए विपक्ष में बैठे हो। (व्यवधान) आदिवासियों के ऊपर राज करके आप लोगों ने 40 साल के राज में आदिवासियों को जहां का जहां रखा। आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप लोगों ने पिछड़े वर्ग पर जुल्म किया। आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री सभापति : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री कालूराम : आदिवासियों और एस.सी., एस.टी. के ऊपर बहुत अत्याचार किये हैं। + + + आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : जांच होगी तो खड़े हो आप यहां पर। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : हाउस आर्डर में लाइये आप, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अगर आदिवासियों का ख्याल करते तो आप आपकी यह पोजीशन नहीं होती। एक लाख छत्तीस हजार मुकदमें आपके टाइम में हुये। कितना मुआवजा दिया आपने ? कितनों की सहायता की थी ? हालत जो आपकी है 156 से 56 रहे गये (व्यवधान)

श्री कालूराम : नौ सौ चूहे खाकर बिल्ला हज को चली है। (व्यवधान) अपने गिरेबान में देखो, आपने आदिवासियों के साथ पांच साल के राज में क्या किया है ? खूब भला किया आप लोगों ने। (व्यवधान) पांच साल के राज में कांग्रेस ने...(व्यवधान) पहले अपने गिरेबान में देखो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आज दिन तक मकान जलने की जितनी सहायता राशि दी जा सकती है मकान जलने के कारण से...(व्यवधान) मकाने जलने की जितनी हानि होती है उसकी पूर्ति आज दिन तक कभी किसी ने नहीं की। यह सहायता राशि के रूप में है। सरकार ने, कलक्टर ने अपनी रिपोर्ट से 5000 रूपया मांगा, हमने यहां से 10 हजार चलाकर बिना मांगे उसे दिया।

मैंने पहले भी बताया है कि सम्भागीय आयुक्त जांच कर रहे हैं सरकार की ओर से अगर किसी और किसी स्कीम में इनके मकान में अगर कोई मदद संभव होगी तो हम उसको भी करेंगे। यह हमारा मानवीय अधिकार है। हम करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करेंगे।

(माननीय सदस्य वेल से अपनी शीट पर विराजमान)

श्री सभापित : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, आज जो पर्चियां लगी हुई थीं उनका क्या हुआ ?

श्री सभापति : पर्ची का समय समाप्त हो गया है।

श्री संयम लोढ़ा : कल पर रख दो, कल पर। एज इट इज कल पर।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा 2004-05 के जो सदन में बजट अनुमान प्रस्तुत किये गये हैं उसके बारे में मेरे कुछ विचार हैं, जो मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा।

सर्वप्रथम तो मुख्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं, उनको बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई। अपनी बात प्रारम्भ करूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि राज्य सरकार ने तो पूजापाठ करायी लेकिन हम इस सदन के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करें कि बारिश हो। क्योंकि यहां सभी जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और राजस्थान की जनता में, किसानों में वर्षा की देरी होने के कारण से सभी वर्ग के मन में चिंता है। मैं मानता हूं कि इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से राजस्थान की जनता की तरफ से एक तरह की प्रार्थना होगी। अपने मन में ही कर लें, बाकी तो दिखावा करने से कोई लाभ नहीं है।

यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया, इस सरकार का प्रथम बजट है। इसके अन्दर मूल रूप से वही बातें परिलक्षित होती हैं, मैं यह नहीं कहता कि सभी बातें, जो केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में, जो बजट अभी उन्होंने पार्लियामेंट में, लोक सभा में पेश किया, उन्होंने उसमें इसका जिक्र किया है। आप चाहें तो मैं थोड़े से कुछ पाइंट जो थर्स्ट एरिया हैं, जो उन्होंने अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया "Doubling agricultural credit in three years, ... completion of irrigation projects, providing farm insurance and live stock insurance, improving agricultural product markets and promoting agro baseness, drinking water for all, expanding water harvesting, enhancing investment in the industry......

और ऊपर स्थित यह जो थर्स्ट एरिया है, लेकिन जो यू.पी.ए. का प्रोग्राम है उसके अन्दर भी उन्होंने पावरटी एलिबिएशन की बात की है, अंत्योदय योजना के एक्सपेन्शन की बात की है। अन्त्योदय योजना के तहत पहले डेढ़ करोड़ परिवारों को लाभ मिलता था, उसको बढ़ा कर दो करोड़ किया है। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स को भी बढ़ाने की बात की है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो मैं इस बजट को देख रहा था, इसमें कुछ योजनाएं तो पूर्व सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं का ही समावेश इसके अन्दर किया गया है या सेंटर गवर्नमेंट ने जो अपनी घोषनाएं की हैं और पूर्व से जो योजनाएं चल रही थीं, उनका इस बजट भाषण में मूल रूप से उन्होंने डाला है ओन गोइंग प्रोग्राम्स. और अच्छी बात है यह कि आज देश के अन्दर नयी सरकार के आने के बाद केन्द्र सरकार ने एक नयी दिशा दी है। क्योंकि पुरानी नीतियों को जनता ने स्वीकार नहीं किया तो इसलिए सेंटर गवर्नमेंट ने इस बात पर जोर दिया कि गरीबी दूर करने की योजना और किसानों के हित की उन्होंने योजनाएं आरम्भ की। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसान में, मजदूर में, अन्य पिछड़े और गरीब, आदिवासी लोगों में, शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों में रोष पैदा होगा और निराशा हाथ लगेगी।

मैंने पूरे बजट को देखा, इसमें एक मामले में जो आज की राज्य सरकार की हमारे मुकाबले में उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। पिछले साल को छोड़ कर के उससे पहले चार सालों में बराबर सरकार ने अकाल का सामना किया। और जब अकाल का सामना कोई सरकार करती है और राजस्थान में पिछली सरकार ने जितने बड़े पैमाने के ऊपर, जितने बड़े स्केल के ऊपर एम्प्लायमेंट प्रोवाइड किया था, शायद पिछले चुनाव में भी 35 लाख रूपये तक सीमा पहुंच गयी थी। यह हकीकत है, रेकार्ड की बात है, इसमें बहस का विषय तो है नहीं। मैं गलत हूं तो आप मुझे मना कर दीजियेगा कि आप गलत कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मना करें तो आप नाराज हो जाओगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो उत्तर देंगे ही, तब दे दीजियेगा।

इतने बड़े स्केल के ऊपर काम किया और जब बराबर अकाल पड़े तो आप जानते हो कि कृषि उत्पादन कम होता है। जब कृषि उत्पादन कम होता है तो स्टेट का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कम होगा। सबसे पहले मेरे हिसाब से कंज़्यूमर, उपभोक्ता किसान है अपने आप में जब उसकी क्रय शक्ति कम होगी तो सारी अर्थव्यवस्था के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ना बहुत लाजिमी है और उसका विपरीत प्रभाव पड़ा। राजस्थान के अन्दर जो हम उम्मीद करते थे कि हमको टैक्सेज मे जो प्राप्ति होगी वो हम को कभी प्राप्ति हुई नहीं बल्कि यहां तक हुआ कि जो सेंटर गवर्नमेंट से टैक्स डिवोल्यूशन मिलता था, दो साल

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो उसमें भी कमी आयी और कमी सब्टेंशियल आयी। एक साल में तो चार करोड़ रूपये की कमी आयी। कुल-मिलाकर मेरा यहां तक ख्याल है कि दो-तीन साल के अन्दर जो सेंटर गवर्नमेंट के बजट एस्टीमेंटस थे, जिसके तहत राज्यों को जो डिवोल्यूशन होना था, राज्यों को कर में हिस्सा मिलना था, करीब 500 करोड़ रूपयं की कमी आयी। इस सरकार का सौभाग्य कहूं कि 2003-04 के अन्दर एक साल में इस सरकार को 650 से 700 करोड़ रूपया एक्स्ट्रा मिला। जो बजट एस्टीमेट थे उससे ज्यादा ऊपर तक पैसा मिला है। तो नैचुरली...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह धौलपुर का कमाल है। यह तब भी धौलपुर था, अब भी धौलपुर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि फिर इसके साथ-साथ लोक सभा का चुनाव, विधान सभा का चुनाव जीतने के बाद केन्द्र में बी.जे.पी. की सरकार थी, मैं यह नहीं कहता कि हम को, लेकिन हम को कम सहयोग मिला था, हमारी बात...

(15.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूर्व वित्त मंत्री जी आप क्षमा करेंगे, आपको टोकना नहीं चाहता क्योंकि सेंट्रल टैक्स के अन्दर जो शेयर है वह तो ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिश से अपना जो पांच पाइंट कुछ पर्सेंट है उतना ही मिलेगा। आप बिना मतलब नई सरकार, पुरानी सरकार, आपका वित्तीय प्रबंधन लचर था इसलिए आप कुछ कर नहीं पाए। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब यह सुनना चाहते नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपका वित्तीय प्रबंधन पता पडेगा अभी सहायता लेने जाओगे जब।

श्री मोहन लाल गुप्ता : खुद वित्त मंत्री जी कह रहे हैं पूर्व वित्त मंत्री जी कि हमारा वित्तीय प्रबन्धन अच्छा था, आपकी कांग्रेस सरकार ज्यादा पैसा दे रही है। यह खुद कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय गुप्ता साहब, बीच में मत बोलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मंत्री तक तो बनाया नहीं, समझते हो नहीं चीजों को, बीच में बोलते हो (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्र राठौड़

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जी कह रहे थे यह बिल्कुल सही है शेयर किस चीज का मिलता है, शेयर जो हमारी रिसीट्स आती हैं उसका, जो वहां उनको राजस्व की प्राप्ति होती है उसका पर्सेंटेज मिलता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में पैसा नहीं मिलता कि आपको पांच हजार रूपये दिए जाएगें, एक लाख रूपये की आमदनी होगी मसलन तो आपको इतना पर्सेंटेज दे दिया जाएगा। वहां नब्बे हजार की आमदनी हुई तब क्या होगा। एब्सोल्यूट टर्म्स में तो पैसा कम हुआ। तो मेरे कहने का अभिप्राय है, मैं और सब मुद्दों पर आ रहा हूं। यह तो चलिए सी.एस.एस. का पैसा, अब यह पैसा यह तो एक मिसाल दी है सेंट्रल के टैक्सेस में डिवोल्यूशन ज्यादा हुआ। मैं करंट इयर की आपको बताऊंगा। फिर आपका जो पैसा रूका हुआ था, यहां पर वित्त मंत्री है नहीं।

आपने कहा कि हमने डैट स्वेप स्कीम को स्वीकार किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त राज्य मंत्री जी बैठे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अच्छी बात है बैठे हैं। डैट स्वेप की आपने स्कीम स्वीकार की। पिछले तीन महीनों में हम वित्त मंत्री जी जसवंत सिंह जी से कह रहे थे आपने उस योजना को एक तरह से मुलतवी करा दिया और मुलतवी कराने का नतीजा यह हुआ कि जनवरी, फरवरी और मार्च तीन महीने के अन्दर जो तीस प्रतिशत तय यह हुआ था कि पहली साल में मेरे वक्त में डैट स्वेप की स्कीम शुरू हो गयी कि पहले साल में स्माल सेविंग के पेटे बीस प्रतिशत हम डैट स्वेप कराएगें, 2001-2002-2003, 2003-2004 में एम.ओ.यू. साइन हुआ कि तीस प्रतिशत जिससे कि ब्याज का भार कम हो, मूल रूप से डैट स्वेप था।

सभापति महोदय, जो हाई इंट्रेस्ट के ऊपर राज्य सरकारों को कर्जा मिला हुआ था उनके बदले दूसरा कर्जा कम रेट आफ इंट्रेस्ट के ऊपर दिया जाए बाजार से उगाह करके और वह ज्यों का ज्योंहि जमा कर लिया। राज्य सरकार के हाथ में नहीं आता है। उससे फायदा यह हुआ कि ब्याज की दर आपकी कम हो जाएगी। आपने तीन महीने का जो अखबारों में खबर आती थी कि राज्य की वित्तीय स्थिति, आते ही जादू हो गया, सुधर गयी। आपने बारह सौ करोड़ रूपया उसमें ले लिया तो जो फायदा ब्याज में होता, ब्याज की जो कटौती होती वह नहीं हुई। आपके हाथ में कैश लिक्विडिटी आई। फिर आपके

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पास केलेमिटी रिलीफ फंड का पैंसा बचा। अकाल था नहीं। जो केलेमिटी रिलीफ फंड का पैसा आया वह बचा। बहुत मामूली खर्चा हुआ उसके अन्दर से और आपको उसमें जो अपना हिस्सा देना पड़ता था वह कहीं 200 करोड़ रूपया हो गया जाकर के। वह पैसा बचा आपके मंत्री जी से पैसा मांग लीजिएगा, आपके लिए बचेगा पैसा। आपके पास वह पैसा करीब 200 करोड़ रूपये बल्कि 200 से ज्यादा 210 करोड़ के करीब आपको वह मिला।

फिर अखबार में आया कि वित्त मंत्री जी गयी और मुक्त हस्त से केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने पैसा दिया। अपना हाथ जगन्नाथ का भात। जो पैसा हमारा सालों से बाकी पड़ा हुआ था चाहे बिजली के पेटे था, सड़कों का पैसा इसलिए रूका हुआ था हमारा कि आपने गोल्डन कार्ड योजना राजस्थान के अन्दर लागू की हुई है इसलिए मोर देन सेवन हंड्रेड करोड़ रूपीज वह एक साथ एक झटके से रिलीज हुआ, बिजली का हुआ, शिक्षा का हुआ और उसके ऊपर अतिरिक्त क्योंकि राज्य की कर उगाही की सीमा केन्द्र सरकार फिक्स कर देती है ओवर एंड अबोव। आप चाहे राज्य सरकार किसी से कर्जा नहीं ले सकती है। रिजर्व बैंक को केन्द्र सरकार ने निर्देश दिए करीब 650 या 700 करोड़ एग्जेक्ट तो मुझे याद नहीं है, एडिशनल मार्केट बोरोइंग अलाऊ कर दी आपको। आप मालदार हो गये आपकी पोजिशन ईस्ट हो गयी। लेकिन इस सबके बावजूद आपकी इतनी बढिया आर्थिक स्थिति, मेरे कहने का अभिप्राय आपके हाथ में कैश लिक्विडिटी नकदी आपके पास थी और फरवरी और मार्च महीने के अन्दर फर्स्ट टाइम राजस्थान के अन्दर अच्छा जमाना होने से अच्छी फसल होने से जो सैल्स टैक्स के बजट एस्टीमेट थे, हम हमेशा इसलिए रकम ज्यादा लिखते थे कि कर्मचारियों और अधिकारियों में स्लेकनैस नहीं आ जाए। पहले ही हम कहते हैं कि पचास रूपये वसूल करने हैं तो आराम आराम से पचास वसूल कर लिए। तो हमेशा बजट एस्टीमेट ज्यादा देता था मैं।

मुझे मालूम था कि इसके अन्दर कहीं न कहीं 100-200-300 करोड़ की कमी आएगी क्योंकि इसमें दो विचारधाराएं चलती थीं। मैं कहता था रियलिस्टिक दो, अधिकारी कहते थे कि आपने रियलिस्टिक इनको टार्गेट दिए तो यह पूरे करेंगे ही नहीं। आप थोड़ा ज्यादा दीजिए, इनकी खिंचाई करते रहेंगे तो पैसा आएगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पिछले साल 2003-2004 में 3970 करोड़ रूपये के सैल्स टैक्स के बजट टार्गेट थे। दिसम्बर में विधान सभा चुनाव के नतीजे आए। स्वागत सत्कार मंत्री मण्डल के गठन में दिसम्बर, का महीना लग गया। तो तीन महीनें में आकर इन्होंने कोई जादू कर दिया हो और इतनी एफीशिएंसी दिखा दी हो कि बजट टार्गेट पूरे हो जाएं। पूर्व में लिए गए निर्णय जिसमें कि प्लगिंग की थी लीकेज की, वह प्लस जमाना अच्छा हुआ, किसान की क्रय शक्ति बढ़ी, तो आपकी सैल्स टैक्स की रेवेन्यू फर्स्ट टाइम जाकर आपके बजट टार्गेट पूरे हुए, तो यह सब आपकी स्थिति अच्छी होने के बाद, एक बात आपसे और कहना चाहूंगा। बारहवां वित्त आयोग जो राजस्थान के अन्दर आया और डाक्टर रंगराजन साहब आए, उन्होंने हमसे कहा आपकी वित्तीय स्थिति का एक ही अच्छा इसके अन्दर उन्होंने कहा कि आपका कर्जा बढ़ रहा है लेकिन एक बात की उन्होंने निश्चित रूप से सराहना की थी। राजस्थान के टैक्स एफर्ट्स, जो कर उगाहने का राजस्थान सरकार का परफार्मेंस है वह आल इण्डिया एवरेज से बैटर है। जो हिन्दुस्तान का एवरेज आया उसमें सिर्फ एक या दो राज्य थे, उसमें राजस्थान भी था। कल शायद मुख्य मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है इसको।

मैं जिस पाइंट के ऊपर आ रहा हूं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के बावजूद आपने कुछ मूलभूत ऐसी समस्याएं थीं जिनको कि आपको एड्रेस करना चाहिए था। जो कि आपने अपने विधान सभा चुनाव के दौरान मैं मेनीफेस्टों की बात भी नहीं कर रहा, आपने बात जोरों से उठाई थी और कटघरे के अन्दर हमारी सरकार को खड़ा करने की कोशिश की थी आपने, बोर्ड लगे थे, होर्डिंग्स लगे थे 65 हजार उद्योग बंद कर दिए, किसान को बिजली नहीं मिली, पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं।

आपने ला एण्ड आर्डर की बात की थी। यहां ला एण्ड आर्डर पर तो मैं चर्चा करना चाहूंगा नहीं वह तो गृह मंत्रालय की डिमांड होगी तब होगा। आपने बिजली की बात, बेरोजगारी की बात, उद्योगों की बात की। आपने जितनी सीरियसनैस के साथ उस प्राब्लम को आपको एड्रेस करना चाहिए था इस बजट के अन्दर आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होने के बावजूद आपने उस प्राब्लम को एड्रेस नहीं किया यहां पर उस तरफ ध्यान नहीं दिया। मसलन आपने कहा बिजली की बात.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप जम नहीं रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप छोड़ो। मुझे आपके नम्बरों की आवश्यकता नहीं है। आपकी सरकार में तो मैं मंत्री बनूंगा नहीं। मुझे आवश्यकता नहीं है। आपको वित्त मंत्री बनाया नहीं उन्होंने। शिक्षा सरीका महकमा दे दिया, आपको बावला कर देगा यह महकमा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक बात है माननीय सदस्य, आप भूल जाते हो अब आप वित्त मंत्री नहीं हो। आप अपने बजट पर काहे को बोल रहे हो, हमारे बजट पर बोलो ना। हमारे रेवेन्यू रिसीप्ट पर बोलो, हमारे बजट डेफेसिट पर बोलो। आप तो अपनी अपनी, हमने यह किया, हमने वह किया। वह दिन गये, अब थोड़ा....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आ रहा हूं ना। मैं आप ही की बात तो कह रहा हूं। मैं अपनी बात कहां कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पुराने सपने आ रहे हैं। पुराने सपने आ रहे हैं आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, देखो एक आप राठौड़ हो और एक हमारे खेत सिंहजी राठौड़ संसदीय कार्य मंत्री थे, इसी सीट पर बैठते थे। दो-दो एम.एल.ए. मिलकर उनको उठाते तो भी नहीं उठते थे और आप बार-बार उठते हो। कुछ तो समझो थोड़ा बहुत कम से कम आप। थोड़ा बहुत फर्क ही सही...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, जिन चार चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था उद्योग, बिजली, अनएम्प्लायमेंट एंड माउंटिंग, कहा कि राज्य को कंगाल कर दिया, दीवालिया बना दिया, कर्ज का भार बढ़ा दिया। बड़े जबरदस्त, बड़ी सुंदर फोटो लगाकर प्रचारित किया गया सारे राजस्थान के अन्दर...(व्यवधान) डिबेट हो रही है, बोलने दो तो बोलने दो। आगे आपकी मर्जी है....

श्री सभापति : प्लीज आप बीच में टोकाटाकी नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : चिल्लाने में तो मैं जीत नहीं सकता...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनको बोलने दीजिये। वैसे ही डरते-डरते बोल रहे हैं। बोलो तो सही।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनकी संजीदगी को डर कह रहे हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यहां पर बिजली के अन्दर हमारे शिक्षा मंत्रीजी से कहलवा दिया गया कि हम कोई कीमत नहीं बढ़ाएंगे। आप ताव में कह गये आकर, ध्यान नहीं रहा। आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ा दी। वह भी कब बढ़ायी ? जब हाउस कंवीन कर लिया गया.....

एक माननीय सदस्य : पैट्रोल, डीजल की दर बढ़ा दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वह इम्प्रोपराइटी है जो कि बजट प्रपांजल्स के अन्दर हमेशा ड्यूटी बढ़ती है।

पूर्व में जहां तक मेरा ध्यान है, मुझे करेक्ट कर देंगे आप। बजट प्रस्तुत करते वक्त ही इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ायी गयी। वह टोटल इम्प्रोपराइटी है। "समरथ को नहिं दोष गोसाई" कर सकते हैं आप। लेकिन यह इनको नहीं करना चाहिये था।

आठ घंटे बिजली देने की बात कही। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं। मैं पिछली दफा यहां पर गया हुआ था। आठ घंटे बिजली किसानों को थ्री फेस को नहीं मिल रही है।

सबसे बड़ी एक समस्या और है जिस पर मुझे एप्रीहैंसन है। बिजली कम्पनियों का सारा घाटा मिलाकर इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में करीब-करीब 1800 करोड़ के ऊपर होगा। दिस में टच टू थाउजेंड। दो हजार करोड़ भी छू सकता है और इस ईयर के एंड में करंट ईयर 2004-2005 में 2200 करोड़ होगा। आज मेरे मन में एप्रीहेंसन है। मैं चाहूंगा कि सरकार, मुख्य मंत्रीजी जब बजट भाषण पर अपना रिप्लाई दें, इस बात की घोषणा करें कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, अन्यथा बिजली के दाम पर या बजटरी सपोर्ट दें इन बिजली कम्पनियों को। इतनी स्थिति अच्छी है नहीं कि बिजली कम्पनियां, जनरेशन कम्पनीज कोयला भी नहीं खरीद पाएंगी। बजटरी सपोर्ट दें यहां पर।

आपने यहां पर एक बात की, हमने दो-दो साल, डेढ़-डेढ़ साल के अन्दर जनरेशन के क्षेत्र में कीर्तिमान कायम किये। नये बिजलीघर लगा दिये। तेरह सौ करोड़ का धौलपुर का गैस प्रोजक्ट है। मुख्य मंत्रीजी की, मेरी फाइल पर क्लीयरेंस थी इस प्रोजेक्ट को लागू करने के लिये। आपने ऊंट के मुंह में जीरा, कुल एक सौ बीस करोड़ रूपये का करंट ईयर में प्रावधान किया। अगर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

इसी गति से चला तो कितने साल में पूरा होगा ? बिजली कम्पनीज का जो स्टाफ है उन्होंने सूरतगढ़ के अन्दर कोटा में जिस गति से बिजलीघरों को लगाया, अगर आप इनके लिये पैसे का पूरा प्रोवीजन कर दें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि दो साल के अन्दर....धौलपुर का सवाल नहीं है। अगर वह कम्पलीट होता है तो धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली में बिजली जाती है उससे फर्क पड़ेगा। तो बिजली क्षेत्र के अन्दर जनरेशन केपेसिटी के अन्दर कहीं वही स्थिति पैदा न हो जाए जो पूर्ववर्ती सरकार, भैरोंसिंहजी की सरकार आयी थी, एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की थी और जनरेशन के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कीर्तिमान कायत किया था। यह तो रही बिजली की बात।

उद्योग से रिलेटेड मामला। आपने जो केप्टिव जनरेशन प्लांट लगा रखे थे, उद्योगों को बढ़ाने की बात यहां पर की गयी कि हम उद्योगों को रिवाइस करेंगे, बिजली से रिलेटेड है इसलिये इस इश्यू को कह रहा हूं। आपने उनके ऊपर ड्यूटी थोप दी। बहुत सी यूनिट्स को पड़ता नहीं पड़ेगा। यह बात निश्चित है कि बिजली कम्पनीज के द्वारा उनको जो बिजली दी जाती थी वह महंगी होती थी और बिजली की सप्लाई ड्रेटिक हुआ करती थी इसलिये उन्होंने अपने जनरेशन प्लांट लगाये। आपने ध्यान नहीं दिया इस तरफ और आपने उनके ऊपर क्या सोच कर लगाया लेकिन इससे उद्योगों की स्थिति निश्चित रुप से खराब होगी।

मैं बजट भाषणा पढ़ रहा था कि हम रूग्ण उद्योगों के रिवाइवल के लिये पैकेज देंगे। मुझे उसमें कोई खास बात नजर नहीं आयी। 2003 में हमने जो इण्डस्ट्रियल पॉलिसी थी पुरानी वाली आपकी सरकार की, उसके तहत ही हमने कुछ नये इंसेटिव्ज देने की बात की थी। मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं स्वीकार किया कि 2003 के इंसेटिव्ज के अन्दर यह करेंगे, यह करेंगे लेकिन आपने जो 65,000 का फिगर, 65,000 उद्योग बंद हो गये, आपने राजस्थान की सारी जनता को भ्रम में डालने की चेष्टा की। मैं चाहूंगा कि उन 65,000 बंद उद्योगों के नाम जिलेवार और कौनसा उद्योग था, आप यह सूची प्रकाशित करें। रीको और आर.एफ.सी., दोनों ने मिलाकर करीब 1100-1200 यूनिट्स का टेकओवर किया है जो सिक यूनिट्स थी। उनके रिवाइवल के लिये हमने पैकेज बनाया था तो यह 65,000 का फिगर जनता को बहकाने के लिये आप कहां से लाए। यह फिगर आपके पास आया कहां से ? चलिये आ गया, आप कहते हैं है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हमारे पास, बता दीजिएगा यहां पर। फिर आपने रिवाइवल के लिये, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा क्योंकि आपने एक लाख लोगों को रोजगार देने की बात की। लोगों में भ्रम, कि नौकरियां खतम कर दीं। आप आए, नौकरियों से बेन, प्रतिबंध हटाया गया। सात महीने के अन्दर कितने लोगों को नौकरी दी, आप फिगर दीजिये। एडवरटाइज करना बात दूसरी है। आपने टीचर्स की नौकरी एडवरटाइज कर दी। उससे काम नहीं चलने वाला है। आपने कहा कि लड़कों के दिमाग में यह बात है कि हमें नयी नौकरियां प्राप्त होंगी। आज पढ़े लिखे लड़कों के लिये बेरोजगारी की सबसे बड़ी भंयकर समस्या है। आपने उनको बहका कर तो ले लिया, लेकिन करा आपन कुछ नहीं। फिर आप उद्योगों को लगाने की बात कहते हैं यहां पर, अब यह तो ऐसा जाल है कि रीको के माध्यम से इतने लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मेरी चुनौती है रीको कहां से लगा देगा ? क्या है रीको के पास ? रीको से कोई लोन ही लेने नहीं आ रहा है आज कल, आप नौकरी कहां से लगाओगे.....

एक माननीय सदस्य : रीको देती नहीं है। मंत्री महोदय, आर.एफ.सी. देगी आपको...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको पता कुछ है नहीं। रीको देती नहीं है, फालतू बात करते हो, सीखो।

माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे ऊपर आरोप, आप अपने कार्यक्रम का, आपका रोड मैप बता दीजिये नौकरी के बारे में, या फिर यहां सदन में आप साफ घोषणा करें कि सरकार नवयुवकों को सरकारी नौकरी देने की हैसियत में नहीं है। मैं सुन रहा था जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर दे रही थी तो बड़ी चतुराई के साथ रोजगार की बात की। हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में दिलवायेगें, पर्यटन के क्षेत्र में दिलवायेंगे, कापरेटिव के जरिये दिलाएंगे......

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तीस हजार मास्टर बनाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मास्टर तो जिस दिन लग जाएं उस दिन बड़ी कृपा होगी ईश्वर की। क्योंकि हर नौकरी हाई कोर्ट के दरवाजों पर, चाहे वह छोटी से छोटी नौकरी हो, वह हाई कोर्ट का दरवाजा देखें बिना मानेंगे नहीं, हर नौकरी का आज हाल यही है। आप कुछ करें इसके बारे में। एक एक्सपर्ट कमेटी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बैठाये, बड़े वकीलों की आप सलाह लें, लॉ डिपार्टमेंट से सलाह ले, तमाम रूल्स उनको दें, जो अमेंडमेंट कराना है वह सदन से करा लीजिये अन्यथा मास्टर आपके अपाइंट तो होंगे नहीं। हमने भी निकाली थी सात हजार मास्टरों की निकाली, छः हजार मास्टर जो 1998-99 में जो सुप्रमी कोर्ट का आर्डर था, उसकी फाइल पर रिजर्व करके रखे थे, हम भी नहीं लगा पाये। एक के बाद एक हाई कोर्ट का मुंह देखती हैं। फिर एक और समस्या हाई कोर्ट के अंदर आ गयी है, मैं बजट से अलग हटकर जा रहा हूं, हर जज के यहां जिसकी बैंच लगी है उसी में पेश हो गयी। उसने आपको नोटिस दिया, अरे बाबा, कंसोलिडेट करा दो आप इसको एक जगह, एक जज की बैंच बनाकर, डी.बी. बनाकर कंसोलिडेट करा दो जिससे कि इस समस्या का निदान हो सके अन्यथा यह आपके पांच साल यूं ही निकल जायेंगे। आप एक नौकरियां नहीं दे पायेंगे मास्टरों को।

श्री जुबेर खान : फिर हमारी तरह यहां बैठ जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आपने यहां एक लाख लोगों को नौकरियां देने की बात की, प्रति वर्ष एक लाख लोगों की बात की, यह लोगों में मिथ है, इस मिथ को आपको दूर करना पड़ेगा वरना आपको भारी पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं इसके बड़े गंभीर परिणाम निकलेंगे। अच्छा है, हम तो चाहते हैं कि राजनैतिक तौर पर आपको परिणाम भोगने पड़ें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप चाहते हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम साधु-संत तो नहीं हैं कटारिया जी।

एक माननीय सदस्य : आप शुभ चिंतक हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, नौकरियों का यह हाल है, आपको उद्योगों के पुर्नजीवन के लिये, रिवाइवल के लिए थोड़ा बहुत चाहिए था, वह आपने उन पर बिजली की ड्यूटी लगा दी। आप इन उद्योगों के बारे में राजनीति से ऊपर उठकर के देखें, करीब बारह सौ या तेरह सौ यूनिट्स जो आर.एफ.सी. ने टेक ओवर की थी उनमें से करीब सात सौ तो बिक गयी।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप इतने शुभ चिंतक क्यों हो रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : धौलपुर से हैं इसलिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पड़ौस में रहे लेकिन मंत्री नहीं बने। इसलिए दया आ रही है आपके ऊपर मुझे, बहुत दया आ रही है, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी पूरी सहानुभूति है क्योंकि आप मेरे चुनाव में आये थे, परिचय हो गया था इसलिए।

एक माननीय सदस्य : कितने लोगों पर दया करेंगे आप ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नाथूसिंह पर तो है, नाथूसिंह और कालीचरण..।

एक माननीय सदस्य : आप दोनों पर तो करेंगे ही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में टोका-टोकी नहीं करें....... (व्यवधान) माननीय सदस्य बीच में टोका-टाकी नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह तो रही उद्योग की बात, नौकरी की बात, बिजली की बात, यहां पर एक और बड़ा मुद्दा उठाया था कि राज्य में ऊपर कर्जा बढ़ाकर के कमर तोड़ दी, 53 हजार का कर्जा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बजट पर आयें ना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, बजट का पार्ट ही तो है, 53 हजार का कर्जा, आपकी क्या स्थिति रहेगी इस साल के आखिर में, बजट मिन्स एवरी थिंग, अब आप देखें जो बजट एस्टीमेंट के अंदर फिस्कल डेफीसिट है यह प्राइमरली आपकी जो लोन की आवश्यकता होती है, मोटा-मोटी वह आपको फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। यह सरकार कितना लोन लेगी इस फाइनेंसियल ईयर के अंदर, यह उसको इंगित करता है, 6810 करोड़ रूपया और 53 हजार पुराना और इसी तरह से 6800 की दर से बढ़े या 6000 की दर से बढ़े तो जब आपकी विदाई होगी पांच साल बाद तो आप करीब-करीब 34-35 हजार करोड़ रूपया और राज्य के ऊपर देकर जायेंगे। अब इसके लिए आपको उपाय तो कुछ करना पड़ेगा। आज आवश्यकता यह है कि हमने वित्त आयोग को जो मेमोरेंडम दिया था, मुझे मालूम नहीं है कि आपने एडिशनल मेमोरेंडम क्या दिया है, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमने जो वित्त आयोग को कहा था, सारी सरकारें वित्त आयोग से कहती आ रही हैं कि राज्यों के ऊपर जो कर्जे का भार बढ़ रहा है उसको कैसे रोका जाये। एक दफा तो सफाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आप इसको रोक लगा दीजिये। केन्द्र सरकार को जो रोक लगानी है

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वह रोक लगाने दें। लेकिन एक दफा तो इस कर्जे की सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि हमसे भी आगे बढ़कर बंगाल, महाराष्ट्र, यू.पी., गुजरात, आंध्र प्रदेश, आप पिछले सालों का उठाकर देखें, राजनीति की जगह राजनीति करें, आप कहते हैं कि राजस्थान को कांग्रेस ने डुबो दिया, आपकी सरकार भी कर्जा लेने में पीछे नहीं रही है, अन्य प्रांतों के अंदर और जब भी हमारी रिकार्ड से आगे जायेंगे आप।

समस्या का समाधान तो हो, राजस्थान की जनता थोड़े ही सफर करेगी। इसके लिये तो हमें आगे-पीछे भारत सरकार से सबको मिलकर कहना पड़ेगा। कुछ देश के सामने ऐसी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिसको सभी दलों को मिलकर के हल करना है, क्योंकि आज हिन्दुस्तान में जो सरकारें बनी हुई हैं, विभिन्न प्रांतों के अंदर विभिन्न दलों की सरकारें हैं और सबके सामने विकास की समस्या है। जनता रूकने वाली नहीं है, जनता की आकाक्षाएं बढ़ी हुई हैं, विकास चाहती है, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करना धन के अभाव में पूरी तरह असंभव है। इसके लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। भारत सरकार से हम सबको मिलकर कहना पड़ेगा। एक दफे पूरे लोन्स को ब्लाक करके री-शिड्युलिंग या अन्य कोई मेजर लें, अन्यथा बहुत कठिनाई का सामना राजस्थान को खासतौर से करना पड़ेगा।

श्री सभापति : मोबाइल किसका बज रहा है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, आप हमसे रोज कहते थे, आप क्या कहने की स्थिति में हैं। मैं एक राजनैतिक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं कि जिस लेवल पर आपने कर्जा छोड़ा था उस लेवल से आगे हम कर्ज को नहीं बढ़ने देंगे, जब आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया था, आपने हमारी खिल्ली उड़ायी थी, मजाक उड़ाया था, हमको बदनाम किया था कि आपने राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ा दिया, आपकी स्थिति क्या है ? हमने जिस सीमा से लिया था उससे ज्यादा तो आप ले रहे हैं, आपके पास क्या जवाब है, यह बतायें।

एक माननीय सदस्य : बता देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बताना पड़ेगा, नहीं बताओंगे तो कैसे काम चलेगा।

श्री महावीर प्रसाद : कुछ देर पहले तो मोदी जी ने बताया था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार आपकी है, जांच करा लीजिये.... (व्यवधान) महावीर प्रसाद जी सरकार आपकी है, जांच करा लीजिये, कोई चिंता की बात मुझे नहीं है, सारे कागज आपके पास हैं, फाइल आपके पास हैं, सब आप दिखवा लीजिये।

श्री वीरेन्द्र मीणा : सिंह साहब, आपकी सरकार 24 हजार करोड़ के कर्जे को 53 हजार करोड़ पर ले आयी थी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, मुझे मालूम है।

श्री वीरेन्द्र मीणा : उसका ब्याज दे रहे है हम 4 हजार करोड़..... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप 85 ले जायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं यही तो कह रहा हूं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी, आप प्रयत्न करें, नौजवान हो, मुख्य मंत्रीजी को समय नहीं मिलेगा. आप उसको बढ़ने नहीं देंगे, उसको रोके रहेंगे। जब हमने राज संभाला तो 24500 करोड़ का कर्जा था, ब्याज का भार तो हमारे पर भी था उस वक्त, 16-17 प्रतिशत का ब्याज का भार था बहुत सारे रूपयों पर, खेर मैं उस विगत में नहीं जाना चाहता। इधर बैठकर सम्मानीय कटारिया जी, वह कहां गये राठौड़ जी, माणिक चन्द जी सुराना, सम्मानीय भैरोंसिंह जी साहब हमारी सरकार पर बराबर कहते रहे, प्लान की बात आपने कहीं कि हमने 6040 करोड़ के प्लान को सैकण्ड ईयर है टैंथ प्लान का 6 हजार करोड़ एचिव किया कहां से एचिव किया? क्योंकि आपको डिवोल्युशन ज्यादा मिला, आपने कर्मचारियों की उम्र 60 कर दी जिससे आपको जो बेनिफिट का पेमेंट उनको करना पड़ता था वह रूपया कैश इन हैंड आया। आपने एडिशनल मार्केट से बोरो लिया। आपने डेट स्वैप का लाभ नहीं उठाया, चुपचाप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत सरकार से उस योजना को आपने पोस्टपोन करवाया जिससे राजस्थान पर ब्याज का भार पड़ा। इन सब चीजों को भुलते हुए आपने 6100 करोड़ का प्लान बना लिया।

आपने यहां 7000 करोड़ रूपए की प्लान की बात की कि हम 7000 करोड़ रूपए से ऊपर का प्लान बनाएंगे। आपके बनाने से कुछ नहीं होगा। भारत सरकार का प्लानिंग कमीशन आपके रिसोर्सेज को आंकता है और एक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

बात मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार करंट इयर का जो प्रोजेक्शन है, जिसमें उन्होंने अपनी आमदनी को दर्शाया है, उसके मुकाबले में इस साल अगर टारगेट पूरे हो गए, जो बजट एस्टीमेट्स हैं उनको उन्होंने अचीव कर लिया तो सरकार को हजार से बाहर सौ करोड़ रूपए फिर ज्यादा मिलेंगे इस साल क्योंकि मैं हजार से बारह सौ करोड़ रूपए फिर ज्यादा मिलेगा, उसको पढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से इनको फायदा होगा और वैसे यह सारा फाइनलाइजेशन हम भी कई दफा प्लानिंग कमीशन के अंदर गए, हमने प्लानिंग कमीशन से कहा कि हमारे इतने का है, वह तो आपके सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से फीगर्स लेकर, आपके फीगर्स लेकर के, ए.जी. एक्चुअल्स को लेकर, सब रिकंसाइल करते हैं, आपकी ग्रोथ को मानते हैं फिर फाइनल करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहो, करो, मानते नहीं है।

मैं आखिर में सबसे बड़ा और अहम सवाल है, जैसा माननीय वित्त मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी ने वेट के बारे में यहां कुछ भी नहीं कहा। वैट के बारे में यहां पर, क्योंकि वैट इतना साधारण सवाल नहीं है, वैट का बिल पास किया हुआ रखा है, जो मोडल बिल भारत सरकार ने सरकुलेट किया, वह पास किया हुआ रखा है। वैट के बारे में मैं एक बार फिर बैकग्राउण्ड बताना चाहूंगा। जब राज्य वहां बैठते हैं, वहां पर कोई पार्टी लाइन पर बात नहीं होती, माननीय गृह मंत्रीजी, हर राज्य अपने इंटरेस्ट को देखता है कि मेरे राज्य के इंटरेस्ट के बारे में बात करें और वहां पर क्लीयर दो ग्रुप बन गए हैं। एक तो डवलप्ड स्टेट्स का ग्रुप बन गया है जो औद्योगिक दृष्टि से एडवांस स्टेट्स हैं और एक राजस्थान सरीखे राज्य जो कम एडवांस हैं औद्योगिक दृष्टि से, ऐसे दो ग्रुप हैं वहां पर।

वहां पर झगड़ा यह चल रहा है कि सी.एस.टी. को समाप्त किया जाए। हम लोग इस बात की बराबर मांग कर रहे थे कि आप सी.एस.टी. को समाप्त कीजिए। सेंट्रल सैल्स टैक्स को समाप्त कीजिए। जो मालदार राज्य हैं, जिन्हें कहना चाहिए इण्डस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट, वह सी.एस.टी. को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं। पहले तीन साल तक, हालांकि भारत सरकार ने कहा है कि बिक्री कर के तहत जो घाटा होगा पहले साल में 100 फीसदी, दूसरे साल में 50 फीसदी, तीसरे साल में 25 फीसदी घाटे की भरपाई वह करेगी, यदि कोई होता है। चलिये, वहां तक तो ठीक है, अब सवाल आ गया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सी.एस.टी. के बारे में, जब तत्कालीन वित्त मंत्री जसवन्त सिंह जी मीटिंग ले रहे थे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह रेकार्ड पर आ जाए कि आपने इस प्रोब्लम पर ध्यान नहीं दिया, एड्रेस नहीं किया तो जो बेरोजगारी है राजस्थान में, उद्योग बंद हो जाएंगे, राजस्थान से उद्योगों का पलायन होगा, उस सूरत के अंदर बहुत बड़ा नुकसान राजस्थान का होगा। तो वहां पर दो ग्रुप बने हुए हैं और एक बड़ा काम्प्लीकेटेड इश्यू है यह क्यों इसको समझने के अंदर, माननीय गृह मंत्रीजी, आप जरा बात न करें, मेरी बात सुन लें माननीय गृह मंत्रीजी।... (व्यवधान)

मैं सी.एस.टी. के बारे में निवेदन कर रहा था, वहां पर राज्यों को सर्विस टैक्स ट्रांसफर करने का भी फैसला हो चुका है। सर्विस टैक्स के अंदर जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वह है, टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इनश्योरेंस, इससे सबसे ज्यादा राजस्थान में 56 या 55 करोड़ रूपए आता है, वह पहले तीन सैक्टर से आता है, वह नहीं दे रहे। भारत सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री जसवन्त सिंह के सामने जब यह बात रखी तो उन्होंने कमिटमेंट किया था, प्रोमिस किया था कि इस मलाई में से कुछ हिस्सा आपको भी देंगे। "मलाई" वर्ड यूज किया था मजाक में उन्होंने, क्योंकि सारी बुराई तो हमारे सिर, राज्य सरकार सर्विस टैक्स की वसूली करेगी तो सर्विस टैक्स का विरोध होगा, तो कृपया आप इसका भी ध्यान रखें।

एक बात और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अभी से ही अफसरों की एक टीम लगा दें जो इश्यू छोड़ कर आए थे, बढिया एक्सपियरेंस्ड आदमी हैं आपके पास, सैल्स टैक्स डिपार्टमेंट में भी हैं। इन इश्यूज को आप एड्रेस करें, अगर आपने एड्रेस किया और बगैर इसके इम्प्लीकेशंस समझे बिना, इसके कोम्प्लीकेशंस समझे बिना तो राज्य को इससे नुकसान होने की सम्भावना से आप इन्कार नहीं कर सकते हैं।

दो पाइंट और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बैक टू बैक, दो चीज और बहुत अच्छी हुई है इस केन्द्रीय बजट में। इससे भी आपके राज्य की आर्थिक स्थिति के ऊपर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, फायदा होगा, सुधार होगा।

जो एक्सटर्नल लोन्स आते हैं विदेशों से, लोन जो राज्य सरकार को मिलते हैं, मिलते भारत सरकार के जरिये हैं। हम बराबर यह मांग करते थे

(श्री. प्रद्युम्न सिंह)

कि तीन प्रतिशत, चार प्रतिशत के ऊपर आप लोन लेते हैं और राज्य सरकार से आप बारह प्रतिशत वसूल कर रहे हैं। वह कहते थे कि डालर के फ्ल्क्चुएशन्स की वजह से, डालर की प्राइस की वजह से बारह प्रतिशत हमको लेना पड़ रहा है लेकिन अब सवाल यह है कि उन्होंने नई घोषणा कर दी, बेक टू बेक बेसिस के ऊपर वहां से आएगा। वहां से आएगा तो आपके हैल्थ डवलपमेंट प्रोग्राम, शहरी डवलपमेंट प्रोग्राम, वाटर और इर्रिगेशन प्रोग्राम, ये तीन मेजर लोन आपके पास आ रहे हैं। इसके ऊपर आपको ब्याज का निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आपको लेने की चेष्टा करनी चाहिए। अभी से इस पर लिखा-पढ़ी आपको करनी चाहिए वहां पर। इससे भी राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा।

सभापति महोदय, राज्य की बढिया वित्तीय स्थिति होने के बावजूद राज्य के बेकार नौजवान, राज्य के किसान के लिए बिजली और बंद पड़े उद्योगों की खस्ता हालत की तरफ इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है, यही बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय कालीचरणजी सर्राफ।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार) : सभापति महोदय, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जो शानदार और जानदार बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, बेरोजगार नौजवान हो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का बजट पेश किया गया है जिसमें हर वर्ग को राहत प्रदान की गई है, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है परन्तु किसी भी वर्ग का अहित नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, किसानों ने बजट की प्रशंसा की है, व्यापारियों ने प्रशंसा की है, मजदूरों ने प्रशंसा की है, बेरोजगारों ने प्रशंसा की है, नौजवानों ने प्रशंसा की है और राजाखेड़ा से आने वाले विपक्ष के मेरे मित्र, माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो वह भी कोई रचनात्मक आलोचना करने में असफल रहे।

(श्री कालीचरण सर्राफ़)

वो यह बताते रहे कि हमने पांच साल में क्या-क्या कारगुजारियां की। मैं बजट पर विस्तृत रूप से चर्चा करूं उससे पहले आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी ने जो बातें यहां कही हैं उसके बारे में जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इनके समय में चार साल तक अकाल पड़ा और आप जब आये तो अकाल समाप्त हो गया। आपने कहावत सुनी होगी "यथा राजा तथा प्रजा"। जब आप स्वयं इस बात को मान रहे हैं जब-जब राजस्थान में कांग्रेस का राज आया (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए, बैठिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आज तक ऐसा नहीं हुआ सावन में बरसात न हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप मान रहे हैं इस बात को जब-जब राजस्थान में कांग्रेस का राज आया तब-तब अकाल पड़ा और जब-जब भारतीय जनता पार्टी का राज आया अकाल नहीं पड़ा।

श्री संयम लोढ़ा : 1991 से 1998 के बीच में पांच साल अकाल रहा।

श्री कालीचरण सर्राफ : यह गड़बड़ इसलिए हो गई कि दिल्ली में आपका राज आ गया। फिर अकाल का सामना करने में यदि आप यह चाहते क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने, उस समय की जो केन्द्रीय सरकार थी उन्होंने आपको सात हजार करोड़ की सहायता दी। आप चाहते तो राजस्थान में अकाल को वरदान में परिवर्तित कर सकते थे, परन्तु आपने नहीं किया।

मैं याद दिलाना चाहता हूं 1998 में जब विधान सभा के चुनाव हो रहे थे तो आपने यही कहा था कि शेखावत साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान को कर्जा लेकर कंगाली की कगार पर पहुंचा दिया। आपने यह कहा था कि एक भी बेरोजगार नौजवान को रोजगार नहीं दिया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं आपने उस समय वादा किया था कि यदि कांग्रेस का राज आ गया तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 58 साल से 60 साल कर दी है इसको हम पुनः 58 साल करेंगे और उससे जो पद रिक्त होंगे उन पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। पांच साल तक राजस्थान को बेरोजगार नौजवान आपकी ओर टुकर-टुकर देखता रहा, ललचायी निगाहों से आपके निर्णयों की ओर देखता रहा,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

परन्तु दुर्भाग्य है कि आपने एक भी बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की हिम्मत नहीं की। इतना ही नहीं आपने तो सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आप अभी कह रहे थे कि हम पांच साल में किसी को नौकरी नहीं दे पाये, आप भी नौकरी नहीं दे पाएंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : 80 हजार लोगों को दी है श्रीमान् जी, पांच साल में।

एक माननीय सदस्य : सफेद झूठ बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आपने अभी कहा कि यदि आप नौकरी के लिए वेकेंसीज निकालेंगे तो हाई कोर्ट का स्टे आ जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं शिक्षा विभाग में 1134 हैडमास्टर्स, 2485 स्कूल लेक्चरर्स, 284 फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, 25762 स्कूल टीचर्स, थर्ड ग्रेड के और 370 विभिन्न विभागों में पोस्टें आरपीएससी के द्वारा नोटिफाइड कर दी गई हैं। आरपीएससी के द्वारा ये पोस्टें विज्ञापित कर दी गई हैं, फार्म भरवाये जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी अपना स्टे वेकेट कर दिया है इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसके अलावा आदरणीय प्रद्युम्नसिंह जी मेरी बात सुनिए, 26521 आंगनबाड़ी केन्द्रों में सहयोगिनों की नियुक्तियां की जाएंगी। 72 हजार लोगों को उद्योग विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। पांच हजार लोगों को स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा (व्यवधान) देखते जाइए। 30 हजार लोगों को वन विभाग के द्वारा रोजगार प्रदान किया जाएगा। एक लाख 40 हजार लोगों को खनन क्षेत्रों में रोजगार दिया जाएगा। 1119 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया जाएगा और एक हजार लोगों को सूचना प्रोद्योगिकी में रोजगार दिया जाएगा। यानि कुल मिलाकर इस वर्ष तीन लाख बेरोजगार नौजवानों को यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने में सफल होगी।

डा. सी.पी. जोशी : मुंगेरीलाल के हसीन सपने। बहुत बढ़िया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप अगले बजट सत्र में तीन लाख लोगों की लिस्ट दे देना।

श्री सभापति : बैठिए। बीच में टोकाटाकी न करें। आर्डर प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ : आदरणीय प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे थे कि हमने विधान सभा के चुनाव मे गलत प्रचार किया कि राजस्थान में 66 हजार उद्योग बंद पड़े हैं। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं प्रद्युम्न सिंह जी को कि आप मेरे साथ राजस्थान के कोने-कोने में चलें यदि 66 हजार से एक भी उद्योग आपके समय में कब बंद हुआ हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो आप राजनीति छोड़ देना। मैं अब आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आज ही प्रश्न है। आज ही राज्य सरकार ने जवाब दिया है एक सवाल का कि रूग्ण ईकाइयां कुल 34 हजार बंद बतायी हैं। यह है क्वश्चन नं. 38 । माननीय सभापति महोदय, आज का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जवाब दिया है आज ही।

मोहम्मद माहिर आजाद : आज ही सरकार ने जवाब दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माहिर साहब, हमने छह माह में 34 हजार उद्योगों को वापस चालू कर दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, अगर आप चाहें तो मैं इसको टेबल करता हूं। (व्यवधान) आप सदन को गुमराह कर रहे हो। यह आज का जवाब है। एक दिन पहले का भी नहीं है। रूग्ण इकाइयों का।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, अगर कालीचरण जी सर्राफ साहब सदन को गुमराह कर रहे हैं और माहिर साहब को कोई आपत्ति है तो विधान सभा के प्रक्रिया नियम (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं टेबल कर दूं ? माननीय सभापति महोदय...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा था जब कांग्रेस का शासन था तब 66 हजार उद्योग बंद थे। हमें शासन करते हुए छह महीने हो गये, इसके मायने हमने औद्योगिक जगत में जो कीर्तिमान स्थापित किया उसके कारण से 33 हजार उद्योग वापस चालू हो गये।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : इतना असत्य मत बोलो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, आप अगर इजाजत दें तो मैं यह टेबल कर दूं। (व्यवधान) सदन में असत्य कथन करके गुमराह कर रहे हो (व्यवधान) यह टोटल बंद उद्योगों की सूची है। (व्यवधान) मंत्री इसीलिए नहीं बनाया कि आप हवा में बात करते हो। यह रामगंज चौपड़ नहीं है, यह राजस्थान विधान सभा है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यहां अकेले नाथूसिंह जी एल.एल.एम. नहीं हैं, हम भी पढ़े-लिखे लोग हैं, हम यहां गलत बात नहीं सुन सकते। आप अनपढ़ लोगों को सिखाइए। आप कहें तो मैं इसको टेबल कर दूं।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : माहिर आजाद साहब, रूग्ण इकाइयों और बंद इकाइयों में अंतर हैं। दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

श्री सभापति : यह कोई मंत्रीजी का वक्तव्य नहीं है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : ये चुनौती दे रहे हैं। (व्यवधान) इनको कहें कि ये चुनौती न दें।

एक माननीय सदस्य : आप माफ कर दो। अब आप विराजिए। सभापति जी, माफ कर दो।

श्री सभापति : बैठिए माननीय सदस्य। बैठिए। आप बोल नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, मैं फिर मेरी बात को दोहराना चाहता हूं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : आप फंस जाओगे। अब आप फंस जाओगे अगर दोहराओगे तो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव हो रहे थे उस समय 66 हजार उद्योग बन्द थे।

मोहम्मद माहिर आजाद : बन्द थे तो चालू करवाइये।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां, अब आप सही समझे। अब आप सही समझे, बैठिए, आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, आप व्यवधान नहीं करें, कृपया बैठिए। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : माननीय कालीचरण जी अब आगे मत बोलो, फंस जाओगे।

श्री सभापति : आपका जब समय आए तो बोलिए। (व्यवधान) आप बिराजिए। माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे निवेदन है कि बार-बार व्यवधान न करें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, इस प्रश्न के खण्ड दो में आपके उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया है कि एक भी रूग्ण इकाई को शुरू नहीं किया गया है। यह इस प्रश्न के खण्ड दूसरे का जवाब है। दूसरे खण्ड में, अब आप और भी एक गलती को छिपाने के लिए सौ गलतियां मत करिए, कालीचरण जी, माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य।

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, कृपया आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, बिराजिए। जब आपका बोलने का समय आए तब आप पूरी बात बता दें।

श्री नन्दलाल मीणा : पाइंट ऑफ आर्डर, माननीय सभापति महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : गलत बात नहीं सुनेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर। (व्यवधान) ये फैक्ट्रियां बन्द हैं या रूग्ण हैं इसके विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली विधान सभा में 153 की संख्या में ये फैक्ट्रियां चला रहे थे उनमें से सौ फैक्ट्रियां बन्द हो गई। इसमें अगर कोई असत्य बात है तो आप बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिए, माननीय कालीचरण जी।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी केन्द्र में फैक्ट्रियां कितनी बन्द हुई हैं इसका भी जवाब दे दो, जरा केन्द्र में क्या किया ? वहां का राज क्यों चला गया (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : हजारों रूपया, 50 हजार रूपये की जो एंट्रियां चढ़ा रखी थीं।

श्री रामप्रताप कासनिया : फील गुड फैक्ट्री ही बन्द हो गई आपकी।

श्री नन्दलाल मीणा : हवा निकल गई। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन है कि बार-बार आप व्यवधान न करें। कालीचरण जी। (व्यवधान) आप नागर साहब बिराजिए।

श्री बाबूलाल नागर : कालीचरण जी की जयपुर में अच्छी साख है तो कम से कम ऐसे असत्य मत बोलो, सदन को गुमराह मत करो।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, जब प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे थे तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे उनका भाषण।

मोहम्मद माहिर आजाद : सच बोल रहे थे।

श्री कालीचरण सर्राफ : सच बोलते तो यह दुर्गति नहीं होती।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या अटल जी की भी दुर्गति हो गई न दिल्ली में ? अटल जी ने भी गलत बोला इसलिए दुर्गति हुई। (व्यवधान) आपको मंत्री नहीं बनाया तो आप पार्टी को ही सब को ब्लेम क्यों कर रहे हो ? केन्द्रीय पार्टी पर ही।

श्री सभापति : माननीय कालीचरण जी, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री कालीचरण सरार्फ : हां, मैं आपको ही कह रहा हूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : 145 हैं, आपके पास क्या है क्यों खुश हो रहे हो कि केन्द्र में हमारी सरकार है, 145 एम.पी. हैं, आपके टोटल वहां पर 145 हैं 545 में से, कहां गलतफहमी हो रही है आपको ?

एक माननीय सदस्य : लालू जी को धन्यवाद दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह तो लालू को धन्यवाद दो जिनकी बैसाखियों पर बैठे हो वहां पर।

श्री कालीचरण सर्राफ : सभापति महोदय, आदरणीय प्रद्युम्नसिंह जी ने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह घोषणा की थी कि बिजली की दरें नहीं बढाई जाएंगी और अब दरें बढ़ा दी तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कोल इण्डिया लिमिटेड के द्वारा कोयले के दामों में 17 प्रतिशत की वृद्धि की गई, 203 करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार बढ़ा। डीजल की कीमतों में एक रूपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई।

श्री संयम लोढ़ा : डीजल काम में आता है क्या ? आपने वर्कआउट किया क्या इसको ?

श्री कालीचरण सर्राफ : खूब कर लिया, आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : तमिलनाडू में पांच सौ करोड़ रूपये की राहत दी, आंध्र में पांच सौ करोड़ रूपये की राहत दी, वहां कोयले के भाव नहीं बढ़े, वहां डीजल के भाव नहीं बढ़े। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत छिपाइये, राज दिया है लोगों का भला करने के लिए, इस तरह से अन्याय करने के लिए नहीं दिया।

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने कम किये थे, 52 पैसे की जगह 92 पैसे रेट करके बैठे हो उधर आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : पांच साल में इतने पैसे कर दिये 52 पैसे से। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : आदरणीय सभापति महोदय, यह हमको जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ा रहे हैं, इनका जब राज था, पांच साल तक कांग्रेस का राज था तो पांच वर्ष के दौरान दो बार विद्युत और दो बार टेरिफ बढ़ाई और आप हमको जिम्मेदार बता रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा : बिलकुल बताएंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : हमने तो मजबूरी में बढ़ाई है।

श्री संयम लोढ़ा : आपने जनता से जो वायदे किये हैं वह पूरे करो। और हम इस बात की पूरी लड़ाई पांच साल लडेंगे।

श्री कालीचरण सर्राफ : आपका नम्बर आए तब बोल लेना।

श्री संयम लोढ़ा : बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सभी सदस्यगण से निवेदन है कि कृपया व्यवधान न करें। (व्यवधान) यह आसन को ही सम्बोधित कर रहे हैं। आप बिराजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : किसानों को 8 घंटे बिजली नहीं दी गई। यह भी कहा गया। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, यह बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद पांच हजार के ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में निरन्तर बिजली की सप्लाई की गई, कहीं कोई कट नहीं किया गया। क्या हो रहा है, बैठ जाइये न।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, यह बिलकुल असत्य है। एक भी गांव का नाम बता दें, कालीचरण जी, कि इस गांव में 7 महीने में बिजली 24 घंटे सप्लाई करने का उपक्रम किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धोद में।

श्री अमराराम (धोद) : धोद में तो 15 साल पहले से हो रही है और कोई नाम बता दो आप।

श्री कालीचरण सर्राफ : मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसी कोई ढ़ाणी नहीं है कि जहां पांच साल में तीन घंटे से ज्यादा बिजली आई हो और भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद राजस्थान में ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई ढ़ाणी नहीं जहां सात घंटे से कम बिजली आई हो। हमने फसल के समय किसानों को 7-8 घंटे बिजली लगातार दी।

श्री संयम लोढ़ा : पांच साल में जयपुर से बाहर कभी गये थे क्या ?

श्री कालीचरण सर्राफ : पांच साल में श्रीमान् जी आप यह खैर बनाइये कि सिरोही नहीं आया कि आपकी भी गत वही होती जो बाकी एम.एल.एज. की हुई समझ गये न। जहां-जहां गया वहां कांग्रेस का बंटाधार हो गया, बिराजो अब आप।

श्री संयम लोढ़ा : पिछली बार क्यों लुढक गये, आप फिर इसका भी जवाब दे दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, ये सिरोही नहीं आये तो तारा भण्डारी जी से दुश्मनी थी क्या ?

श्री संयम लोढ़ा : आप बताइये इनकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की वह क्या सक्षम नहीं थी जो आपकी जरूरत पड़ रही थी वहां पर और आप इतने सक्षम थे तो पिछली बार क्यों हार गये आप ? (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मैं आदरणीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद 870 लाख यूनिट प्रतिदिन बिजली खपत हो रही है 72 घंटे में ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : फिर असत्य बात है।.

श्री कालीचरण सर्राफ : उनको बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री बाबूलाल नागर : यह असत्य बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, मेरा निवदेन है आपसे कि आप कृपया बिराजें।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप अपना नम्बर आए तब बोल लेना। आपका नम्बर आएगा, बैठो आप, प्लीज। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी आपका समय आएगा तब बोलना, जो कुछ कहना है, आप उस समय कहिये।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, आदरणीय सभापति महोदय, सर्राफ साहब ने यह तय कर लिया कि सच मुझे बोलना ही नहीं है तो फिर हम नहीं बोलेंगे। शायद उन्होंने यह तय कर लिया कि मैं बोलूंगा वह पूरा असत्य ही असत्य बोलूंगा तो हमको कुछ नहीं कहना इनके लिए।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, इनसे कहिये कि बड़ी चौपड़ पर भाषण नहीं दे रहे हैं, पवित्र सदन में भाषण दे रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : ऐसा है, जुबेर साहब, आप कितनी बार विधायक बने हैं ?

श्री जुबेर खान : असत्य कहना, तथ्यों के आधार पर क्यों नहीं बात करते, जरा इनके माननीय सदस्य ईमानदारी से कह दें कि किसी गांव में चार घंटे से ज्यादा बिजली आ रही हो तो।

(16.00 बजे)

एक माननीय सदस्य : हमारी जैसी हालत हो जाएगी, सच बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण।

श्री जुबेर खान : एक महीने 4 घंटे तक लाइट नहीं आ रही। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : आकर देख लीजिये, पूरी बिजली आ रही है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आदरणीय सभापति महोदय, मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि मैं सत्य बोल रहा हूं कि असत्य बोल रहा हूं कि चौपड़ पर भाषण दे रहा हूं, मुझे बताने का प्रयास नहीं करें। ये जितनी बार विधायक बने हैं उससे ज्यादा बार विधायक बनकर के यहां पर जीतकर आया हूं।

श्री जुबेर खान : सत्य और असत्य के लिए सीनियरटी काउंट नहीं होती।

श्री कालीचरण सर्राफ : बिराजो आप। बैठो आप।

श्री जुबेर खान : सत्य और असत्य के लिए माननीय सभापति महोदय बार-बार चुना नहीं जाता। सत्य है वह सत्य है। मैं आज इनको चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि आप विधान सभा की समिति बना दीजिये और जयपुर के ग्रामीण गांवों में जाकर के देख लीजिये, अगर चार घंटे से ज्यादा बिजली आ रही हो तो। आप कहीं भी जाकर देख लीजिये, मेरी चुनौती है इनको।

एक माननीय सदस्य : आप इस्तीफा दे देंगे क्या ?

श्री जुबेर खान : समिति बना दीजिये विधान सभा की। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह असत्य क्यों बोल रहे हो यहां बैठे-बैठे।

श्री जुबेर खान : लिख लीजिये, मेरी चुनौती मान लीजिये अगर हिम्मत हो तो मेरी चुनौती मान लीजिये। मैं बार-बार आपके माध्यम से चुनौती देता हूं कि आप समिति बना दीजिये सदन की अगर चार घंटे से ज्यादा बिजली आ जाए तो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमें स्वीकार है। सभापति महोदय, जुबेर खान जी की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए और यदि मिल रही है तो फिर आप क्या करेंगे ? तैयार हैं क्या आप ?

श्री जुबेर खान : बिलकुल तैयार हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या तय है बोलो आप।

श्री जुबेर खान : जो महावीर जी सजा देंगे वह भुगतने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : आपके विधान सभा क्षेत्र से शुरु कर लेते हैं।

श्री सभापति : आप बार-बार व्यवधान न करें। कालीचरण जी, आप बोलिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : सभापति महोदय, इनको आप पाबंद करिये। ये बार-बार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) एक बात मैं और कहना चाहता हूं। बैठो।

श्री सभापति : बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : अकाल के काम शुरू करो, बिजली आती रहेगी।

श्री सभापति : माननीय यादव साहब, बिराजें। (व्यवधान)

श्री महिपाल यादव : इनको महात्मा जी ने यह वरदान दिया है कि अगर आप सत्य बोले तो आपकी वाणी चली जाएगी। उसका पालन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : ठीक है, बिराजो आप।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, एक बात और बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। डेढ़ लाख किसान आज विद्युत कनेक्शन के लिए वैटिंग लिस्ट में हैं। हमने यह तय किया है कि इस वर्ष 50 हजार लोगों को विद्युत कनेक्शन देंगे और तीन साल में पूरे डेढ़ लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन देकर प्रायोरिटी लिस्ट को समाप्त कर दिया जाएगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : एक किलोवाट बिजली पैदा नहीं की आपने अभी तक।

श्री महिपाल यादव : सभापति महोदय. जो काश्तकार अक्टूबर के माह से डी.एन. जमा करा चुके, 8 माह से जो बैठे हैं उनको तो आप दे नहीं पाये, 40 हजार को क्या देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें प्लीज।

श्री कालीचरण सर्राफ : सभापति महोदय, एक बात और कही कि राज्य सरकार ने अपने बजट में वित्त मंत्रीजी, वसुन्धरा जी ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने वैट के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं बताना चाहता हूं कि

(श्री कालीचरण सर्राफ)

केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की है कि 1 अप्रैल, 2005 को वैट लागू किया जाएगा। यह 2004-2005 का बजट है। 31 मार्च को इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 1 अप्रैल, 2005 को वैट लागू करेगी केन्द्रीय सरकार। राजस्थान में हमको क्या करना है यह अगले बजट में हम घोषणा करेंगे।

कर्जे की यहां पर बात की गई। मैं यह बताना चाहता हूं कि 1998 में जब विधान सभा के चुनाव हुए और कांग्रेस का राज राजस्थान में बना तो हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, शेखावत साहब के राज में इतना कर्जा लिया गया, इतना कर्जा लिया गया कि राजस्थान कंगाली के कगार पर पहुंच गया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने 8 साल में 15 हजार करोड़ का कर्जा लिया। इन्होंने एक श्वेत पत्र भी जारी किया था। हमने 15 हजार करोड़ का कर्जा लिया और इन्होंने पांच साल में उसको बढ़ाकर 30 हजार करोड़ का नया कर्जा लिया और 53 हजार करोड़ का कर्जा ये छोड़कर के गये। और इतना ही नहीं.....

श्री हरिमोहन शर्मा : आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और भैरोंसिंह जी की स्पीच पढ़ लो कि कितना कर्जा बताया था उन्होंने।

श्री कालीचरण सर्राफ : इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, हमने जब उस समय कर्जा लिया था उस समय 24820 करोड़ का कर्जा था और हमने 18477 करोड़ की परिसम्पत्तियां निर्मित कीं।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सही है।

श्री सभापति : सही है तो सुनो न आप। बीच में व्यवधान क्यों कर रहे हो।

श्री कालीचरण सर्राफ : यानि 74.44 प्रतिशत परिसम्पत्तियां हमने निर्मित की और आपने क्या किया ? 2002-03 में, मेरे पास इसके बाद के आंकड़े नहीं हैं, 46194 हजार करोड़ का कर्जा लिया और आपने परिसम्पत्तियां निर्मित की केवल 25848 हजार करोड़ की, यानि 55.96 प्रतिशत। हमने परिसम्पत्तियां निर्मित की 74.44 प्रतिशत और आपने परिसम्पत्तियां निर्मित कीं 55.96 प्रतिशत। एक बात और बताना चाहता हूं....

श्री [illegible]मुम्न सिंह : एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं आपको इंटरवीन नहीं करना च[illegible]। देखिये, उस वक्त में फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट नहीं [illegible]ई थी। [illegible] पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राज्य का असेंसियल एक्सपेंडिचर रे[illegible] रि[illegible]ट्स के मुकाबले 116 प्रतिशत पहुंच गया तो नेचुरली परिसम्पतियां [illegible] होनी ही थीं और बहुत बड़ा फर्क भी नहीं है, 19 प्रतिशत का फर्क है। फिफ्थ पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद राज्य के ऊपर पेंशन और तनख्वाहों का भार बढ़ा तो परिसम्पत्तियां अपने आप कम होंगी यदि 116 प्रतिशत आपका रेवेन्यु रिसीट्स का असेंशियल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने रिकार्ड बनाया कि जितना आपका प्लान साइज था उस प्लान साइज से हमेशा बढ़कर कर्जा लिया। जिस तरह आपने अंधाधुंध कर्जा लिया उस तरह किसी ने कर्जा नहीं लिया। आप एक वार्षिक योजना बता दें कि उस वर्ष वार्षिक योजना से ज्यादा कर्जा नहीं लिया। एक वर्ष बता दें आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह : देखिये, आप नाइंथ प्लान की बात बार-बार कहते हैं इस सदन के अन्दर नाइंथ प्लान के शॉर्टफाल किन कारण से हुए, मैंने साफ कहा था कि आपके रिसोर्सेज के बारे में जो आपने कहा था और वो रिसोर्सेज के आस-पास पता नहीं था इसलिए नाइंथ प्लान के टार्गेट्स अचीव नहीं किये जा सके। तीन बजट रिप्लाई में मैंने इस सदन के अन्दर दिया उसी बात को लेकर के आप यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने दसवीं वार्षिक योजना बनाई न....

श्री प्रद्युम्न सिंह : और अगर मुझे आसन ने अलाऊ किया तो इस प्लान के बारे में मैं एप्रोप्रियेशन बिल के ऊपर उत्तर दे दूंगा आपको।

श्री सी.पी. जोशी : भैरोंसिंह जी के राज में 3200-3400 करोड़ रूपये खर्च नहीं हुए श्रीमान्। चैक कर लें रेकार्ड में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको देखो न। आप एक प्लान बता दो जिसमें प्लान साइज नहीं काटा हो। एक साल बता दो कि जब आपने वार्षिक योजना में कटौती नहीं की हो। एक वर्ष बता दो जब आपने वार्षिक योजना नहीं काटी हो। चाहे नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लो, चाहे दसवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर लो, राजस्थान के विकास का सपना तो आपके मन में था ही नहीं। राजस्थान को अधोगति में लाकर के आप चले गये।

डा. सी.पी. जोशी : आपके मन में था। 29 हजार करोड़ रूपये में पहले दो साल में 3200 और 3400 करोड़ रूपये खर्च किये। रेकार्ड है यह।

एक माननीय सदस्य : अपनी सीट से बोलें।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य, आप अपनी सीट से बोलें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, अगर मुझे आसन ने आलउ किया तो नाइंथ प्लान के शॉर्टफाल के बारे में, टार्गेट अचीव करने के बारे में आसन ने अलाउ किया तो मैं एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बोलकर आपको सारे तथ्यों से अवगत करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने क्या तीर मार लिया। दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले सालों में वह भी बता दो आप। आप नवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हों, दसवीं की और बता दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह दसवीं का दूसरा साल चल रहा है। मैंने आपको कहा कि जो पुराना रूपया आपका बचा हुआ था। भारत सरकार जो हमको दे नहीं रही, उस रूपये की प्राप्ति हुई। एडिशनल मार्केट बोरोइंग आया, आपको आगे जाकर एडिशनल डिवेल्यूएशन हुआ, आपने उम्र बढ़ा दी, एज बढ़ा दी, इन कारणों से आपके पास एडिशनल पैसा आया और एडिशनल पैसा आया तो आपका प्लान साइज बढ़ गया, इसमें कौनसी बात हो गई। अगर पैसा होता तो हम भी इसमें चौगुना प्लान साइज बढ़ा देते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्लान साइज तो आपने भी हमेशा बढ़ाया पर प्लान साइज बढ़ाकर काटने का जो कीर्तिमान आपने स्थापित किया, वह किसी ने किया नहीं। कभी अकाल के नाम पर काटा, कभी किसी के नाम पर काटा आपने...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पैसा गवर्नमेंट से आये, इसका ध्यान नहीं रखा।

डा. सी.पी. जोशी : यह कांग्रेस राज में 60 साल की रिटायरमेंट एज होने के बाद 1200 करोड़ रूपये का कैश-फ्लो हो गया था जब बात करना,

(डा. सी.पी. जोशी)

अभी दो साल एज और बढ़ा दी, दो साल बाद 1200 करोड़ का कैश-फ्लो होगा तब बात करना।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप बीच-बीच में इंटरप्ट नहीं करें, आप सुनिये, धैर्य से सुनिये।

डा. सी.पी. जोशी : आप फाइनेंस मिनिस्टर बनने की पूरी तैयारी कर रहे हो, हम आपकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय सभापति महोदय, एक बात और कही गई कि हमने 53,00 करोड़ का कर्जा लिया तो आपने भी तो इसको 58,000 करोड़ कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में 24 प्रतिशत की दर से कर्जा लिया गया और हमारा राज आने के बाद हमने केवल 10 प्रतिशत से कर्जा लिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिन्युअल करवाया रिन्युअल।

श्री कालीचरण सर्राफ : क्या करवाया ? जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान में जब-जब भाजपा का राज आया है, पंचवर्षीय योजनाओं का आकार बढ़ा है और जब-जब कांग्रेस का राज आया है, योजनाओं का आकार घटा है। (व्यवधान) यह है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : पहली बार आया है राजस्थान में, पहली बार भाजपा का राज आया है। पहले हम राज में थे, 1990 में शामिल था जनता दल।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप बैठते क्यों नहीं है, आप बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उससे पहले जनता पार्टी का राज था। क्या बात कर रहे हो आप। पहली बार आया है बीजेपी का राज तो। पहले जनता दल में हम शामिल थे, हमारा शामलाती का था। (व्यवधान)

(16.12 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री धर्मपाल चौधरी : अब तो दिल्ली में राज आ गया है आपका। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का राज था तो सातवीं पंचवर्षीय योजना बनी 7000 करोड़ रूपये की..... (व्यवधान) भाजपा का राज बना, भैरोंसिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, आठवीं पंचवर्षीय योजना। 1500 करोड़ की बनाई और उसके विरूद्ध 11998 करोड़ रूपये खर्च किये। अब नवीं पंचवर्षीय योजना शेखावत साहब के शासनकाल में 27560 करोड़ की स्वीकृत हुई, कितनी माहिर साहब, 27560 करोड़ रूपये की। उसके प्रथम वर्ष में 3314.52 करोड़ रूपये की वार्षिक योजना के बदले 3987 करोड़ रूपये खर्च किये गये। दुर्भाग्य से इसके बाद राजस्थान में कांग्रेस का राज आ गया, निरन्तर वार्षिक योजनाओं में कटौती होती गई और नवीं पंचवर्षीय योजना 27560 करोड़ की थी, वह मात्र 15448 करोड़ रूपये की रह गई और इससे विकास की गति अवरूद्ध हो गई। योजना आयोग ने राज्य सरकार की 10वीं पंचवर्षीय योजना का आकार 31831.75 करोड़ रूपये निर्धारित किया और चूंकि कांग्रेस का राज था, 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 2002-2003 में योजना का आकार 5107 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया पर दुर्भाग्य से कांग्रेस का राज था, वास्तविक व्यय हुआ केवल 4431 करोड़ रूपये। वर्ष 2003-2004 के लिए राज्य की वार्षिक योजना का आकार भी मात्र 4258 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया और नवम्बर, 2003 तक केवल 2266.54 करोड़ रूपये खर्च हुए। उसके बाद वक्त ने करवट ली, नवम्बर में विधान सभा के चुनाव हो गये, हम इधर आ गये, आप उधर चले गये और उसके बाद क्या हुआ...(व्यवधान) इसलिए योजना के आकार में हमारा राज आने के बाद हमने विचार किया कि....

मोहम्मद माहिर आजाद : उसके बाद लोक सभा के चुनाव भी हो गये।

श्री वीरेन्द्र मीणा : लोक सभा में 21 आई।

मोहम्मद माहिर आजाद : लोक सभा राजस्थान की ही नहीं होती है।

श्री जुबेर खान : आप मंत्री हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : लोक सभा में 21 सीटें आई हैं राजस्थान के अन्दर। आपने कौनसी सीटें प्राप्त कर लीं, आप 145 सीट लेकर राजी हो रहे हो, देश के अन्दर राज करने लग रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : ...कि योजना के आकार में वृद्धि नहीं की गई, संसाधन नहीं जुटाये गये। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का हश्र भी वही होगा

(श्री कालीचरण सर्राफ)
जो यदि संसाधन नहीं जुटाये गये तो नवीं पंचवर्षीय योजना का हुआ तो हमने अतिरिक्त संसाधन जुटाये और वार्षिक योजना वर्ष 2003-2004 का आकार बढ़वाकर 5504.52 करोड़ रूपये निर्धारित किया और इतना ही नहीं, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी के कुशल प्रबन्धन को कि 5504.52 करोड़ की निर्धारित योजना का आकार था, वह 6044.38 करोड़ उस पर व्यय किया गया यानी जो योजना थी, उससे लगभग 1786.38 करोड़ रूपये अधिक खर्चा किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने 10वीं पंचवर्षीय योजना....

श्री टीकमचन्द कांत : प्रद्युम्न सिंह जी के समय में कम हुआ था। उनके समय में भी कम हुआ था।

श्री कालीचरण सर्राफ : हां कम हुआ, हुआ, यह तो बता दिया ना। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने 2004-2005 की वार्षिक योजना जो प्रस्तुत की है, कांग्रेस के राज में जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अमाउंट था 7000 करोड़ रूपये, माननीय वसुन्धरा जी ने वार्षिक योजना 7031.44 करोड़ रूपये की प्रस्तुत की है, यह अपने आपमें रेकार्ड है कि जहां कांग्रेस के राज में पूरी सातवीं पंचवर्षीय योजना 7000 करोड़ रूपये की थी और हमारे राज में एक वर्ष में 7031.44 करोड़ रूपये की है.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : रूपये की कीमत क्या थी तब ?

एक माननीय सदस्य : अभी तो सात महीने ही हुए हैं उधर बैठे और.....जरा इंतजार करो। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ : अभी तक तो मैंने आदरणीय राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बाते उठाई हैं, उनका जवाब दिया है। अब मैं अपने मूल बजट भाषण पर आता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने एक शानदार और जानदार बजट इस बार प्रस्तुत किया है, वह हर क्षेत्र में विकास को दिशा देने वाला, समग्र, अद्वितीय और ऐतिहासिक बजट है। यह बजट मात्र आय-व्यय का लेखा जोखा नहीं है, राज्य सरकार के पांच साल का विजन क्यूमेंट है। इस बजट में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने छह प्राथमिकताओं

(श्री कालीचरण सर्राफ)

को चिन्हित किया है। दरिद्रता, कुपोषण और भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन विकास व सामाजिक आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा प्राकृतिक व सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, अच्छा शासन एवं राजकोषीय सुधार, आर्थिक आधारभूत सुविधाओं का विकास। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ है जिसमें नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि विभिन्न करों को समाप्त किया गया है या भार कम किया गया है। इस आशा और विश्वास के साथ राजस्थान के इतिहास में......

श्री महिपाल यादव : ऐसा लग रहा है जैसे अटलजी बोल रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आहा क्या बात है, आप के मुंह में घी-शक्कर।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह कहना चाहूंगा, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा पर जहां पिछली बार 175.62 करोड़ रूपये का प्रावधान था, इस बार 300 करोड़ 66 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। माध्यमिक शिक्षा में गत वर्ष 31 करोड़ 93 लाख का प्रावधान, उसको 123 करोड़ 12 लाख रूपये करना प्रस्तावित है। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए 119 करोड़ 28 लाख का व्यय करने का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1236 पाठशालाओं को प्राथमिक शालाओं में परिवर्तित, 1661 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान, 715 प्राथमिक विद्यालय, 400 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 200 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये जायेंगे। 60 करोड़ की नि:शुल्क पुस्तकें राजस्थान के इतिहास में पहली बार इस सरकार ने नि:शुल्क वितरित की हैं। 16 लाख लोगों का नया नामकरण हुआ है। पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। 24 हजार नये कमरों का निर्माण किया है और हर स्कूल में पानी और शौचालय की व्यवस्था की गई है। यह बजट किसानों के लिए भी हितकारी है, सभी प्रमुख....

एक माननीय सदस्य : अध्यापक कितने लगाये हैं ?

श्री कालीचरण सर्राफ : अभी मैंने बताया तो था, आपने सुना नहीं था क्या, हाईकोर्ट ने स्टे वैकेट कर दिया, अब तीस हजार अध्यापकों की नियुक्ति

(श्री कालीचरण सर्राफ)

होगी। आपके दिलों पर सांप लौटेंगे पर उसका कोई उपाय नहीं है, तीस हजार अध्यापक तो लगेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों के लिए बहुत हितकारी बजट है, सभी प्रमुख फसलों पर खरीफ में कृषि बीमा योजना का लाभ, मैं इस बारे में बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार थी तो हमने फसल बीमा योजना लागू की थी। 19 राज्यों ने और 2 केन्द्र शासित प्रदेशों ने उस योजना को अपने यहां लागू कर दिया था परन्तु हमारी सरकार ने, कांग्रेस के राज में उस फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया गया। हमारा राज आया और मैं बधाई देना चाहूंगा आदरणीया वसुन्धराजी को कि उन्होंने फसल बीमा योजना राजस्थान में भी प्रारम्भ की है। संतरों के लिए लागू मौसमी बीमा योजना भी व्यापक स्तर पर लागू की गई है, पहली बार कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में मृत्यु या अपंगता पर अधिक मुआवजा दिया गया है। सिंचाई उपकरण सस्ते हुए हैं, किसानों को ऋण वितरण में बढ़ोतरी की गई है, किसान कल्याण कोष की स्थापना की गई है। तीन माह में सभी पात्र किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवा दिये जायेंगे। यह हमने किसानों के हित में काम किये हैं। व्यापारियों के लिए एन्ट्री टैक्स, टर्न ओवर टैक्स और सरचार्ज को समाप्त कर दिया है। बिक्री कर की गोल्ड कार्ड योजना चालू की है, प्लांट व मशीनरी को कर से मुक्त कर दिया गया है। लघु उद्योगों को भी निवेश नीति का लाभ दिया जायेगा, रूग्ण ईकाइयों को संजीवनी प्रदान की जायेगी, इंसपेक्टर राज की समाप्ति हो गई है, प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है और ईमानदार करदाता निर्भीक होकर काम करेगा, कर की चोरी कम होगी और राजस्व की वसूली बढ़ेगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद : वह सब पढ़ लिया वह तो।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय, वह मुझे पता है, पता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : दो घंटे दस मिनट तक आपको सुना है, कोई नई बात कहें।

डा. चन्द्रशेखर बैद : बजट भाषण पढ़ रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : बैठिये, बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोफेशन टैक्स पहले ही समाप्त कर दिया गया है, मनोरंजन कर 70 से 50 प्रतिशत कर दिया गया है, स्टाम्प ड्यूटी 11 से 8 प्रतिशत कर दी गई है,

(श्री कालीचरण सर्राफ)

लग्जरी टैक्स 10 प्रतिशत से 8 प्रतिशत कर दिया गया है और जब कल माननीय मुख्य मंत्रीजी भाषण पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि सरचार्ज समाप्त, टर्नओवर टैक्स समाप्त, एन्ट्री टैक्स समाप्त और फिर वह पैट्रोल की, डीजल की कीमतों, सेल टैक्स के बारे में बता रही थी तो कांग्रेस के माननीय सदस्य बोल रहे थे, अब बोलो, अब क्या कहते हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इस बजट में जहां केन्द्र सरकार ने पैट्रोल की कीमत बढ़ाई है, डीजल की कीमत बढ़ाई है, रसोई गैस की कीमत बढ़ाई है और केरोसिन की कीमत बढ़ाई है, वही टैक्स में रियायत करके पैट्रोल सस्ता, चाहे वह सात पैसे ही हुआ है, डीजल सस्ता चाहे वह दो पैसे ही हुआ है, रसोई गैस तीन रूपये प्रति सिलैण्डर सस्ता हुआ है और केरोसिन तेल पन्द्रह पैस प्रति लीटर सस्ता हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं, उससे पहले जयपुर के लिए जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं की हैं......

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी से नहीं, थोड़ा-सा और।

श्री कालीचरण सर्राफ : उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

श्री अध्यक्ष : वह तो दे ही दो आप।

श्री कालीचरण सर्राफ : आज जयपुर शहर की पेयजल की समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जयपुर शहर के रामगढ़ का बंधा लगभग सूखने के कगार पर है, ट्यूब वैल्स और नलकूपों क माध्यम से जयपुर शहर को पानी की सप्लाई दी जा रही है। बीसलपुर योजना पिछले बीस साल से आज पानी आ रहा है, कल पानी आयेगा, बीसलपुर योजना से जयपुर को पानी पिलाया जायेगा और हमारी कांग्रेस की सरकार ने तो पिछली बार कमाल ही कर दिया, सांगानेर के पास इन्होंने शिलान्यास कर दिया कि बीसलपुर योजना से एक साल के अंदर-अंदर पानी जयपुर को पिला दिया जायेगा, चुनाव के पहले, फिर जब हमारा राज आया तो हमने देखा कि कोई वित्तीय प्रावधान नहीं, कोई प्रशासनिक स्वीकृति नहीं, कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं, यानि केवल जनता को धोखा देने के लिए आपने शिलान्यास किया, अब केवल पत्थर लगा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीया वसुन्धराजी को कि उन्होंने बीसलपुर परियोजना के लिए बजट में 59 करोड़ का प्रावधान किया है, जेबीआईसी से

(श्री कालीचरण सर्राफ़)

342 करोड़ 50 लाख रूपये और हुडको से 400 करोड़ की स्वीकृति अब मिल गई है और एशियन डवलपमेंट बैंक से 270 करोड़ की स्वीकृति सम्भावित है, इस वर्ष बीसलपुर योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा और जयपुर शहर में पानी की त्राहि-त्राहि हो इसके पहले बीसलपुर से जयपुर पानी लाने में हमारी सरकार सफल होगी।

इसी प्रकार से जयपुर स्वर्ण, जेवरात एवं रंगीन पत्थरों की मण्डी के रूप में विकसित किया जायेगा, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार से मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना जयपुर में की जायेगी, इसके लिए भी मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा। जेम्स ज्वेलरी के प्रमुख निर्यात केन्द्र के रूप में जयपुर को विकसित किया जायेगा, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। सवाई मानसिंह स्टेडियम में एथेलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक, हाकी एस्ट्रोटर्फ, सिंथेटिक टेनिस कोर्ट, इन्डोर स्टेडियम का विकास भी किया जायेगा, पर्यटन को विकसित करने के लिए जलमहल योजना में पर्यटन संकुल का विकास और आमेर के किले का मास्टर प्लान भी बनाया जायेगा, इसके बारे में भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके साथ-साथ दो-तीन जयपुर की समस्याओं के बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि सभी बड़े शहरों में जो हाउस टैक्स लगा हुआ है कि हम इसको समाप्त करेंगे, अच्छा होता कि आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने इतना राहत का पिटारा खोला है, गृह कर, हाउस टैक्स के बारे में भी वह कुछ कहती और दूसरा जो राजस्थान के शहरों की समस्या है, कच्ची बस्तियों की समस्या, कच्ची बस्ती की समस्या के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने यह घोषणा की हुई है चुनाव घोषणा पत्र में कि 15 अगस्त, 2003 तक जितने भी लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं उनका हम सर्वे करेंगे और उनको नियमित करेंगे, व्यस्थित रूप से बसायेंगे, यह यदि दो बातें और इस बजट के माध्यम से हो जाती तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता राहत की सांस लेती। मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि जब आदरणीया वसुन्धराजी अपने बजट की रिप्लाई देंगी तो इन दो समस्याओं के बारे में निश्चित रूप से गौर करेंगी। आपने मुझे समय दिया, एक बार पुनः

(श्री कालीचरण सर्राफ)

वसुन्धराजी के जो शानदार और जानदार बजट प्रस्तुत किया है उसके लिए बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि इससे राज्य को एक नई दिशा मिलेगी, राज्य का सर्वांगीण विकास होगा, हर वर्ग का, हर तबके का और हर इलाके का विकास होगा, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बजट प्रस्ताव का समर्थन तो करें।

श्री कालीचरण सर्राफ : और मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शांतिलाल चपलोत।

श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती वसुन्धराजी ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट पेश किया, मैं तहे दिल से उसका समर्थन करता हूं। पिछले बीच-पच्चीस सालों में इस प्रकार का कोई बजट पेश नहीं हुआ। उन्होंने हर तबके का ध्यान रखा है, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, ठीक ढंग से जियें उसके लिए प्रयत्न किया है। सर्वे भवन्तु सुखीनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चिद् दुःखभागभवेत्। इस प्रकार का काम किया है। क्या महिलाएं, क्या पुरूष, क्या अपाहिज, क्या अशक्त, क्या बच्चे, क्या बूढे, उन सब के लिए इस बजट में प्रावधान किया है, ऐसा बजट पहली बार देखने में आया है। ऐसे बजट के लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

आदरणीय अध्यक्षजी, सन् 1990 में भैरोसिंहजी शेखावत राजस्थान की बागडोर में आये उस समय सातवीं पंचवर्षीय योजना जैसा कि कालीचरणजी कह रहे थे सात हजार करोड़ की थी उस समय शेखावत साहब ने 18 लाख काश्तकारों के कर्जे माफ किये। साढ़े तीन सौ करोड़ के। आज अभी माननीय राजाखेड़ा से आने वाले सदस्य कहीं बाहर गये हैं वो मुसीबतें बता रहे थे उस समय शेखावत साहब ने 15 से 18 लाख काश्तकारों के मिनिमम चार्ज समाप्त किये थे, करीब-करीब साढ़े तीन सौ करोड़ के आस पास वो भी बैठा था और 55 लाख काश्तकारों के लगान माफ किए थे करोड़ों रूपयों के कुल मिलाकर सात सौ करोड़ रूपये के भी केवल कर्जे माफी और मिनिमम चार्ज समाप्ति में खर्चे हुए और सात सौ करोड़ से ज्यादा उस समय बजट भी नहीं था उसके बावजूद भी हमने यह कभी रोना रोया नहीं है। 1990 में जब हम शासन में

(श्री शांतिलाल चपलोत)

आये थे 8 हजार करोड़ रूपये का ही कर्जा राजस्थान पर था कुल मिलाकर 8 हजार करोड़ का और जब शेखावत साहब 1998 में राज छोड़ कर गये तब 23 हजार 5 सौ करोड़ या 24 हजार करोड़ आप कर्जा समझ लीजिये जिसमें 18 हजार करोड़ रूपयों की परिसम्पत्तियां हुई। पर कांग्रेस का शासन आया, कांग्रेस ने सब्जबाग दिखाये बहुत लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाये और यह कहा कि भाइयों कांग्रेस को शासन दो हम तुम्हारा बिजली का 5 हार्स पॉवर, 3 हॉर्स पावर का चार्ज समाप्त कर देंगे। 5 हार्स पावर, 3 हार्स पावर मुफ्त कर देंगे। लोगों ने समझा कि मुफ्त की ट्रेन आ गयी है छक-पक छक-पक करते हुए सब लोग उसमें बैठ गये। 153 लोगों का बहुमत लेकर आ गये। कहां गयी वो बिजलियां 3 हार्स पावर और 5 हार्स पावर की मुफ्त दी क्या ? नहीं दी और हमसे कहा गया.....।

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे बीच में नहीं बोलें।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमसे कहा गया कि राजस्थान को भैरोसिंह जी ने दिवालिया बना दिया है। आज क्या है ? आज जब कांग्रेस का शासन समाप्त हुआ 55 हजार 5 सौ करोड़ का कर्जा इस राजस्थान पर लाद कर कांग्रेस गयी है। चावकि हुए हैं हमारे देश में चावकि ने कहा है "यावद् जिवेत सुखम जिवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत। भस्मी भजस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः।" जब तक जीओ सुख से जीओ, कर्जा करके घी पीओ यह मनुष्य जन्म बार-बार आने वाला नहीं है खाओ, पीओ, जीओ, चक छानो, मौज करो। कांग्रेस ने यही काम किया। कोई काम नहीं किया विकास का। एक आदमी को नौकरी पर नहीं लगाया। 30 हजार, 40 हजार बच्चों को लगाने के लिए कह रहे थे। ए भाइयों हमने 60 साल की उम्र कर दी हम वापस 58 की कर रहे हैं इन्होंने 60 की कर दी थी। ए बेरोजगारों तुम हमको वोट दो सबको गुमराह किया। जाटों को गुमराह किया, गूजरों को गुमराह किया। जाटों को कहा कि तुम्हारा मुख्यमंत्री बनेगा आप इस तरीके से सत्ता में आये जाटों को कहा कि परसरामजी मदेरणा मुख्य मंत्री बनेंगे, गूजरों को कहा कि नहीं पायलट बनेंगे।

श्री रमेश खींची : यह बजट पर है क्या ?

श्री शांतिलाल चपलोत : हां वो ही, ठहरो-ठहरो एक मिनट बजट की ही बात कर रहा हूं। ठहरो-ठहरो आप। आप 153 सीटें कैसे लाये उसकी बात हो रही है। बजट पर ही बात कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : (व्यवधान) अलवर में कहा; भरतपुर में कहा कि जाटनी हूं। कहा कि मैं गूजरों की समधि हूं... (व्यवधान)....ये वसुन्धरा जी ने।

श्री रमेश खींची : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इतने सीनियर माननीय सदस्य हैं वो किसी जाति का नाम लेकर बजट भाषण की बात कर रहे हैं। उनको भी नहीं टोका है सुबह से...(व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : जातिवादी का जहर फैलाने लग गये।

श्री रमेश खींची : माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने सीनियर हैं। माननीय सदस्य ये तो अच्छी बातें नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कर्जे माफ किये कर्जे तो देवीलालजी ने माफ किये थे ताऊ ने माफ किये थे चौधरी देवीलाल ने। आप कहां श्रेय ले रहे हो उसका ?

श्री रमेश खींची : आपने जो बिजली की बातें की...(व्यवधान) आपने भी अपने घोषणा पत्र में बताया कि बिजली रियायती दर पर देंगे आज तक वो रियायतें दी क्या एक भी ? उलटा 15 पैसा बढ़ा दिया।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय माहिरजी, उस समय वित्त राज्य मंत्री मैं ही था जब कर्जे माफ किये थे उस समय वित्त राज्य मंत्री मैं ही था।

श्री अशोक बैरवा : आपकी व्यक्तिगत पीड़ा हो सकती है। आप जातिवादी का जहर न फैलायें। बजट पर बोलिये।

श्री रमेश खींची : आपने कहा न घोषणा पत्र में कि बिजली हम रियायती दरों पर देंगे, कुछ किया आपने ?

श्री शांतिलाल चपलोत : मुझे अच्छी तरह से ध्यान है। मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर है। देखिये माननीय सदस्य आप भी जातियता के नाम पर कुछ बोलने का...

श्री शांतिलाल चपलोत : नहीं जातीयता के नाम पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : न कहें तो ठीक रहेगा लेकिन आप भी बीच में खड़े होकर व्यवधान करते हैं ठीक नहीं है और आसन पांवों पर है तब भी आप ध्यान नहीं रखते हैं। कृपया भविष्य में ध्यान रखें।

श्री शांतिलाल चपलोत : मेरा केवल इतना ही अर्ज था 153 का जो बहुमत लिया सब जातियों को यह कहा कि तुम्हारे मुख्यमंत्री बनेंगे और इस तरीके से कह-कह करके...

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री बनने का इस बजट भाषण से क्या ताल्लुक है ?

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं और बात कह रहा हूं, आप पूरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह की बात न करें।...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ये इनके मंत्री बनने का भी ताल्लुक है। इस भाषण का उनके मंत्री बनने से ताल्लुक है।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं इर्रेलेवेंट बात करने का आदी नहीं हूं। और इस तरीके से कह करके कर्जदारियां बढ़ा करके 53 हजार, 55 हजार करोड़ का कर्जा लिया। राजस्थान को आज संकट में डाल दिया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके से बजट पेश किया। आज की तारीख में हमने यह कहा था कि हम हर स्कूल के सामने हैंडपम्प लगायेंगे तुरत-फुरत परन्तु सौ दिनों की योजना में हैंडपम्प लगाये 986 गांवों को सड़कों से जोड़ा 30 हजार किलोमीटर...

श्रीमती ममता शर्मा : सौ दिन में ?

श्री शांतिलाल चपलोत : हां, 30 हजार किलोमीटर सड़क इस सौ दिन की योजना में 30 हजार किलोमीटर सड़क बनायीं। 14 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे से लगा करके 14 घंटे तक सबको बिजली दी। इतने बड़े-बड़े काम 10वीं पंचवर्षीय योजना में मैं कहना चाहता हूं कि 31 हजार 831 करोड़ 75 लाख रूपये की थी इसकी एवज में प्रथम वर्ष में कांग्रेस के शासन में माननीय अध्यक्ष महोदय, 5108 करोड़ रूपये निर्धारित किये लेकिन व्यय 4431 करोड़ ही हुआ। कुल मिलाकर करीब-करीब 700-800 करोड़ रूपये कम व्यय हुआ। 2002-2003 में माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो योजना थी वो योजना 4258 करोड़ की बनायी किन्तु उसके अगेंस्ट में कुल मिला करके 2266 करोड़ ही खर्चा हुआ और जब हमने शासन लिया जल्दी-जल्दी हमने काम किया।

श्री अध्यक्ष : किसकी घंटी बजी मोबाइल की ? पता लगाओ किसकी बजी ?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हमने इस योजना का आकार बढ़ा करके 5504 करोड़ 32 लाख रूपये पुनः निर्धारित करवाये योजना आयोग के सामने गये। योजना आयोग के सामने आप भी गये थे अपनी वार्षिक योजना लेकर के 4200 करोड़ रूपये की योजना स्वीकार करा करके आये, किस मुंह से आप जोर-जोर से बात करने के आदी हो रहे हो ? मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग भी गये वापस योजना आयोग के सामने हमने अपना पक्ष वापस रखा और 4200 करोड़ की जगह हमने 5504 करोड़ रूपये योजना में रखवाये उसके अगेंस्ट में 6044 करोड़ रूपये का व्यय हुआ ये

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमारी प्रशासनिक क्षमता का दिग्दर्शन कराता है। यह हम किस तरीके से काम करना चाहते हैं उसको दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सौ दिवसीय कार्य योजना में 1786 करोड़ 38 लाख रूपये इस योजना का हमने ज्यादा बढ़वाया है पहले से, 1786 करोड़ रूपये।

मैं कहना चाहता हूं 2002-03 से 36.41 प्रतिशत हमने योजना का आकार बढ़ाया है। इसी तरीके से इन दो सालों में कुल मिलाकर जो कांग्रेस के शासन में निकले हैं 10,475 करोड़ रूपया व्यय हुआ है और अब इन तीन वर्षों में 21,365 करोड़ 30 लाख रूपया हमको व्यय करना है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस तरीके से इस योजना के आकार को इस वर्ष के लिये 7031 करोड़ 44 लाख रूपये हमने प्रस्तावित करवाये हैं। गत वर्ष के योजना के आकार में 1527 करोड़ रूपया अधिक व्यय करने के लिये प्रस्तावित करवाये हैं। कितना फर्क है, कितना काम में फर्क है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके सामने रखना चाहता हूं। कृषि एवं सम्बन्धित सेवाओं के लिये 142 करोड़ 23 लाख रूपया, ग्रामीण विकास के लिये 541 करोड़ 15 लाख रूपया, विशिष्ट क्षेत्रिय कार्यक्रम के लिये 32 करोड़ रूपया और सिंचाई के लिये 925 करोड़ रूपया, विद्युत के लिये 2189 करोड़ रूपया और उद्योग और खनिज के लिये 82 करोड़, परिवहन के लिये 470 करोड़, औद्योगिक अनुसंधान के लिये 1 करोड़ 2 लाख, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिये 2410 करोड़ रूपया, आर्थिक सेवाओं के लिये 261 करोड़ रूपया और सामान्य सेवाओं के लिये 44 करोड़, कुल मिलाकर 7031 करोड़ रूपया इस साल का बजट पेश किया गया है। हमारी आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले इसके लिये हमने पूरे प्रयत्न किये हैं। जो कर्ज हमने राजस्थान पर ले रखा था उस कर्जे पर 18 परसेंट, 20 परसेंट का ब्याज दे रहे थे हमने अल्पावधि के लोन और अल्प बचत से पैसा लेकर, कर्जा लेकर वह लोन जिस पर ज्यादा ब्याज लग रहा था उस ब्याज को हमने अदा किया है, उस लोन को अदा किया और इससे इस साल में ही कुल मिलाकर 198 करोड़ रूपये का कम से कम फर्क पड़ जायेगा, इससे हमें अधिक बचत होगी।

एक प्रसन्नता का विषय और है कि जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी राज में आई है, पता नहीं अबकी बार ही केन्द्र में आपका शासन होने की वजह से बरसात नहीं बरस रही है। वरना जब-जब भी हमारा शासन आया है अच्छी बरसात हुई है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बरसात दिल्ली से बरसती है क्या ? इसका मतलब पिछली बार अटलजी ने रोक रखी थी।

श्री राइया मीणा : दिल्ली से नहीं बरसती है लेकिन दिल्ली के राज का तो फैक्ट है ही। (व्यवधान) आपने पूजा गलत की है, आपने पूजा की वह क्या की, आपने पूजा उलटी की है।

श्री शांतिलाल चपलोत : पूजा की, बाढ़ आयेगी, बाढ़। 2-4 दिन ठहर जाओ आप।

श्री राइया मीणा : आपने पूजा उलटी की है।

श्री अध्यक्ष : हर बात पर टोकना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : वसुन्धराजी ने जब से ज्वाइन किया यहां पेट्रोल मिला, डीजल मिला, गैस मिली।

श्री महीपाल यादव : पूजा में मंत्रोच्चार सही नहीं हुआ, बारिश कहां से होगी।

श्री राइया मीणा : पूजा उलटी की है आपने नहीं तो बरसात हो जाती।

श्री शांतिलाल चपलोत : प्रचुर मात्रा में आयल, प्रचुर मात्रा में पेट्रोल मिला यह किस्मत की बात है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और सदन से आग्रह करना चाहता हूं यह नेचुरल रीसोर्सेज हमारे हैं। कल पंजाब ने भी आंखे दिखाई है हमको भी इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये। हमारा जो पेट्रोल निकलेगा, जो गैस निकलेगी या अन्य उत्पादन जो भी निकलेगा उस पर हमको रायल्टी ज्यादा मिलनी चाहिये। इस राजस्थान में हम। हजार किलो मीटर बोर्डर फेस कर रहे हैं जो कोई भी प्रान्त फेस नहीं कर रहा है और इसके साथ-साथ सारा रेगिस्तान भी हम फेस कर रहे हैं। इसके लिये केन्द्र सरकार पर सभी पक्षों की ओर से दवाब बनाया जाकर जो रायल्टी मिलने वाली है वह रायल्टी कम से कम 50 प्रतिशत हो। यह फार्मूला कि 50 प्रतिशत जो कम्पनी निकालती है वह लेगी, 12 प्रतिशत और कोई लेगा, 15 प्रतिशत और कोई लेगा यह बात नहीं है किन्तु यह बात हमारे को अच्छी तरीके से रखनी चाहिये क्योंकि राजस्थान में बार्डर फेस करना पड़ रहा है क्योंकि राजस्थान में रेगिस्तान है इसलिए आयल में, पेट्रोल में, गैस में जो भी रायल्टी मिलती है उसका 50 प्रतिशत राजस्थान को दिया जाना चाहिये, यह मेरी मांग है पुरजोर शब्दो में। मैंने यह बात पहले भी कई बार उठाई है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस बात को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मान कर बजट में भी इसका काफी अधिक विवेचन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं दरिद्रता, कुपोषणता, भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं के लिये, मानव संसाधन के लिये विकास, सामाजिक आधार, रोजगार, अच्छा शासन, राजकोषीय सुधार, आर्थिक सुधार, आधारभूत सुविधाओं के लिये विकास यह सब बातें करने के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है इसके लिये उनको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अध्यक्ष : अब आप कनक्लूड करें अपना भाषण।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहता पर 2-3 बातें मैं रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी-जल्दी कह दीजिए।

श्री शांतिलाल चपलोत : हमारे पास अनाज के प्रचुर भंडार हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस सदन के माध्यम से सबसे निवेदन है कि प्रचुर भंडार है तो फिर हमारे यहां कोई भूखा नहीं सोये इस बात के लिये हमको सरटेन करना चाहिये और उसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। मुख्य मंत्रीजी ने गांवों में सरपंचों को यह अधिकार दिया है कि 10-10 बोरी वह रखे और गांव के जो लोग भूखे सो रहे हैं उन्हें वह दे। कुछ लोगों को सहरिया आदिवासी लोगों के लिये भी 10-10 किलो की अलग-अलग पोटलिया बनाकर या थैलियां बनाकर उनको 10 रूपये में 2 किलो गेहूं और 200 ग्राम दाल दिया जायेगा। उन्होंने इस तरीके से जो काम किया है यह अपने आपे में बेमिसाल है।

मानसी वाकल की जो योजना हमारे उदयपुर के लिये अहम भूमिका निभाती है, आज हमारे उदयपुर जिले का सारा पानी गुजरात होकर अरब सागर में जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी तक गुजरात ने उस पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं किया है। इसलिए मानसी वाकल के स्थान पर अच्छा सा जो फर्स्ट फेज बन रहा है अब दूसरे फेज का काम इसमें आया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं पर वह काम अतिशीघ्र चलाए नहीं तो पहले फेज का जो काम आज चल रहा है मानसी वाकल का उसको केवल लिफ्ट करने में, पानी को उठाने में सरकार को 10 करोड़ रूपया केवल फतेह सागर को भरने में लग जायेगा। इसीलिए बाई टनल, 24 किलोमीटर की टनल पहाड़ों को खोदकर बनानी पड़ेगी तभी जाकर बाई ग्रेवेटी पानी आयेगा।

हमारे यहां जो पीने के पानी की समस्या है उदयपुर और उदयपुर के आस-पास में, पहले कभी इतना संकट नहीं था, जैसा कि आज है। आज हर गांव में त्राहि-त्राहि हो रही है। इसलिये माही टनल ग्रेविटी से पानी लाने के लिये फेज सैकण्ड, फेज थर्ड और फेज फोर्थ, जो मोहनलालजी सुखाडिया के समय में कुछ बातें चली थीं, वे नहीं हैं, मैं आज उनका पुण्य स्मरण करना चाहता हूं। मैं इतना कंजूस भी नहीं हूं कि उन्हें याद नहीं करूं, मैं आपकी तरह कंजूस भी नहीं हूं, नैरो भी नहीं हूं। मैं आज उनका पुण्य स्मरण करना चाहता हूं। उन्होंने जो योजनाएं हाथ में ली थीं उन योजनाओं को आज पूरा करना

(श्री शांतिलाल चपलोत)

अन्यावश्यक है। यह उदयपुर और मेवाड़ पूरे के लिये अत्यन्त आवश्यक है और यह हमारा जीवन का आधार है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से और हमारे मंत्री मण्डल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय गुलाबचन्दजी कटारिया से भी कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में थोड़ा और प्रयत्न करें जिससे कम से कम पानी की सुविधा उदयपुर में हो सके। अंत्योदय योजना काफी योजनाएं हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाता है।

माननीय सदस्य, अब आप जल्दी कन्क्लूड करें।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं इतना ही कहना चाहता हूं 5 सौ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय बनाये जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 4 सौ....

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आसन और बोलने वाले वक्ता के बीच में क्रास नहीं करना चाहिए। आप बीच में उठकर आये हैं, आप आगे बैठे हैं। आप ध्यान नहीं रखते हैं इन बातों का।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्षजी, स्कूले काफी संख्या में खोली जा रही हैं। 1300 को तो परिवर्तित किया जा रहा है प्राइमरी में, 1621 या साढ़े सौलह सौ नये स्कूल खोले जा रहे हैं। 400 सैकण्डरी यानि उच्च प्राथमिक को सैकण्डरी में बदला जाएगा और उच्च माध्यमिक में 200 बदले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने अपने भाषण में कह दिया, इसको क्यों दोहरा रहे हैं। और नयी बात कहिये, अपनी बात कहिये आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इसी के लिये मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान की विषम स्थिति को देखते हुए पढ़ाई के लिये रूचि जागृत हो इसके लिये पास-पास में स्कूले हों अतः 500 मिडिल स्कूल और 200 सैकण्डरी स्कूल और खोलने के

(श्री शांतिलाल चपलोत)

लिये तथा सौ हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के लिये हमें आश्वस्त करें जिससे बच्चों को पढ़ाई में नुकसान नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : हां, यह बात कहो ना आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री एमादुद्दीन अहमद खान।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान, 2004-05 सदन में प्रस्तुत किया गया है,

"तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं" जब मुख्य मंत्रीजी ने 2-3 शेर बोले थे तो उसका जवाब तो शेर से ही होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं सुन नहीं पायी थी, आसन सुन नहीं पाया था, आप पुनः दोहरा दें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : 'तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देकर बहलाया गया हूं।"

एक माननीय सदस्य : महावीरजी पर भी लागू है यह।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : बजट भाषण के शुरूआती अंशों में बिजली 14 से 16 घंटे आपूर्ति का दावा किया गया है। वास्तविक स्थिति इससे कोसों दूर है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने निर्वाचन क्षेत्र तिजारा में निमंत्रित करता हूं कि वे वहां आयें और बिना कार्यक्रम बनाए आएं और देखें कि वास्तविक स्थिति में किसानों को बिजली सप्लायी की क्या हालत है। 3-4 घण्टे मुश्किल से बिजली दी जाती है। स्थानीय स्तर पर मालूम करने पर बताया जाता है कि आगे से ही सप्लायी नहीं आ रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा अपने बजट भाषण के पेरा नम्बर-3 में राजकीय कर्मचारियों से लेकर शासन में सहयोगियों के एक टीम के रूप में कार्य करने से उपलब्धियां सम्भव होना बताया है। मुझे तो लगता है कि उनको अंधेरे में रखा जा रहा है। किसानों को 14 से 16 घण्टे बिजली नहीं दे रहे हैं और यदि वास्तव में राज्य सरकार इस पर गम्भीर है तो ऐसी व्यवस्था करे कि जन प्रतिनिधियों, पंचायत स्तर तक के जन प्रतिनिधियों को भी मोनिटरिंग के अधिकार दें व सप्लायी न होने पर विभाग के चुनिन्दा अधिकारियों की जिम्मेदारी व जवाबदारी तय करें।

श्री अध्यक्ष : आप यूं क्यों खड़े हैं ? सत्तापक्ष वाले सदस्य क्यों खड़े हैं, आप ? क्यों खड़े हैं, आप ? (व्यवधान) आप लोग कुछ भी ध्यान नहीं रखते।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : बिजली में सोलर एनर्जी विकास के बारे में कोई प्रावधान नहीं देखकर भारी आश्चर्य हुआ है। एक ओर गम्भीर बिजली संकट व बिजली की कमी, उत्पादन की कमी व अधिक उत्पादन लागत की बात की जाती है, दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि सरकारी भवनों, कामर्शियल काम्पलेक्सेज व बड़ी इमारतों पर भी सोलर सिस्टम आवश्यक कर दिये जाएं तो मेरा मानना है कि करीबन आधी या उससे भी अधिक बिजली की मांग उनकी सोलर सिस्टम से ही पूर्ण हो जाएगी, बिजली की भारी बचत होगी। सोलर पैनल व सिस्टम को आसान बनाने व आसानी से उपलब्ध कराने व उपकरणों में नये-नये आविष्कारों को बढ़ावा देने की आवश्यकता आज की है। इस बजट में प्रावधान नहीं देखकर निराशा हुई। मैं आपको सुझाव देता हूं कि इस बाबत बिल सदन में लाया जाए व बड़े कामर्शियल काम्पलेक्सेज व सरकारी भवनों में सोलर एनर्जी को आवश्यक बनाया जाए।

प्रदेश में पीने के पानी की भारी किल्लत व जमीन से अंधा-धुंध दोहन से जल स्तर में आती कमी को देखते हुए वाटर रिचार्ज हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में विस्तार से, प्रभावी प्लानिंग इस बजट भाषण में दिखायी नहीं दी। यह भविष्य का विकट संकट है। सरकारी भवनों व बड़ी इमारतों, मल्टी स्टोरीज पर वाटर रिचार्ज की पुख्ता व्यवस्था के प्रावधान तो राज्य सरकार को तत्काल किये जाने चाहिए थे। इस हेतु राज्य सरकार को रिचार्ज सिस्टम को विज्ञापन आदि से जनता को समझाया जाना चाहिए व इस कार्य में आने वाले सामान, पाइप लाइन आदि में राज्य सरकार से अनुदान की घोषणा की जानी चाहिए थी ताकि जनता जागरूक हो। जिस प्रकार से फव्वारा सिंचाई, बूंद-बूंद सिंचाई परियोजना पर तत्कालीन राज्य सरकारों द्वारा अनुदान देकर बढ़ावा दिया गया है आज कृषि में फव्वारा व बूंद-बूंद सिंचाई योजना आवश्यक बनती जा रही है। इसी प्रकार इस पर भी एक बिल सदन में लाया जाए। हमारे पुराने वाटर रिचार्ज सोर्सेज बावडियां, तालाब, तलाइयां, जोहड़ों आदि का पूरा व टोटल संरक्षण हो एवं बजट में प्रावधान भी हो।

बजट भाषण के पैरा नम्बर 10 में तेल गैस के विपुल भण्डार मिलने का जिक्र किया गया है। यहां यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अब तक कुल कितना तेल व गैस निकाला गया, कहां भेजा गया, क्या वहां भेजने की छूट थी। कितना बिक्री कर प्राप्त हुआ व किस दर से, बिक्री कर की दर कब तय हुई, तेल की कीमत किस प्रकार व कहां से तय हुई। मुझे एक दैनिक अखबार, भास्कर, दिनांक 11 जुलाई, 2004 के पेज नम्बर 28 से सूचना मिली कि स्काटलैण्ड की कम्पनी कैयर्न एनर्जी ओ.एन.जी.सी. के साथ मिलकर अब तक

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

1 लाख 11 हजार 4 सौ बैरल तैल, पिट आयल निकाल चुकी है। इसे गुजरात की निजी रिफाइनरीज को करीब साढ़े 13 करोड़ रूपये में बेचा गया। अगर यह सही है....

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्षजी, पाइण्ट आफ आडर। मेरा पाइण्ट आफ आडर यह है कि माननीय सदस्य बहुत पुराने भी हैं, कोई नये सदस्य पढ़कर बोलें तक तो ठीक है। क्योंकि अपने यहां नियमों में प्रावधान है कि पढ़कर भाषण नहीं कर सकते।

(17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : देखिये, यह इनकी मेडन स्पीच है, आप मना नहीं करें। बोलने दें इनको। अगली बार टोकिएगा। लेकिन माननीय सदस्य, अशोक तंवर...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : कोई पाइंट्स हो तो देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम अशोक है ? आप वक्ता के और आसन के बीच से चले आ रहे हैं। आप दुबारा जीतकर आये हैं। आप दुबारा जीतकर आये हैं। कैसे नहीं आये, मैं देख रही हूं। रहने दीजिए आप बिलकुल यूं होकर आकर बैठे हैं यहां पर। (व्यवधान) मेरे और वक्ता के बीच में आये हैं आप। आप दुबारा जीतकर आये हैं, पांच साल बीत गये आपको। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : आइंदा ध्यान रखेंगे यह आप कह रहे हैं, वे तो नहीं कह रहे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं कह रहा हूं तो आप देखिये, मैं कह रहा हूं और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं। हां, मैं याद दिला दूं कि आप प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप यह कह रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यह हमारी पार्टी के सम्माननीय सदस्य हैं और अगर उनसे कोई भूल हो गयी है तो मैंने कहा कि अब आइन्दा ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : वे स्वयं भूल मंजूर नहीं कर रहे हैं न, आप सब क्यों बीच में आ रहे हो ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप तो आज बहुत कठोर हो रही हैं इस मामले के अन्दर। बीच में आदमी को कोई काम से आना है, कोई आना ही नहीं चाहिए, आप डाइरेक्ट संवाद रखना चाहती है हरके से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए कह रही हूं, बारबार टोक रही हूं ताकि आप सब लोग आइन्दा इनका ध्यान रखें। इन बातों का, इन नियमों का पालन करें, यह बहुत आवश्यक है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्षजी, मैंने कह दिया, मुझे आपसे काम था इसलिए आया, मैंने कह दिया न, सारी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कभी-कभी ध्यान रखने के बावजूद भी सोच कुछ और रहे हैं और आप कहीं निकल जाते हैं, गलती हो जाती है तो..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं कि आप कहे जा रहे हैं, वे फिर भी नहीं बोल रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बोलने का अवसर कहां दे रही हैं आप उनको ? माननीय सदस्य को आप बोलने का अवसर कहां दे रही हैं ?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बार कह दिया, सारी।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। आइन्दा ध्यान रखियेगा। आप बोलिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इजाजत दी क्योंकि काफी फिगर्स और टेक्निकल बात है इस वजह से आपकी इजाजत के लिए बहुत शुक्रिया। अगर यह सही है तो निजी रिफाइनरीज को बेचने की दर कहां से तय हुई और इस पर 49.72 लाख बिक्री कर भी अदा किया जाना बताया है। यह किस दर से है ? इसकी सूचना बजट भाषण में नहीं मिली। रायल्टी अब तक क्यों नहीं मिली ? उत्साह के साथ निराशा हुई। मैं रैफर करना चाहता हूं कि आज एक स्टार क्वेश्चन नम्बर -39 को, इसके पार्ट नम्बर-2 और 3 में पूछा गया है कि राज्य में तेल एवं गैस का व्यावसायिक उत्पादन कब तक होने की सम्भावना है तथा तेल रिफाइनरी लगाने की सरकार की क्या योजना है ? इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें और तीन नम्बर पर.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो प्रश्न की बात कर रहे हैं। यह प्रश्न कहां से आ गये आपके बजट भाषण में ?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : नहीं, मैडम, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मैं यह मालूम करना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो न्यूज पेपर रिपोर्ट में जो लिखा है वह सही है या यहां पर जो रिप्लाई आया है उसका क्लेरीफिकेशन मैं मांगना चाह रहा हूं क्योंकि यह मामला हमारे....

श्री अध्यक्ष : न्यूज पेपर की बात को आप ओथेंटिक नहीं मान सकते हैं। प्रश्न ज्यादा ओथेंटिक है, इसका जवाब।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : वह इसीलिए मैं रिकार्ड पर लाना चाह रहा हूं कि वह प्रश्न में यह है। इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। मैं अपनी जानकारी भी चाह रहा था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रश्न ही सही है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा तेल को पाइप लाइन द्वारा मथुरा भेजने का निर्णय किया गया है ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें। इसमें इसका जो उत्तर है, खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन बाड़मेर जिले में मैसर्स केयर्न एनर्जी द्वारा वर्ष 2005-06 में प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। यह बताया है। तो मैं इसीलिए जरा क्लेरीफिकेशन चाह रहा था कि यह जो न्यूज आइटम आया है, इसके लिए मैं चाह रहा था, उम्मीद है कि आप सदन को विस्तार से इस बारे में तत्काल अवगत कराएंगे व वास्तविक स्थिति स्पष्ट करेंगे। यह राज्य का अहम विषय है। राज्य का भविष्य है। सरकार को इस मामले में, सदन को राज्य हित में विश्वास में लिया जाना चाहिए।

पैरा नम्बर-17 में बी.पी.एल. परिवारों का उल्लेख किया गया है। यहां पर मेरा सुझाव है कि बी.पी.एल. परिवारों का चयन हेतु पुनः अभियान चलाया जाए व नियम जानकारी के अभाव में जो लोग बी.पी.एल. परिवारों की चयनित सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करवा सकें, वह करवा सकें।

पैरा नम्बर-88 में बेरोजगारी की समस्या का जिक्र किया गया है। यह एक गम्भीर समस्या है। आज इससे निपटने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। बजट भाषण के पैरा नम्बर-88 में रीको व आर.एफ.सी. द्वारा किये जा रहे औद्योगिक निवेश के फलस्वरूप समग्र रूप से लगभग एक लाख लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां यह मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि राज्य की जनसंख्या में बेरोजगारों की तादाद को देखते हुए यह नहीं के बराबर है। फिर भी इस आंकड़े को पाना भी डाउटफुल है। मैं आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि तिजारा क्षेत्र में रीको व तत्कालीन बीडा व यू.आई.टी. आदि द्वारा किसानों की भूमि अवाप्ति से औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी व समय-समय पर इसका विस्तार होता रहा, वह जारी है। समय-समय पर तत्कालीन सरकार द्वारा, समय-समय पर सदन के बाहर भी कई प्रकार की घोषणाएं करती रहती है कि अवाप्त भूमि के खातेदार के परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। स्थानीय निवासियों को औद्योगिक क्षेत्र में 50 प्रतिशत उचित स्तर की

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

नौकरियां दिया जाना शामिल था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अवाप्त भूमि के खातेदार परिवार अब तक नौकरियों को तरस रहे हैं व स्थानीय जनता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यहां तक कि आर.एफ.सी. व रीको से छूट, अनुदान, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद भी राज्य को कोई उल्लेखनीय आर्थिक लाभ नहीं मिला है। इस बारे में विस्तार से चर्चा कटौती प्रस्तावों में करूंगा। उम्मीद है कि आप इस मामले में सख्ती का रूख अपनाकर स्थानीय जनता को बेरोजगारी से रोजगार की ओर जाने के बंद मार्ग को खोलने का प्रयास करेंगे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक महत्व के भवनों को.....

श्री अध्यक्ष : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, विराज जाओ आप। बैठ जाओ।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : संरक्षण देने के बारे में मेरा सुझाव है कि इन ऐतिहासिक महत्व की इमारतों से सर्वप्रथम सरकारी कार्यालयों को तुरन्त खाली करवाया जाए। सरकारी कार्यालयों वाली इमारतों की हालत बड़ी दयनीय है। संरक्षण की बात तो दूर वे क्षीण हो रही हैं। इसका एक उदाहरण अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कल के हिन्दुस्तान टाइम्स को रैफर करना चाहता हूं। जुलाई 12, मण्डे का, कि अजमेर में-

Akbar's fort – decaying out of existence.

उसमें यह लिखा है-

"As per ASI rules, no construction is allowed within the fixed parameters of the monument. However, in the case of the Akbar Fort, all rules are being violated. The police headquarters, CID office, a veterinary hospital and a mini market are functioning adjacent or inside the fort."

यह पूरा आर्टिकल है, मगर इसमें मैं रेलेवेंट पोर्शन आपके ध्यान में लाना चाह रहा था। आप द्वारा पर्यटन विभाग व देवस्थान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से धार्मिक स्थलों के विकास का प्रस्ताव किया गया है। इस बाबत् मेरा आपको सुझाव है कि पहले आप सरकारी कार्यालयों के कब्जे में देवस्थान व वक्फ जायदाद को तुरन्त खाली किये जाने की घोषणा करें ताकि आपके इस प्रस्ताव को बल मिल सकें। नहीं तो बेकार रहेगा। जहां पर अभी सम्भव नहीं हो वहां पर वर्तमान बाजार दर से या सार्वजनिक निर्माण विभाग की दर से किराया अदा करने की घोषणा की जाए। इस प्रस्ताव से देवस्थान की आय भी बढ़ेगी। इस बढ़ी हुई आय में मैं आपको यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि देवस्थान की आय का निश्चित प्रतिशत गौशालाओं को जाए। जहां पर गायों के लिए चारा-पानी का उचित इन्तजाम किया जा सके। देवस्थान की आय

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

गौशालाओं में आसानी से लगायी जा सकती है क्योंकि गाय को भी देवी-देवताओं की तरह ही पूजा जाता है। साथ ही गायों के लिए गौशालाएं निर्मित होकर चारा-पानी का इन्तजाम हो जाने पर उनका सड़क पर विचरण रूक जाएगा और वाहनों से टक्करें होकर उनकी हालात दयनीय होने से बचेगी। राज्य में प्राचीन चिकित्सा प्रणाली, आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा का विकास किये जाने का भी मेरा सुझाव है। हम हमारी इन पुरानी चिकित्सा प्रणालियों, जिनके साइड इफेक्ट्स नहीं के बराबर होते हैं, को भूलते जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इसमें सरकार भी गम्भीर रूख नहीं अपनाती। मेरा इसमें आपसे सुझाव है कि आयुर्वद एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली को संरक्षण देवे व इसके विकास व जन-लाभ हेतु अलग-अलग विभाग बनाकर व अलग-अलग बजट आवंटन कर व अलग प्रशासनिक ही ढांचा बनाकर इसका संरक्षण किये जाने की आज तत्काल आवश्यकता है। इसका बजट में प्रावधान किया जाए। इससे भी खासतौर पर रिसर्च हेतु प्रशासनिक व आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम जिन दवाइयों, जड़ी-बूटियों को भूलते जा रहे हैं, उनका संरक्षण हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट प्रस्ताव पर कई मामलों में निराशा हुई। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में नई सड़के बनाने हेतु गरीब किसानों की भूमियां अवाप्त की गई थीं। उन्हें अब तक मुआवजा राशि नहीं दी गयी। बकाया चल रहा है। मालूम करने पर बताया जाता है कि बजट ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेड इन स्पीच है आई अलाउड हित। आपके दस्तावेज में कितने पृष्ठ बाकी रह गये ?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : 4-5 ही हैं ?

श्री अध्यक्ष : 4-5 और हैं ?

श्री सांवर लाल : भाषण दिये जाओ।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : कुछ आपको तकलीफ है ? (व्यवधान)

डा. एन.एस. गुर्जर : यह मेम्बर आफ पार्लियामेंट रहे हुए हैं। मेरे मित्र हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : आदत कुछ और पड़ गयी वहां पर। खराब आदत पड़ी है वहां पर।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया है। इनकी मेड इन स्पीच है, बीचे में कैसे रोकें ? बोलने दें। पढ़ लेने दीजिये। क्या दिक्कत है ?

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : मैडम रेलेवेंट ही बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब तीन चौथाई से ज्यादा पढ़ा जा चुका है तो दो-तीन पृष्ठ और हैं। पढ लेने दीजिये। क्या दिक्कत है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बड़ी मित्रता निभा रहे हैं। आप जैसे मित्र हो तो दुश्मनों की आवश्यकता नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : इतना अच्छा सब्मिशन दिया है। यह तो तारीफ करनी चाहिये कि गौ-संरक्षण के लिये इतना अच्छा सुझाव दिया है आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : आपने लिखकर दिया और यह पढ़कर बोल रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह खुद सक्षम हैं। बड़े भाई हैं।

एक माननीय सदस्य : बोलो-बोलो।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : मैं तो रेलेवेन्ट ही बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, बोलिये।

डा. एन.एस. गुर्जर : हम आपके बोलने पर एतराज नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बहुत बढिया सजेशन दे रहे हैं। आपका कन्टीन्यू रखिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : दुबारा अगर आपको ध्यान दिला दूं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप पढ़ दीजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो पार्लियामेंटेरियन रहे हैं भाई।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान : यह मुआवजे के बारे में बता रहा था पी.डब्ल्यू.डी. का मुआवजा, जो अवाप्ति हुई है जमीन किसानों की, उसका 10-10 साल से लम्बित चल रहा है। इस बजट में भी कोई प्रस्ताव बकाया मुआवजा राशि चुकाने से सम्बन्धित सरकार ने नहीं किया है। ये राज्य के गरीब काश्तकारों के साथ न्याय नहीं है। मेरा सुझाव है कि तत्काल प्रावधान हो व भविष्य में भी भूमि अवाप्त होने पर तत्काल मुआवजा राशि दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये।

नये स्कूलें को खोले जाना व क्रमोन्नत किये जाने की संख्या काफी कम है। जनसंख्या के हिसाब से भी घोषित स्कूलों की संख्या काफी कम है। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि स्कूलों के मामलों में राज्य की सीमा पर स्थित तहसीलों की हालत विकट है।

इन तहसीलों के निवासियों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिये मौजूदा विद्यालय में उच्च कक्षाएं ने होने से पड़ौस के गांवों में स्थित स्कूलों में जाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर अलवर जिले की तहसील तिजारा व तहसील कोटकासिम, जो पड़ोसी राज्य हरियाणा से सटा हुआ है, बच्चे

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

राजस्थान राज्य की संस्कृति के बजाय पड़ौसी राज्यं की संस्कृति में शिक्षित होते हैं एवं आगे उन्हें नौकरी आदि में राज्य के मूल निवासी की आवश्कता होती है लेकिन शिक्षा प्रमाण पत्र राज्य के न होने पर उन्हें नकार दिया जाता है जो कि एक सोचनीय विषय हैं एवं युवाओं के साथ अन्याय है। एक ओर तो राज्य ही उन्हें शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं करवा पाता, दूसरी ओर उनके द्वारा सीमा पर पड़ौसी राज्य में शिक्षा ग्रहण करने पर राज्य का निवासी माना जाने में ही दिक्कतें आ जाती हैं। आपसे ऐसी तहसीलों बाबत बजट में विशेष प्रावधान करने की राज्य के युवाओं के हित में गुजारिश करता हूं।

सिक यूनिट्स को चालू किये जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। उनकी आर.एफ.सी. या अन्य द्वारा नीलामी के पश्चात् खरीददार को सुविधा भी स्वागत योग्य है। लेकिन सिक यूनिट्स को पुनः चालू किये जाने के पूर्व के ऋण व ब्याज की वूसली का कोई पैकेज नहीं है। यहां बजट प्रस्तावों में ऐसी यूनिटों में कितना पैसा राज्य की फाइनेंशियल कारपोरेशन व एजेन्सीज का लगा है व उनकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं या जावेंगे, उल्लेख नहीं है।

पावर आफ अटार्नी पर दो प्रतिशत वैल्यू के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना अनुचित है। एक आम नागरिक का अधिकार है। इस दस्तावेज से व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। इस दस्तावेज से जो भी कार्य करता है, वह पावर देने वाले की हैसियत से ही करता है। इस दस्तावेज से हैंडिकेप्ड, डिसएबल्ड, नाबालिग, सीनियर सिटीजन, निवास स्थान से बाहर कार्यरत सरकारी कर्मचारी, अर्द्ध सरकारी, निजी कार्यरत लोग, व्यवसायी, जो कि निवास स्थान से रोजगार हेतु पलायनरत होते हैं एवं वे लोग जो स्वयं अपनी जायदाद की देखभाल करने, न्यायालयों में पैरवी करने व वक्त जरूरत बेचान, दस्तावेज रजिस्टर्ड करवाने के लिये असमर्थ रहते हैं या समयाभाव के कारण असमर्थ रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ यह अन्याय है। सरकार को पावर आफ अटार्नी के जरिये होने वाले सम्पत्ति के अवैध बेचानों को रोकने के अन्य उपाय सोचने चाहिये। इस तरह तो लोगों को विश्वासपात्र अटार्नी मिलने ही मुश्किल हो जायेंगे। क्योंकि कोई क्यों सेवार्थ 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देगा। यदि पॉवर देने वाला 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी देगा तो इसमें गरीब लोगों के साथ अन्याय होगा। मेरा सुझाव है कि इस प्रकार से दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी को वापस लिया जावे या हैंडिकेप्ड, डिसेबल्ड, नाबालिग, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, मूल निवास से बाहर कार्यरत सरकारी या निजी कर्मचारी व बाहर कार्यरत व्यवसायियों को भी इस प्रावधान से मुक्त रखा जाना चाहिये।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

यहां यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि भामाशाहों द्वारा जनहित, समाज हित में दान की गयी सम्पत्तियों पर भी स्टाम्प ड्यूटी मुक्त रखा जाना चाहिये क्योंकि वे आज के युग में एक महान कार्य कर रहे हैं।

खनिज मार्बल उद्योग में सरकार द्वारा करीबन एक-डेढ़ माह पूर्व रायल्टी की राशि बढ़ा दी गयी। मुझे बताया गया कि मुख्य मंत्रीजी हाल ही करीब 13 जून के आस-पास मकराना गई। वहां उपस्थित समूह के बीच में पूर्व की स्थिति में रायल्टी राशि वापस लाने का आश्वासन दिया, लकिन वह पूर्ण नहीं किया गया। बजट पूर्व ये सरकार कर व रायल्टी आदि बढ़ाकर कर प्रस्ताव में कुछ राहत देना एक थोथी वाहवाही है। इस बजट भाषण मे बड़े शहरों में मल्टीस्टारीज संस्कृति तेजी से पनपने के कारण फायर स्टेशनों व फायर ब्रिगड को आधुनिक साधनों से लैस किया जाने की ओर इस सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो विचार करने का विषय है। राज्य के नागरिकों की सुरक्षा का मामला है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। वहां भी फायर स्टेशनों की भारी कमी है। आगजनी आदि में किसानों की फसलें व पशुधन भी भेंट चढ़ जाते हैं। सरकार को इस गम्भीर विषय पर भी सोचना चाहिये व बजट प्रस्ताव में संशोधन कर इसे शामिल करना चाहिये।

अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा को जिला बनाने के लिये आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप जांच करवायें कि कितना राजस्व तिजारा क्षेत्र में आता है। आबादी एवं संसाधन भी उपयुक्त हैं। अकेले भिवाड़ी क्षेत्र से ही काफी राजस्व आता है जो एक जिले की राजस्व के लिये काफी होना चाहिये। इस पर आपसे तुरन्त तिजारा को जिला घोषित करने की मांग करता हूं। उम्मीद है कि आप घोषणा करेंगे।

रेवाड़ी से भिवाड़ी रेलवे लाइन डालने व स्टेशन बनाने के लिये राज्य सरकार भी अपनी ओर से पैरवी करे क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मैं राज्य के मदरसा बोर्ड के भी शीघ्र गठन की आपसे मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट प्रस्ताव पर मुझे मौका दिया उसका धन्यवाद करते हुये उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सुझावों पर गौर करेगी व इस शेर के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं:-

"शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है,
शोला-ए-इश्क सियाह पोश हुआ है मेरे बाद।"

इसका मतलब है कि जिस चीज का बेनिफिट आज सरकार ले रही है वह पिछली कांग्रेस सरकार के एफर्ट्स की वजह से है। धन्यवाद।

अनेक माननीय सदस्य : वाह-वाह।

श्री अध्यक्ष : श्री अतर सिंह भड़ाना।

श्री अतर सिंह भड़ाना (बयाना) : माननीय अध्यक्षजी, सर्वप्रथम राजस्थान के इतिहास में महिला मुख्य मंत्रीजी ने कल जो अपना राजस्थान राज्य के सभी वर्गों को छुता हुआ जो बजट पेश किया है इसकी कल्पना गांव में बैठे चौपाल पर किसान कभी सोचता था कि हमारे लिये, गावं के लिये, आम आदमी के लिये जो कभी राजस्थान विधान सभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किसान को बिजली देने की बात कही थी।

राजस्थान विधान सभा में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को बिजली देने की बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्रीजी और बी.जे.पी. की सरकार ने वह बात पूरी की थी। उसके बाद गुड गवर्नेन्स की जो बात चली थी, इस बजट से यह लगा है कि सरकार में वह क्षमता है कि आम आदमी तक निश्चित तौर से जिसकी चर्चा होती थी, किसान की दो-तीन दशकों से आम सरकारें चर्चा तो करती थीं लेकिन यह पहली सरकार है जिसने गांव में आम किसान की बात को लेकर, चाहे वह महिला हो, पुरूष हो, आम आदमी हो, कृषक हो, मजदूर हो उसकी ऐसी नीति बनायी है कि जिससे लगता है कि उसकी कल्पना को यहां तक सोचा गया है।

मैं इसमें कुछ ऐसे मुद्दों को बताना चाहूंगा कि जिनको लेकर गांव के आम आदमी को इसका पूरा-पूरा फायदा पहुंचेगा। जैसे कि कृषक साथी की बात कही गयी है। गांव में किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती है, इसके साथ जो गांव में आम मजदूर होता है जिसकी जमीन नहीं होती है उसको भी काम करने के लिए इसमें जो प्रावधान किया गया है, मैं यह कहता हूं कि किसान के हित में सर्वप्रथम यह बजट आया है। इसके लिए सारे प्रदेश में सभी तरफ से सब को इसमें संतुष्टी है।

किसान के लिए फसल के लिए जो बीमा योजना है, वह भी शुरू की गयी है। पहली बार किसान के लिए कल्याण कोष, जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था, यह काम अब नयी सरकार ने नये बजट में इस तरह से पेश किया है। मैं राजस्थान के किसानों की तरफ से और अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि हर जगह हर चीज को छूआ गया है, इसके लिए बी.जे.पी. सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदया का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बत्तीलालजी मीणा।

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस साल अच्छा मानसून आए, अच्छी वर्षा हो क्योंकि राजस्थान की खेती भी मानसून का जुआ है। हमारे किसान का भाग्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है।

(श्री बत्तीलाल)

यह बजट राजस्थान की जनता की आशा और आकांक्षाओं के रूप में बजट है। इसमें कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है कि जिसको लाभ नहीं पहुंचाया हो। हर वर्ग को छूआ है। यह बजट यह परिलक्षित करता है कि हमारी माननीय सक्षम मुख्यमंत्री महोदया ने परिवर्तन यात्रा में झोपड़ी से लेकर महलों तक अपना वास्तविक सम्पर्क किया, लोगों की समस्याओं को सुना, देखा उन्हीं के अनुरूप यह बजट बनाया गया है।

बजट में जो 6 मुख्य मुद्दे हैं-गरीब, किसान, अशक्त, महिला, आर्थिक सुधार और संवेदनशील प्रशासन, यह सारी जो बातें रखी गयी हैं इससे यह विदित होता है कि हमारे बड़े-बड़े अर्थशास्त्री या विद्वान साथी जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वह यह सोच रहे हैं कि कौनसी कमी है जिसके आधार पर हम इस बजट की आलोचना करें। उनको भी अपना दिमाग लड़ाना पड़ रहा है। आलोचना केवल आलोचना के लिए की जा रही है बाकि बजट में कोई ऐसी कमी दिखाई नहीं दे रही है ताकि वो लोग खुल कर कह सकें। इस बजट में हरेक के लिए कुछ न कुछ दिया गया है लेकिन विपक्षी साथियों का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि बजट में कहीं कमी आती तो विपक्षी सोचते कि हमारे लिए कुछ किया गया है प्रावधान क्योंकि उनको तो कमियों से ही तो आनन्द आता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार इसमें किसान को बहुत ही ग्रास रूट पर जाकर किसान के लिए सोचा गया है। व्यावहारिक रूप में किसान के लिए बजट बनाया गया है। पहली बार पम्प सैटों को सस्ता किया गया है क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया है। आज राजस्थान में किसान के लिए खेती करना बहुत ही घाटे का मामला है। जमीन किसान के लिए एक भीख का कटोरा हो गयी है। मान्यवर, आज किसान जिस दुर्दशा से राजस्थान में जी रहा है, वह आपसे किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मुझे 1977 का अनुभव है जब माननीय शेखावत साहब ने किसानों के लिए बारानी जमीन की माफी की थी, किसानों के कर्ज माफ किये थे। एक अन्त्योदय योजना इस तरह की चलायी गयी थी ताकि हमारा जो गरीब किसान गांव में बैठा है उसके लिए बजट जा सके। पर अफसोस की बात है कि जैसे ही पिछली बार माननीय शेखावत साहब से श्री गहलोत साहब ने सत्ता सम्भाली तो कह दिया कि खजाना खाली है, राजस्थान दिवालिया है। यदि कोई घर का मुखिया ही कह दे कि हमारा घर दिवालिया है तो दूसरे कैसे विश्वास करेंगे। हमारे राजस्थान को एक बहुत बड़ा घाटा हुआ, हमारा जो विकास था,

(श्री बत्तीलाल)

जो प्रगति थी वह रूक गयी। देश-विदेश में हमारी साख गिर गयी। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे जो उद्यमी विदेशों में निवास करते हैं, उनको आमंत्रित किया गया जयपुर में और एक बड़ी भारी कांफ्रेंस रखी गयी। उस पर 2 करोड़ रूपये खर्च किये गये। और तो और गाय और बंदरों को जयपुर से बाहर निकाल दिया गया। क्यों ? क्योंकि वह समझ गये कि फर्क आता है। वह आयेंगे तो कहीं गाय का गोबर देखेंगे। गोबर को तो हमारे यहां बड़ा भारी वरदान माना जाता है। उस गाय को बाहर निकाल दिया गया। जब उद्यमी बाहर से आए तो उनसे कहा कि आप राजस्थान में उद्योग लगाइये। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम क्या उद्योग लगाएं ? आप स्वयं दिवालिया हैं तो हमारी क्या मदद करेंगे ? हम को आप क्या कन्सेशन देंगे ?

मान्यवर, आप कोई भी सोच सकते हैं। मैं इकानामिक्स का स्टुडेंट भी रहा हूं लेकिन मैं आपको स्टेस्टिक्स और नहीं दे सकता लेकिन मोटी-मोटी बात बता देना चाहता हूं। कल शाम को मैं मेरे बच्चों से यह डिस्कशन कर रहा था कि मुझे तो इकानामिक्स पढ़े हुए बहुत समय हो गया, आप बताइये कि इस बजट में क्या कमी है और क्या अच्छाइयां है ? वह कह रहे थे कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हम कमी बता सकें। बजट में विद्यार्थियों के लिए रोजगार की बात कही गयी, एक सम्बल बनाया गया है। नौजवानों के लिए रोजगार की बात कही गयी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं छोड़ा जिससे उसको उत्साह नहीं हो। आज झोपडियों में किसान जश्न मना रहे हैं, गांव में जश्न मना रहे हैं तो गुलाबी नगरी, जयपुर के जौहरी बाजार के जौहरी भी मिठाइयां बांट रहे हैं कि पहली बार झोपड़ी से लेकर महलों तक, गांवों से लेकर शहरों तक ऐसा बजट है जिसमें सारी बात को, सब को देखा गया है, समझा गया है, सोचा गया है और फायदा पहुंचाया गया है।

मान्यवर, यह बजट कोटा सरकार की आय-व्यय का लेखा जोखा नहीं, केवल यह बजट कल्पना नहीं है यह बजट वास्तव में धरातल है, वास्तविकता है। यह बजट हमारे राजस्थान में विकास की गंगा बहाने वाला है। यह बजट गरीब के हृदय में उत्साह का संचार पैदा करने वाला है। हर आदमी स्वयं अपने सम्बल से आगे बढ़ता है लेकिन उसको किसी तरह का संबल चाहिए, रास्ता चाहिए उसको आधार चाहिए, उसकी पीठ को थपथपाने वाला चाहिए। जब घर का मुखिया यह कहे कि हमारा दिवालिया आउट है, घर में कुछ नहीं है तो सारे घर वाले एकदम हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं कि यह क्या घोषणा हुई। ऐसी ही कुछ हमारे साथ में पांच साल में इतना बड़ा धोखा होगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि पिछले सालों में कुछ हुआ नहीं लेकिन जनता ने उसको

(श्री बत्तीलाल)

स्वीकार नहीं किया। जनता ने यह कहा कि यह तो केवल रूटीन में हो रहा है, यह सरकार कुछ नहीं कर रही। इसी का परिणाम है कि इनका आंकड़ा 153 से केवल 53 पर आ गया। इसलिए आज की जनता ने इनके विकास को विकास ही नहीं माना। जनता ने सोचा कि यह तो रूटीन-वें में हो रहा है और ऐसा होता ही है। सरकार कोई भी हो, अधिकारी काम करते ही हैं। लेकिन इस बजट में जो बात कहीं गयी है कि "हम परों से नहीं हौंसलों से उड़ते हैं", यह केवल शेर नहीं है बल्कि यह वह है कि जनता पर किसी तरह का करों का कोई भार नहीं लादा गया, बोझ नहीं डाला गया कोई अनावश्यक करों का जो अच्छे शासक के गुण हैं। इसमें केवल यह बताया गया है कि हम हमारे बलबूते पर केन्द्र सरकार से हमारा जो हिस्सा है, वह लायेंगे। भगवान हमारी मदद करेगा। अच्छा राज है। स्वशासन में आप देखिये कि "भूप प्रताप भान बल पायी, कामधेनु भई भूमि सहाई" यह हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि जब अच्छा राजा आ जाता है तो यह धरती कामधेनु का रूप हो जाती है। "प्रकृति विपुल गिरी मणी खालो", मणी की खान पर्वतों में प्रकट हो जाती है।

ऐसे ही आप देखे पश्चिमी राजस्थान में, जैसे ही वसुन्धराजी का राज आया तो तेल के कितने भण्डार और खजाने निकल गये। यह केवल अच्छे राज के लक्षण हैं। अच्छे राज के लक्षण हैं कि वर्षा हुई और वर्षा होने से जैसे हमारे पूर्व वित्त मंत्रीजी कर रहे थे कि इनको तो अच्छा संबल मिल गया क्योंकि फसल अच्छी हो गयी थी और सारे जो सोर्सेज हैं वो भी मिल गये थे। यह केवल भगवान की कृपा है। राजा की नीयत सही हो, इरादा नेक हो तो भगवान भी उसकी मदद करता है। हमें विश्वास है कि राजस्थान में अकाल नहीं पड़ेगा। अकाल नही पड़ेगा और भगवान हमारी मदद करेंगे तो हमारी सारी योजनाएं जो इस बजट में रखी गयी हैं, वह सब पूरी होंगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विकास की गंगा बहुत तेजी से बह रही है राजस्थान के अन्दर इस बजट के माध्यम से लेकिन कहीं तो विकास की बाढ़ आ गयी है जैसे हरियाणा क्षेत्र की आदिवासियों की हमारे विरोधी साथी अभी वकालत कर रहे थे लेकिन छाल खाकर लोग भूखे मर गये थे, ऐसा आन्दोलन हमने भी किया था मदन दिलावर के साथ में और आज बारां के अन्दर 120 करोड़ रूपये का स्पेशल पैकेज रखा गया है किशनगंज शाहबाद के अन्दर। यह क्या है, वह वास्तविकता है यह भाषण नहीं है। मैं सरकार से निवदेन करना चाहता हूं कि विकास की गंगा में कहीं तो बाढ़ आ गयी है लेकिन करौली जिले में जाते-जाते इस विकास की गंगा की गति बहुत मंद पड़ गयी। हम लोग किनारे से इन्तजार कर रहे हैं।

(श्री बत्तीलाल)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कों के लिए बहुत बड़ा बजट रखा गया है लेकिन ग्राम पंचायत दलपुरा का मुख्यालय जो केवल पांच किलो मीटर अलवर और गंगापुर रोड से सात गांव पड़ते हैं। प्रत्येक गांव की आबादी 500 से ज्यादा, ग्राम पंचायत मुख्यालय है लेकिन इसलिए सड़क से महरूम रखा गया क्योंकि वह मेरा गांव है और राजनीतिक द्वेषता के कारण सारी निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति करते हुए भी वहां सड़क नहीं थी, बनायी जाए।

मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि इसमें जनता को सस्ता न्याय दिलाने के लिए सारा प्रावधान रखा गया है। नादौती तहसील जो कि सबसे पुरानी तहसील है उसमें आज तक एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर नहीं है जबकि मंडरार पिछले पांच साल पहले तहसील बनाया गया है और केवल तेरह पंचायतें हैं जबकि वहां एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर खोल दिया गया। यह पक्षपात हमारे साथ किया गया। मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में प्रावधान रखें और नादौती को एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर घोषित किया जाए जो कि सबसे बड़ी रेवेन्यू देने वाली है, तहसील है जिला करौली के अन्दर। मैं निवेदन करूंगा कि वहां जनता को सस्ता न्याय दिलवाने के लिए मुंसिफ कोर्ट सारी तहसील हैडक्वार्टर पर है। नादौती तहसील ऐसी है जहां मुंसिफ हैडक्वार्टर नहीं है। वहां का मुंसिफ हैडक्वार्टर महावीरजी के अन्दर है और वहां करीब साठ किलोमीटर जाकर के लोग अपना न्याय प्राप्त करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि महावीरजी में जो बड़े-बड़े अधिकारी आते हैं, बड़े-बड़े जज लोग आते हैं उनको सैल्यूट देने के लिए एक मुंसिफ की आवश्यकता होती है और बाकी वहां उसका कोई उपयोग नहीं है। वह नादौती के नाम से है और उसको नादौती लाया जाए।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस बजट में जो भी प्रावधान रखे गये हैं गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए वह सारे हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है। मैं हृदय से, तहे दिल से उसका समर्थन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि अगला बजट रखें तो हमको यह सुनने को नहीं मिले कि बजट का कोई प्रावधान पूरा नहीं किया गया। हम आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी की कौशलता, चतुरता और हिम्मतशीलता जो इस बजट में दर्शायी गयी है उसके लिए हम मुख्य मंत्रीजी को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में जबकि केन्द्र में विपरीत सरकार आ गयी लेकिन उस बात का कोई ध्यान नहीं रखते हुए कि सरकार क्या है, कौनसी सरकार है, लोग यह सोच रहे थे कि बजट में किसी तरह की कटौती

(श्री बत्तीलाल)

की जाएगी। हम नहीं सोचते थे कि 200 स्कूलों को ऐसे रखा जाएगा, हाई स्कूलों को हम नहीं सोच रहे थे कि हायर सैकेण्डरी 200 क्रमोन्नत किये जायेंगे या 400 माध्यमिक विद्यालय रखे जायेंगे या 700 मिडिल स्कूल किये जायेंगे। हमको बड़ी चिन्ता थी कि इनमें कटौती की जाएगी लेकिन जैसे हम बजट में पढ़ रहे हैं और वैसे का वैसा आ रहा है उनका स्वरूप तो हमको यह विश्वास हो गया है परों से नहीं वास्तव में हौंसले से उड़ा जाता है।

मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी सदन की नेता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को इस तरह की शक्ति दें ताकि हमारे राजस्थान को समकक्ष नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के अच्छे से अच्छे राज्यों की श्रेणी में ला सकें। उसके लिए हम पुरजोर इनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे और विपक्षी साथियों ने जो हमारा जल के बटवारे के लिए एकमत होकर के सदन को समर्थन दिया, नेता को समर्थन दिया, सम्बल दिया उसके लिए भी ये साधुवाद के पात्र हैं क्योंकि घर की लड़ाई में एक तरफ यह 53 हैं एक तरफ हम लोग हैं लेकिन जब हमको पंजाब से लड़ना पड़ेगा तो हम सब 200 एक हैं और हमारे अधिकारों के लिए हम किसी तरह मांगकर नहीं हक छीनकर लेंगे क्योंकि यह किसी की बापौती नहीं है। हिन्दुस्तान सबका है। पंजाब पर भी हमारा साझा है। वह नदी हमारे साथ है उनके घर में से निकलकर नहीं आती।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंजाब से हम किसी तरह कम नहीं है। पंजाब हमारा अनुसरण करता है पंजाब का हम नहीं करते। पंजाब की साख गिरी है देश के अन्दर। हमारी राजस्थान की कोई साख नहीं गिरी है तो हो सकता है यह बजट के बाद न हो क्योंकि मैं अर्थशास्त्री हूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप अपना भाषण कनक्लूड करें।

श्री बत्तीलाल : मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेते हुए समर्थन करते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने 2004-2005 का बजट प्रस्तुत किया है। मैं उस पर अपने विचार रखना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही अच्छी भाषा में और बहुत अच्छी गणित में यह दस्तावेज रखा लेकिन जब इसमें आप डिटेल में जायेंगे तो ऐसा लगता है कि जितना शाब्दिक जाल इसके अन्दर है उतना हम कर पायेंगे, ऐसा लगता नहीं है।

मैं आपको इसके दो चार उदाहरण देता हूं। जैसा इन्होंने कहा कि हम दूध का संकलन और बढ़ाएंगे, चाहे वह प्राइवेट हो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे डेयरी

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

से हो, सहकारिता से हो और दूसरी तरफ जो दूध डेयरियां मुनाफा कमा रही हैं, चुनी हुई हैं उन दूध डेयरियों को इतनी जल्दी में बर्खास्त कर देते हैं कि जो आर्डर्स हम निकालते हैं उसको हम राष्ट्रपति से एप्रूव भी नहीं कराते हैं तो यह मंशा जब सरकार के काम करने की हो तो किस प्रकार वह अपने टार्गेट अचीव करेंगी, यह समझ में नहीं आता।

इसमें आगे एक बात और कही गयी है महिलाओं के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने मुद्दे छांटे हैं वह मुद्दे वास्तव में बहुत अच्छे हैं। महात्मा गांधी ने यह कहा था कि यदि आपको देश की आजादी का पूरा लुत्फ लेना है तो गांव, गरीब और किसान की तरफ देखो और यह देखों कि मेरे फैसले से उस अन्तिम व्यक्ति को क्या लाभ हुआ जो ढाणी में बैठा हुआ है।

लेकिन मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं स्थिति इस सरकार की यह है कि गत छह महीने के अन्दर मैं केवल अजमेर जिले की बात बता रहा हूं। अजमेर जिले में तीन चार जगह महिलाओं को आंदोलन करते हुए पानी के लिए अपने खिलाफ मुकदमें दर्ज करवाने पड़े। यह सरकार की कार्य करने की प्रणाली है। मैं इसमें कतई नहीं जाता कि सरकार कौनसा काम कैसे करे और न मैं उसमें राजनीति करना चाहता हूं लेकिन हम जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस में हम जनता के वोट से चुनकर आते हैं। जनता हमें वोट देती है उससे हम एम.एल.ए. कहलवाते हैं, उससे हम सुविधाएं भोगते हैं, उससे हम ए.सी. लेते हैं। हमारे इस हाउस के लिए ए.सी. जितना आवश्यक है उससे ज्यादा आवश्यक है कि किसान को बिजली मिले, किसान को बिजली चार घंटे भी नहीं मिलती है जिसका बखान मुख्यमंत्री जी ने किया है कि हम सोलह घंटे बिजली देते हैं, चार घंटे किसान बिजली प्राप्त कर नहीं सकता तो यह स्थिति तब है। आंदोलन कम इसलिए हुए कि जमीन में पानी नहीं है। यदि वर्षा होती और पानी होता तो आपको पता पड़ता कि उनकी गूंज आपकी विधानसभा तक पहुंचती लेकिन हमने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया।

इन्होंने कहा हम 48 आवर्स के अन्दर ट्रांसफार्मर चैंज कर देते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं मेरी कांस्टीट्यूएंसी के अन्दर लोगों को ट्रांसफार्मर चैंज करवाने के लिए झुंड के झुंड मिलकर के ए.ई.एन, जे.ई.एन. के दफ्तर पर जाना पड़ता था पन्द्रह-पन्द्रह, बीस-बीस बार तो ट्रांसफार्मर चैंज होते थे। इस किसी भी बात के अन्दर कोई राजनीति नहीं है। गलत है, अगर सरकार है अगर प्रशासन है आप इसकी जांच करवा लेना। जैन साहब आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आप जांच करवा सकते हैं इसकी लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

उसी बात को मैं फिर कह रहा हूं। मैं पहली बार चुनकर आया हूं और राजनीति मेरा व्यवसाय नहीं है, मेरा मकसद है, मैं राजनीति को सेवा का साधन मानता हूं। मैं इसको साध्य नहीं मानता हूं। इस बात को आप मानकर चलना और आप पूरे कंडक्ट में पांच साल में देखेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हाउस के अन्दर हम ज्यादा समय इस बात के ऊपर लगाएं जिसमें हम कोई सार्थकता दिखा सकें।

इसी प्रकार से मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि पथमेला की गौशाला को आप और स्ट्रेंथन करेंगे। यह बहुत बढिया बात है लेकिन इस प्रकार की बहुत सी गौशालाएं इस राजस्थान में चल रही हैं। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने इस राजस्थान के अन्दर नम्बर लैस गौशालाएं की थीं और मैं फिर कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत सरकार के जमाने में जितनी गायों का पालन-पोषण आज वह गौशालाएं चारे के लिए तरस रही हैं। अभी जब मैं विधान सभा में आ रहा था मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक महात्मा गौशाला चलाते हैं वहां चार हजार गायें हैं। वह कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से मिलना है मेरे को चारे के लिए। तो मैं चाहता हूं जिस प्रकार आपने इस गौशाला पर ध्यान दिया, दूसरी गौशालाओं पर भी आप ध्यान दें ताकि उन गौशालाओं में गायें पल सकें। जहां तक स्थिति है, आपको अगर जानकारी इस बात की है, आपसे वह मिले हैं मंत्री महोदय, तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी ध्यान दें। गौशालाओं में और अधिक गायें पल सकें उनके चारे के लियें आप अनुदान दे सकें तो बहुत अच्छी बात रहेगी।

राजस्थान के अन्दर जमीनी पानी की बहुत कमी आ रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने यह भी संकल्प व्यक्त किया है कि अंडर ग्राउंड वाटर के दोहन को रक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने एक गजट निकाला है जिसमें राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अन्दर अंडर ग्राउंड पानी का दोहन बंद करने के लियं कहा है लेकिन राजस्थान में बदस्तूर चालू है। उदाहरण के लिये बूढ़ा पुष्कर की वजह से, अभी मंत्री महोदय वहां गये थे तो आपसे शायद वह लोग मिले भी होंगे, बूढ़ा पुष्कर के पानी दोहन से एक तरफ तो पुष्कर झील सूख रही है और दूसरी तरफ कम से कम हजारों किसान ऐसे हैं कि जिनकी खेती बंजर भूमि में बदल रही है और वह खेती लायक नहीं रहेंगे। तो मैं सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि अंडर ग्राउंड वाटर का दोहन जितना कम हो सके इसके लिये सरकार कोई सख्त कानून बनाए और बहुत रेशनल उसका उपयोग हो ताकि पानी एक ऐसी चीज है जो आज की ही बात नहीं है, आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेंगी। यह सब

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

बातें मैं इसीलिये कह रहा हूं क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय ने संकल्प में लिखा है कि मेरी भावना इस प्रकार की है। दलितों का, कुपोषण, भूख से मुक्ति, अशक्त और महिलाओं को सम्बल, मानव संसाधन का विकास, रोजगार सृजन, अच्छा शासन, आधारभूत सुविधाओं का विकास, यदि वास्तव में जो दस्तावेज में दिया है वह हमारा कांसेप्ट है तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि इन सब बातों पर हमें बहुत गम्भीरता से सोचना पड़ेगा।

आपने बहुत-सी जगह यह दिखाया कि हमारी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में हैंड पम्प खोदे। पंचायतों में गेहूं रखा। यह सब बातें पूर्व सरकार के समय भी थीं। उस समय भी पंचायतों के अन्दर गेहूं होता था। किसी नि:शक्त को, किसी असहाय को, किसी कमजोर को, किसी रोगी को, जो काम नहीं कर सकता था उसे गेहूं पंचायत देती थी। इसके अलावा उसे पिसाने के लिये पन्द्रह रूपये भी देते थे। इसमें मैं यह.....(व्यवधान) आप बात करें चेयर से।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि गत चार महीनों से राजस्थान के अन्दर अकाल भले ही नहीं है आपके गिरदावरी में लेकिन गांवों की स्थिति यह है कि गांव के किसान के पास काम नहीं है। मजदूर के पास काम नहीं है और महिलाओं के पास काम नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार इसमें कोई विशेष प्रावधान कर काम प्रारम्भ करती और लोगों को खाने को अन्न मिलता। आज गांवों में लोगों को खाने को अन्न नहीं है और रोजगार नहीं है, यह बात भी इसके अन्दर होनी चाहिये। हमारा सामाजिक सुरक्षा का कांसेप्ट भी आना चाहिये कि गांव में जो एस.सी. के लोग हैं, एस.टी. के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, असहाय हैं, ओ.बी.सी. हैं, माइनोरिटी के हैं, उनका भी इसमें भला होना चाहिये था।

एक बहुत अच्छी चीज आपने बतायी कि किसान विकास निधि की आपने स्थापना की है। अच्छा यह होता कि मुख्यमंत्री महोदया इसके लिये टोकन मनी घोषित करतीं कि हम इतने रूपये से कोई काम करते हैं। उन्होंने लिखा है कि आगे करेंगे।

इनफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट म्युनिसपलिटीज के लिये भी आपने एक संस्था बनाने की बात की है। कई मर्तबा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि इन संस्थाओं में धन की व्यवस्था करने के लिये सरकार बाद में कोई सरचार्ज या टैक्स लगाकर जनता को कहे कि हम यह काम आपके लिये कर रहे हैं। इसका भी ध्यान रखा जाए।

दस्तावेज में यह भी कहा गया कि एशियन विकास बैंक के माध्यम से जो काम होने थे वह करीब-करीब पूर्ण होने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और यह बात मैं आपको अजमेर जिले के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, राजस्थान का मुझे पता नहीं है। अजमेर जिले के अन्दर गत छह महीनों से ए.डी.बी. के काम ठप्प पड़े हैं। पूरा होना बहुत दूर की बात है, काम ठप्प पडे हैं। मुझे तो शंका है कि पुष्कर, माउंट आबू, जैसलमेर और जो पांच जगह के लिये बचत के पैसे में से ए.डी.बी. काम प्रारम्भ करने वाली थी, कहीं ऐसा नहीं हो कि उस पैसे को हम जयपुर में बीसलपुर का पानी पिलाने के लियं डाइवर्ट कर दें। ऐसी सरकार में अंदर कोई व्यवस्था चल रही है। तो सरकार यहां यह भी घोषणा करें कि पुष्कर, माउंट आबू, जैसलमेर का जो पैसा ए.डी.बी. के माध्यम से पास हुआ है, वहीं खर्च होगा। क्योंकि इसके अन्दर मैंने जब पता लगाया तो ऐसी व्यवस्था चल रही है कि जयपुर में पानी लाने के लिये जो पैसा कम पड़ रहा है, उसकी सरकार इससे पूर्ति करना चाहती है। इसका इसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि जितने भी आपने इसमें पाइंट रखे हैं, किसी पाइंट के अन्दर आप यह लिख देते कि धन इतना यहां से आएगा तो हमें यह नहीं बोलना पड़ता, हमें शंका नहीं होती। जब आपने घोषणाएं कर दीं और व्यवस्था उसके अन्दर है नहीं तब यह शंकाएं होती हैं इसलिये यह बात आज आपको हमें विधानसभा के बीच में बोलनी पडी। जयपुर में......

श्री अध्यक्ष : अब आप कलक्लूड करें. ठीक रहेगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : जयपुर में एक कंवेंशन हाल बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का। मेरा इसमें निवेदन यह है कि यह कंवेंशन हाल अजमेर में बनना चाहिये। तीर्थराज पुष्कर और भैरूंनाथ की नगरी अजमेर है और इंटरनेशनल महत्व का स्थान है, यह हाल वहां बने तो उपयोगी ज्यादा होगा और खर्चा कम होगा। दो तीन बातें और कह कर मैं मेरी बात को खतम करूंगा।

जिस प्रकार सहरिया आदिम जाति के लोगों को राहत देने की बात की गयी है, मैं चाहता हूं बागरिया एक छोटी जाति है। हालांकि वोट के हिसाब से उसका कोई महत्व नहीं है लेकिन ज्यों-ज्यों वन घटते गये उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गयी है। तो बागरिया जाति को भी इसमें लिया जाए। माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी बिराजमान हैं, इन्होंने चुनाव से पहले उन्हें प्रामिस किया था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको एस.टी., एस.सी. में ले लेंगे। इनके लिये कुछ किया जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस.टी. हैं ही वह।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूं कि रोजगार के लिये इस प्रांत का नौजवान ठगा महसूस करता है। इस बात पर कांग्रेस सरकार को नौजवान ने एश्योर किया था कि आने वाली सरकार हमें नौकरी देगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जान बूझकर ऐसे सरकूलर निकालती है जिसमें कुछ गलती रह जाती है, उसको लेकर यही लोग किसी को मिलकर हाईकोर्ट भेज देते हैं और एक के बाद दूसरा, तीसरा स्टे ले आता है और इस प्रकार इनके चयन की प्रक्रिया अभी तक लाइन पर नहीं आयी है। इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि जिस नीयत के साथ घोषणा की है अपने घोषणापत्र में, उसको लागू किया जाए।

इन्होंने घोषणापत्र में घोषणा की थी कि हम राजस्थान से हाउस टैक्स समाप्त करेंगे। इसका भी इसमें कहीं जिक्र नहीं है कि हाउस टैक्स का इन्होंने क्या किया। तो जो सरकार घोषणापत्र के प्रति भी अपनी निष्ठा पूर्ण नहीं कर सकती किस प्रकार वह सरकार आगे वाली अपनी स्कीम्स को लागू करेगी ?

इस पूरे बजट में या तो केन्द्र सरकार की योजनाएं अपने शब्दों में लागू की हैं, या जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं चल रही थीं उसमें कुछ पैसा बढ़ाकर, तरीका बढ़ाकर लागू किया है। यह कोई बात नयी नहीं है, हर सरकार करती है और यह भी करे, हमें इसमें दिक्कत नहीं है लेकिन इस बात की पुख्ता व्यवस्था की जाए कि जिस जनता के वोट से हम इस सदन में बैठे हुए हैं वह जनता हमसे ठगा हुआ महसूस नहीं करें। चाहे बात किसी भी डिपार्टमेंट की हो।

कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि हमारे अजमेर के अन्दर दो महीने आज हो गये, दिन दहाड़े एक महिला का मर्डर हुआ घर में घुसकर और आज तक दोषी नहीं पकड़ा गया।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, अब समाप्त करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती : पुलिस लाइन के अन्दर एक नौजवान ने आत्मदाह कर लिया लेकिन उसकी एफ.आई.आर. तक लाज नहीं की गयी, यह इसकी व्यवस्था है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बजट के अन्दर न तो वर्तमान का अहसास है और न भविष्य की अनुभूति है, यह केवल गणित और शब्दों के जाल का बुना हुआ एक दस्तावेज है इसलिये इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। जयहिंद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री गोविन्द चौहान।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। बजट में प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है।

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

986 गांवों को प्रधानमंत्री योजना के तहत सड़क से जोड़ा, यह स्वागत योग्य है। आजादी के बाद अधिकतर राज कांग्रेस का रहा लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया कि जब तक गांवों को सड़क से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम प्रत्येक गांव में स्कूल नहीं खोलेंगे, देश विकास की ओर नहीं जा सकता। चूंकि इस देश का विकास मात्र घोषणाओं से, मात्र इन मगरमच्छी आंसू बहाने से नहीं होगा। इसमें बहुत ही गहराई में जाना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, बजट के अंदर विशेष ध्यान रखा गया है कि समाज कल्याण हास्टलों 75 खोलने जा रहे हैं। मेरा इसमें साथ में विनम्र आग्रह है कि इन 75 हास्टलों की संख्या बढ़ाई जाये। यदि दलितों को हमें वास्तव में आगे लाना है तो हमें कालेज हास्टल भी खोलने पड़ेंगे। चूंकि आजादी के बाद कभी भी जो दलित का वोट है वह कांग्रेस का वोट बैंक रहा। कांग्रेस ने हमेशा गरीब को ऊंचा उठाने की बात की, लेकिन गरीब के प्रति कभी भी इनकी नीयत साफ नहीं रही। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है इस बजट में संशोधन करके इसके अंदर हास्टलों की संख्या भी बढ़ायें और कालेज हास्टल भी समाज कल्याण विभाग द्वारा सुविधा देकर के गरीब छात्रों को पढ़ाने का भी लक्ष्य तय करें। यह संशोधन करने का मेरा आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय, आये दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं अभी मैंने पढ़ा कि एक न्यायाधीश ए.के. जैन जिन्होंने एक दलित महिला से शादी की, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो हमारी वर्तमान व्यवस्था है, मैं इसमें किसी भी पार्टी की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन हम यह जो अखबार में पढ़ते हैं, उससे यह बात साफ होती है कि 55 साल की आजादी के बाद भी दलित के प्रति जो हमारी मानसिकता क्लियर होनी चाहिए वह आज भी क्लियर नहीं है। ए.के. जैन जो जज हैं, उन्होंने एक दलित महिला के साथ शादी कर ली तो उस आदमी को हेय दृष्टि से देखने लगे।

मुझे वह बात भी याद है कि चौधरी चरणसिंह ने कहा था कि यदि देश में जातिवाद खतम करना है तो आप अन्तरजातीय विवाह की प्रथा तय करें। लेकिन उस टाइम वह कानून नहीं बना, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि 55 साल की आजादी के बाद भी आज यह जो जातीयता का नंगा नाच हो रहा है। आज दलित के प्रति हम दिखावा तो बहुत करते हैं। घोषणाएं हम बहुत करते हैं। लेकिन दलित को जब कोई चीज देने का नम्बर आता है तो उसको लास्ट में खड़ा किया जाता है उसको मात्र छोटा-मोटा हिस्सा देकर के समाज को दिखाने की कोशिश की जाती है कि दलित को हम बहुत कुछ दे रहे हैं जो आज हमारा बजट पेश किया गया है उसमें हमारे मुख्य मंत्रीजी ने काफी

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

घोषणाएं की हैं और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो हमारे सहकारी निगम, एस.सी. निगम चल रहे हैं उसमें भी ऋण बढ़ाने की बात कही है, ब्याज की कटौती की बात उसमें कही गयी है। गरीबों के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करने की बात भी कही गयी है। मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि पूरे विश्व में आज आप कहीं चल जाइये आपको कहीं छूआछूत जैसी बीमारी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी आजादी के 55 साल बाद भी आप प्रत्येक गांव में चले जाइये, आज भी वहां का जो दलित है, वह जब गांव की चौपाल में आयेगा तो वह नीचे बैठने के लिये मजबूर होगा। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बड़े कोई व्यक्ति बैठे हैं तो उनके बराबर में बैठकर के वार्ता करने की स्थिति में वह हो। इसलिए मैं सदन का ध्यान पूरे प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहूंगा छूआछूत जैसी बीमारी मात्र एस.सी., एस.टी. कानून बनने से नहीं रूकेगी, इस कानून का भी दुरूपयोग हो रहा है। प्रभावशाली लोगों द्वारा गांव के अंदर दो लोगों की जब दुश्मनी निकालनी होती है तो एक दूसरे के ऊपर एस.सी., एस.टी. के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, गरीब को इस्तेमाल किया जाता है।

यहां जितने भी सदन के माननीय सदस्य हैं उनसे अनुरोध है कि हम लोग जब तक गांवों में जाकर बीड़ा नहीं उठायेंगे, जो दलित बैठा है उसको गले लगाकर के समानता का दर्जा नहीं देंगे तब तक यह छूआछूत जैसी बीमारी खतम नहीं होगी। इसलिए मेरा आग्रह है कि छूआछूत विरोधी आंदोलन हम सब लोगों को मिलकर के पूरे राजस्थान में चलाना चाहिये ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाये कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो जातिवाद से ऊपर उठकर के काम करता है।

अध्यक्ष महोदय, दलितों के लिये मैं आये दिन देखता हूं कि पुलिस के अंदर गम्भीर अपराध होते हैं, चाहे उसकी कृषि भूमि के कब्जे का मामला हो, चाहे उसके हाथ-पैर तोड़ दो, चाहे उसका मर्डर हो जाये, वहां के पुलिस अधिकारी उसको मुलजिम बना देंगे। दो साल के बाद देखते हैं कि वहीं अधिकारी उस मुकदमें के अंदर तीन मुलजिमों को निकाल देता है, अंत में कोर्ट में जाकर वे पैसे के प्रभाव से बरी हो जाते हैं। इसलिए यह पुलिस के अंदर जो निरंकुशता आ गयी है, बजट में प्रावधान होना चाहिए कि अगर गरीब के साथ में कहीं अन्याय हुआ है तो उस गरीब को न्याय दिलाने के लिए जो अधिकारी उसमें बदतमीजी करेगा, जो अधिकारी उस कानून को तोड़ने का काम करेगा उसमें दंड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज किसान, हमारे बीकानेर जिले में इंदिरा गांधी नहर आने के बाद में वहां हरियाली आयी थी, लोग एकदम पंजाब की तरह हंस-खिलकर रहने लग गये थे। वह साफ-सुथरे कपड़े पहनने लग गये थे। आज बीकानेर के अंदर वह इंदिरा गांधी नहर सूखी पड़ी है। किसान की हालत खराब है। राजस्थान के अंदर जो हमारा अधिकतर बुनकर जो दलित वर्ग है वह खादी का काम करता था, पूरे प्रदेश में खादी हम लोग पहनने की स्थिति में है लेकिन आज आम आदमी, गांव का आदमी खादी पहनने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा बजट बना है इसमें बुनकरों के लिए व्यवस्था है लेकिन इसमें संशोधन करके जोड़ने का काम करें जो दलित हैं पूर प्रदेश में, जो बेरोजगार हो गया है, सरकार में नौकरी नहीं है, आज उसके भीख मांगने की नौबत आ रही है, जो किसान है, नहर का पानी सूखा पड़ा है। इसलिए किसान और दलित के लिए रोजगार की कहीं न कहीं व्यवस्था की जानी चाहिए। यह भी इसमें प्रावधान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने महिलाओं और गरीब के लिए विशेष ध्यान दिया है। महिला और दलित की स्थिति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आज जिस तरह से महिला दुःखी है उसको गर्द में रखा जाता है। एक अंग्रेज महिला पूरा इंडिया अकेले घूमकर चली जायेगी। लेकिन हमारी महिला, जब वह बाजार में जाती है तो उसको दूसरी दृष्टि से देखेंगे कि इसकी हिम्मत कैसे हो गयी। इसलिए मेरा आग्रह है कि जिस प्रकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इसमें लक्ष्य रखा गया है उसी प्रकार दलित छात्रों के लिए भी हम लोग इसमें ऐसी व्यवस्था करें कि वह बाहर, जिस तरह से अम्बेडकर साहब, उस समय राजा-महाराजा ने सहयोग किया था, विदेश में जाकर के विद्वान बनकर के आये थे, उसी प्रकार गरीब का बच्चा बाहर जाये तो उसके पढ़ने के लिए व्यवस्था की जाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब तक बोलें सदन का समय बढ़ा दिया जाये। जब तक माननीय सदस्य बोलें।

श्री अध्यक्ष : 6 बजे तक उन्हें कनक्लूड कर देना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दो-चार मिनट इधर-उधर।

एक माननीय सदस्य : पहली बार बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी तो चार मिनट हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो दलित, महिला, गांव का बैकवर्ड रहा है इसका मूल कारण यह जो हमारे विपक्ष में बैठे भाई हैं, ये रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। दलित की पार्टी कौनसी ? कांग्रेस। जब हम गांव में जाते हैं, मुझे याद आता है, मैं कुछ का नाम नहीं लेना चाहता जो अभी हमारे साथी कांग्रेस में बैठे हैं। हम जब गांव में जाते थे तो यह कहते थे कि जो सबसे गंदी बस्ती है, सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है.... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : कांग्रेस की वजह से बोल रहे हो नहीं तो यहां पहुंचते ही नहीं मेरे भाई।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : पहचान कर लो असली कांग्रेस वालों का मौहल्ला आ गया है।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें माननीय सदस्य। बीच में रोके-टोके नहीं, व्यवधान नहीं डालें।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, हम यहां खड़े होकर बोल रहे हैं तो कांग्रेस की वजह से नहीं, डा. बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से बोल रहे हैं। जिनके साथ भी इन्होंने अत्याचार किया। उनको भी कभी आगे नहीं बढ़ने दिया इन्होंने। उनको भी रोकने का प्रयास किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गयी है इसलिए बोल दिया है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इनको गुस्सा आयेगा, लेकिन मैं यह बिलकुल साफ कहना चाहूंगा कि मैं जहां से चुनाव लड़ा हूं, रिकार्ड मतों से 27 हजार से जीता हूं उसमें 90 प्रतिशत दलितों के, किसान के और बैकवर्ड के वोट हैं। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है वह इसलिए भेजा है कि मैं रिजर्व सीट से आया हूं, रिजर्व की बात नहीं करूंगा तो मैं संविधान के साथ और उस जनता के साथ धोखा करूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के साथियों से कि गुस्सा आने की जरूरत नहीं है साथियों, कांग्रेस में आपसे भी बड़े-बड़े लीडर रह गये मैं उनके बारे में भी कहना चाहूंगा कि उन लोगों ने भी थोथी घोषणाएं की और उसी का परिणाम है कि आज 45 शिड्युल्ड कास्ट के लोग भारतीय जनता पार्टी से जीतकर आये हैं।

आज यह प्रजातंत्र धीरे-धीरे मैच्योर हो रहा है, और जब मैच्योरिटी होती है, समझ आयेगी तो निश्चित रूप से लोग अपनी बात कहेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि आपने जो 40 साल के अंदर दलितों के साथ में धोखा किया है, उस बात को दलित पहचान चुका है। आज वह दलित वो नहीं है, कि आप लोग उनके नाम पर माल खाते रहो और दलित बैठा-बैठा देखता रहे, इस प्रजातंत्र में हमारे संविधान की जो मूल भाषा है, धरती और धन का बंटवारा होना चाहिए। यहां दो सौ माननीय सदस्य हैं, मैं कहना चाहूंगा कि हम दो सौ

(श्री गोविन्द राम मेघवाल)
लोग हैं, आप दो सौ जगह आप एक-एक समाज कल्याण हास्टल खोल दीजिये, दलितों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करिये। हमारे साथ में आज भी वही बूथ कैप्चरिंग होता है। वहां का जो दलित है, अनपढ़ होता है उसके फर्जी वोट डाल कर के लोग जीतकर के आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि असली प्रजातंत्र जब आयेगा जब हमारे देश में शिक्षा आयेगी, असली प्रजातंत्र तब आयेगा जब हमारे देश में छूआछूत खतम होगी, असली प्रजातंत्र तब आयेगा जब हमारी जाति का जहर खत्म होगा। जो 40 साल से यह नंगा नाच चल रहा है, क्या जरूरत थी जब भैरोंसिंह जी आये, तब नगर पालिका में, पंचायतों में आरक्षण मिला, यह कांग्रेस वाले आज गुस्से में आ रहे हैं इनसे पूछिये कि आपने दलितों के बारे में क्यों नहीं सोचा ?

श्री बाबूलाल नागर : भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का विरोध किया। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने खिलाफ वोट डाला। विधेयक पेश नहीं हो सका।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : आज यह आरक्षण के विरोध की बात कर रहे हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि सरपंचों का आरक्षण भैरोंसिंहजी के राज में क्यों मिला ?

श्री बंशीलाल खटीक : कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. बी.जे.पी. ने किया। (व्यवधान) प्रधान बने, प्रमुख बने और हम एम.एल.ए. बनकर तैयार हैं कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए।

श्री गोविन्द राम मेघवाल : मैं तो यह कहना चाहूंगा अध्यक्षजी, अगर कांग्रेस के नेता चाहे तो इस पर एक दिन बहस रख लें कि इन्होंने दलितों के साथ में सबसे बड़ा धोखा किया है। अगर 10 हजार का कर्जा माफ हुआ था तो चौधरी देवीलाल, बी.जे.पी. और जनता दल का आपस में पैक्ट था। राज्य में बी.जे.पी.-जनता दल और सेंटर में चौधरी देवीलाल थे, जनता दल की सरकार थी, इनका कोई लेना देना नहीं था।

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004, प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे, बुधवार, दिनांक 14 जुलाई, 2004 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)